RNI No. :BIHHIN/2013/53084

संपादक
अभिजीत कुमार, 9431006107

समाचार संपादक
अखिलेश कुमार, 9431089053

राजनीतिक संपादक
प्रो. नीरज कुमार सिंह, 9431049337

सहायक संपादक
प्रभाकर कुमार राय/एस. एन. श्याम

संपादकीय सलाहकार
राजीव कुमार सिंह 9431210181
रंजीत कुमार 8800689555

कॉन्सेप्ट एडिटर
अनूप कुमार शर्मा, 7004821433

विधि सलाहकार
वीणा कुमारी जयसवाल, पटना हाई कोर्ट

बिहार ब्यूरो
अनूप नारायण सिंह

मुख्य संवाददाता
सोनू सिन्हा,9431006189
आशीष कुमार

जिला ब्यूरो
बेगूसराय : विरेश कुमार सिंह, 9430415316
अमित सिंह, 9430595995
भागलपुर प्रमंडल : राजेश पंजिकार,
(ब्यूरो चीफ), 9334114515
समस्तीपुर : राजेश कुमार
चांदन : अमोद कुमार दूबे : 8578934993
मुंगेर : सिद्धांत
कटोरिया : दीपक चौधरी, विशेष संवाददाता
9973077043
सुईया : चन्द्रशेखर मिश्र (संवाददाता)
बिहार-झारखंड : अभिनव कुमार 7903292877
दिल्ली : नवल वत्स, 9818901841
स्वाति
ग्रेटर नोएडा : गौरीशंकर, 8920215318

प्रधान कार्यालय
गिरिराज सदन, हनुमान नगर, संजय गांधी नगर,
काली मंदिर रोड़ नं.- 7, पटना - 800 020 (बिहार)
मो.- 9431006107, 9939815347
स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक : अभिजीत कुमार
गिरिराज सदन, हनुमान नगर, संजय गांधी नगर, काली मंदिर रोड़ नं.- 7 पटना - 800 020 (बिहार) से प्रकाशित व एस. एम. ऑफसेट पंडुईकोठी लंगर टोली, डीएन दास लेन, पटना-800 004,से मुद्रित।

पत्रिका में प्रकाशित किसी भी रचना के विवाद के लिए लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे। इसके लिए संपादक से सहमति जरूरी नहीं। पत्रिका से संबंधित सभी विवादों का निबटारा पटना उच्च न्यायालय से होगा।

संरक्षक

डॉ. संजय मयूख
राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी
भाजपा

जय जयराम सिंह
JJRS CONSTRUCTION
PVT. LTD.

चर्चित बिहार

वर्ष : 7, अंक : 12, अगस्त 2020, मूल्य : 25/- राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

10 अर्थमय होता जीवन का अर्थ

हरियाली को बेरंग करती बिजली 16

कृषि विकास हेतु गांवों में.. 18

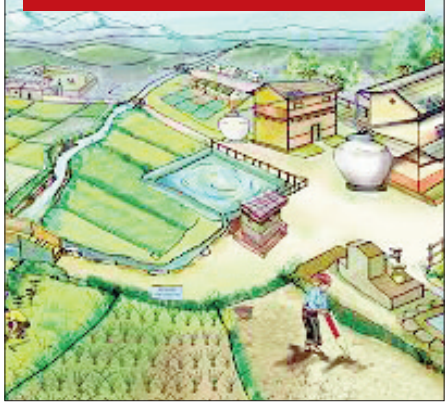

किसानों की आय बढ़ाने 24

हरियाली जरूरी है ... 44

सोने की चकाचौंध

अभिजीत कुमार
संपादक
9431006107
cbhindi.news@gmail.com

आजकल हम असामान्य और कई मामलों में अभूतपूर्व दौर से गुजर रहे हैं। यह बात दूसरी तमाम चीजों के साथ-साथ सोने के लगातार चढ़ते भावों से भी जाहिर हो रही है। दुनिया के स्तर पर सोने में जबर्दस्त तेजी दिखाई दे रही है। ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में यह बीते मंगलवार 2000 डॉलर प्रति ट्रॉय आउंस से ज्यादा हो गया। ट्रॉय आउंस सोना और अन्य कीमती धातुओं का वजन नापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई है और यह 31.1034768 ग्राम के बराबर होता है। यह लगातार तीसरा हफ्ता है जब सोना 1900 डॉलर के बेंचमार्क से ऊपर रहा। 2011 के बाद से यह पहला मौका है जब इतनी लंबी अवधि तक सोना इस ऐतिहासिक ऊंचाई पर बना रहा।बहरहाल, भारत में सोने की ऊंचाई पर नजर डालें तो यह ग्लोबल से भी ज्यादा है। बीते बृहस्पतिवार को अपने यहां यह 57,700 रुपया प्रति दस ग्राम के भाव पर बिका। पस्ती के माहौल में सोने की यह चकाचौंध दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर देती है, हालांकि अपने देश में सोने का ग्राफ जब-तब ही थोड़ा नीचे आता है, फिर जल्द ही ऊपर का रुख कर लेता है। नब्बे के दशक में आए भूमंडलीकरण के दौर के बाद से देखें तो 1992 में यह 4334 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। साल-दर-साल घटते-बढ़ते हुए 1996 में एक बार 5000 की सीमा पार करने के बाद भी 2002 में यह पांच हजार के अंदर ही था। खासकर 2004 के बाद लंबी छलांगें लगाते हुए 2012 में इसने पहली बार 30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की सीमा पार की। हालांकि दोबारा यह करतब दिखाने में उसे छह साल लगे। 2018 में 31,438 पर आने के बाद पिछले साल इसकी ऊंचाई 35,220 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज की गई। यहां से देखने पर अंदाजा मिलता है कि इसकी मौजूदा ऊंचाई कितनी अस्वाभाविक है। बहरहाल, समस्या वैश्विक है और इसे भारत तक सिमटाकर देखने का कोई औचित्य नहीं है। कोरोना और लॉकडाउन से जुड़ी मजबूरियों ने सारे निवेशों को गैर-भरोसेमंद बना दिया है। अमेरिका के दस वर्षीय ट्रेजरी नोट पर मुनाफा इस हफ्ते 0.52 फीसदी दर्ज किया गया जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। भारत में हालात कुछ मामलों में वहां से ज्यादा बुरे हैं। अपना पैसा कहीं भी रखना निवेशकों को सेफ नहीं लग रहा। कोई सोच सकता है कि कुछ लोग सोने की खरीद-बिक्री से धुआंधार पैसे कमा रहे होंगे, लेकिन यह प्रवृत्ति सोने में निवेश करके मुनाफा कमाने की उतनी नहीं है, जितनी टैक्स से बचने के लिए अपने पैसे को निर्जीव पूंजी में बदल कर किसी गुप्त ठिकाने पर सुरक्षित रखने की। विशेषज्ञ उम्मीद जता रहे हैं कि यह रुझान ज्यादा नहीं चलेगा और दो-तीन महीने में हालात सुधर जाएंगे। लेकिन अपने देश में धन को सोने की शक्ल में देखने की बीमारी इतनी पुरानी है कि यह कोरोना से जुड़े संकटों का एक और पहलू भी साबित हो सकती है।

स्वतंत्रता दिवस विशेष

जरा याद करो कुर्बानी...

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर हिन्दुस्तान में जगह -जगह हवा में लहराता झंडा हमें स्वतंत्र भारत का नागरिक होने का अहसास कराता है। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसी दिन हमारा हिन्दुस्तान 71 साल पहले 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ था। इसी दिन हमारे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानिओं ने हमें अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। हमें आजादी दिलाने के लिए न जाने कितने वीर वीरांगनाओं ने अंग्रेजों की अमानवीय यातनाओं व अत्याचारों का सामना किया और देश की आजादी के लिए अपनी आहुतियां दी। यह दिन ऐसे ही वीर-वीरांगनाओं को याद करने का दिन है। इस दिन का भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक विशेष महत्व है, इस दिन हर भारतवासी अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करता है, जिनके खून पसीने और संघर्ष से हमें आजादी नसीब हुई। स्वतंत्रता के मायने हर नागरिक के लिए अलग-अलग होते हैं, कोई व्यक्ति स्वतंत्रता को अपने लिए खुली छूट मानता है, जिसमे वो अपनी मर्जी का कुछ भी कर सके, चाहे वो गलत हो या सही हो। लेकिन स्वतंत्रता सिर्फ अच्छी चीजों के लिए होती है। बुरी चीजों के लिए स्वतंत्रता अभिशाप बन जाती है। इसलिए स्वतंत्रता के मायने तभी हैं जब स्वतंत्रता में मयार्दा, चरित्र और समर्पण का भाव हो। अगर स्वतंत्रता में मयार्दा, चरित्र और समर्पण ही नहीं है तो यह आजादी नहीं बल्कि एक प्रकार का छुट्टापन पर होता है। जिसपर कोई भी लगाम नहीं होती। यही छुट्टापन देश और समाज में बलात्कार, छेड़खानी, हत्या और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं के अंजाम के लिए जिम्मेदार होता है। स्वतंत्रता दिवस के दिन देश के युवा पतंगें उड़ा कर आजादी का जश्न मनाते हैं। हवा में लहराती पतंगें संदेश देती हैं कि हम आजाद देश के निवासी हैं। पर क्या तिरंगा फहराकर या पतंग उड़ाकर आजादी का अहसास हो जाता है? क्या भारत में हर किसी को आजादी से जीने का हक मिल पाया है? हमें आजादी मिली, उसका हमने क्या सदुपयोग किया। लोग पेड़ों को काट रहे हैं। बालिका भ्रूण की हत्या हो रही है। सड़कों पर महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। अकेले रह रहे बुजुर्गों की हत्या कर दी जाती है। शराब पीकर लोग देश में सड़क हादसों को अंजाम

देते हैं, और दूसरे बेगुनाह लोगों को मार देते हैं। ये कैसी आजादी है, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर रहा है।

बेशक भारत को स्वतंत्र हुए 71 साल हो गए हों, लेकिन आज भी हमारे आजाद भारत देश में बाल अधिकारों का हनन हो रहा है। छोटे-छोटे बच्चे स्कूल जाने की उम्र में काम करते दिख जाते हैं। आज बाल मजदूरी समाज पर कलंक है। इसके खात्मे के लिए सरकारों और समाज को मिलकर काम करना होगा। साथ ही साथ बाल मजदूरी पर पूर्णतया रोक लगनी चाहिए। बच्चों के उत्थान और उनके अधिकारों के लिए अनेक योजनाओं का प्रारंभ किया जाना चाहिए। जिससे बच्चों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव दिखे। और शिक्षा का अधिकार भी सभी बच्चों के लिए अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। गरीबी दूर करने वाले सभी व्यवहारिक उपाय उपयोग में लाए जाने चाहिए। बालश्रम की समस्या का समाधान तभी होगा जब हर बच्चे के पास उसका अधिकार पहुँच जाएगा। इसके लिए जो बच्चे अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनके अधिकार उनको दिलाने के लिये समाज और देश को सामूहिक प्रयास करने होंगे। आज देश के प्रत्येक नागरिक को बाल मजदूरी का उन्मूलन करने की जरुरत है। और देश के किसी भी हिस्से में कोई भी बच्चा बाल श्रमिक दिखे, तो देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह बाल मजदूरी का विरोध करे। और इस दिशा में उचित कार्यवाही करें साथ ही साथ उनके अधिकार दिलाने के प्रयास करें। देश का हर बच्चा कन्हैया का स्वरुप है, इसलिए कन्हैया के प्रतिरूप से बालश्रम कराना पाप है। इस पाप का भगीदार न बनकर देश के हर नागरिक को देश के नन्हे-मुन्नों को शिक्षा का अधिकार दिलाना चाहिए जिससे कि हर बच्चा बड़ा होकर देश का नाम विश्व स्तर पर रोशन कर सके।

बेशक भारत को स्वतंत्र हुए 71 साल हो गए हों, लेकिन आज भी हमारे आजाद भारत देश में बाल अधिकारों का हनन हो रहा है। छोटे-छोटे बच्चे स्कूल जाने की उम्र में काम करते दिख जाते हैं। आज बाल मजदूरी समाज पर कलंक है। इसके खात्मे के लिए सरकारों और समाज को मिलकर काम करना होगा। साथ ही साथ बाल मजदूरी पर पूर्णतया रोक लगनी चाहिए। बच्चों के उत्थान और उनके अधिकारों के लिए अनेक योजनाओं का प्रारंभ किया जाना चाहिए। जिससे बच्चों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव दिखे। और शिक्षा का अधिकार भी सभी बच्चों के लिए अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। गरीबी दूर करने वाले सभी व्यवहारिक उपाय उपयोग में लाए जाने चाहिए। बालश्रम की समस्या का समाधान तभी होगा जब हर बच्चे के पास उसका अधिकार पहुँच जाएगा।

भारत देश में कानून बनाने का अधिकार केवल भारतीय लोकतंत्र के मंदिर भारतीय संसद को दिया गया है। जब भी भारत में कोई नया कानून बनता है तो वो संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति उस कानून पर बिना आपत्ति किये हुए हस्ताक्षर करता है तो वो देश का कानून बन जाता है। लेकिन आज देश के लिए कानून बनाने वाली भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था भारतीय संसद की हालत दयनीय है। जो लोग संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधि बनकर जाते हैं, वो लोग ही आज संसद को बंधक बनाये हुए हैं। जब भी संसद सत्र चालू होता है तो संसद सदस्यों द्वारा चर्चा करने की बजाय हंगामा किया जाता है। और देश की जनता के पैसों पर हर तरह की सुविधा पाने वाले संसद सदस्य देश के भले के लिए काम करने की जगह संसद को कुश्ती का अखाडा बना देते हैं। जिसमें पहलवानी के दांवपेचों की जगह आरोप प्रत्यारोप और अभद्र भाषा के दांवपेंच खेले जाते हैं। जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जरुरत है कि देश के लिए कानून बनाने वाले संसद सदस्यों के लिए एक कठोर कानून बनना चाहिए। जिसमे कड़े प्रावधान होने चाहिए। जिससे कि संसद सदस्य संसद में हंगामा खड़ा करने की जगह देश की भलाई के लिए अपना योगदान दें। आज हमारे जनप्रतिनिधि आम जनता के प्रतिनिधि न होकर सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने लोगों के प्रतिनिधि बनकर खड़े होते हैं या अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक स्वतंत्र गणतांत्रिक देश में जनप्रतिनिधियों से देश का कोई भी नागरिक ऐसी अपेक्षा नहीं करता है। हर जनप्रतिनिधि का फर्ज है कि वह अपने और अपने लोगों का प्रतिनिधि बनने की वजाय अपने क्षेत्र की सम्पूर्ण जनता का प्रतिनिधि बने। और देश के सभी जनप्रतिनिधियों को न्यायप्रिय शासन करना चाहिए, जिसमें समाज के हर तबके के लिए स्थान हो तभी हमारी स्वतंत्रता अक्षुण्ण रह पाएगी। बेशक हम अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हों लेकिन आज भी देश महिलाओं को पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं है, आज भी देश में महिलाओं को बाहर अपनी मर्जी से काम करने से रोका जाता है। महिलाओं पर तमाम तरह की बंदिशे परिवार और समाज द्वारा थोपी जाती हैं जो कि

संविधान द्वारा प्रदत्त महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों का हनन करती है। आज भी देश में महिलाओं के मौलिक अधिकार चाहे समानता का अधिकार हो, चाहे स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो ,चाहे शिक्षा और संस्कृति सम्बन्धी अधिकार हो समाज द्वारा नारिओं के हर अधिकार को छीना जाता है या उस पर बंदिशे लगायी जाती हैं, जो कि एक स्वतंत्र देश के नवनिर्माण के लिए शुभ संकेत नहीं है। कोई भी देश तब अच्छे से निर्मित होता है जब उसके नागरिक चाहे महिला हो या पुरुष हो उस देश के कानून और संविधान को पूर्ण रूप से सम्मान करे और उसका कड़ाई से पालन करे। आज बेशक भारत विश्व की उभरती हुई शक्ति है। लेकिन आज भी देश काफी पिछड़ा हुआ है।

देश में आज भी कन्या जन्म को दुर्भाग्य माना जाता है, और आज भी भारत के रूढ़िवादी समाज में हजारों कन्याओं की भ्रूण में हत्या की जाती है। सड़कों पर महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। सरेआम महिलाओं से छेड़छाड़ और बलात्कार के किस्से भारत देश में आम बात हैं। कई युवा (जिनमें भारी तादात में लड़कियां भी शामिल हैं) एक तरफ जहां हमारे देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। वहीं कई ऐसे युवा भी हैं जो देश को शर्मसार कर रहे हैं। दिनदहाड़े युवतियों का अपहरण, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न कर देश का सिर नीचा कर रहे हैं। हमें पैदा होते ही महिलाओं का सम्मान करना सिखाया जाता है पर आज भी विकृत मानसिकता के कई युवा घर से बाहर निकलते ही महिलाओं की इज्जत को तार-तार करने से नहीं चूकते। इस सबके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का अधिकार हमें भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में अनुच्छेद 29-30 के अन्तर्गत दिया गया है। लेकिन आज भी देश के कई हिस्सों में में नारी शिक्षा को सही नहीं माना जाता है। नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के साथ भारतीय समाज को भी आगे आना होगा। तभी देश में अशिक्षा जैसे अँधेरे में शिक्षा रुपी दीपक को जलाकर उजाला किया जा सकता है। जब नारी को असल में शिक्षा का अधिकार मिलेगा तभी नारी इस देश में स्वतंत्र होगी। गीता में कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्तये।यानी कि विद्या ही हमें समस्त बंधनों से मुक्ति दिलाती है, इसलिए राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए बिना भेदभाव के सभी को शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए। भारत देश बेशक एक स्वतंत्र गणराज्य सालों पहले बन गया हो। लेकिन इतने सालों बाद आज भी देश में धर्म, जाति और अमीरी गरीबी के आधार पर भेदभाव आम बात है। लोग आज भी जाति के आधार पर ऊंच-नीच की भावना रखते हैं। आज भी लोगों में सामंतवादी विचारधारा घर करी हुयी है और कुछ अमीर लोग आज भी समझते हैं कि अच्छे कपडे पहनना, अच्छे घर में रहना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना और आर्थिक विकास पर सिर्फ उनका ही जन्मसिध्द अधिकार है। इसके लिए जरूरत है कि देश में संविधान द्वारा प्रदत्त शिक्षा के अधिकार के जरिए लोगों में जागरूकता लायी जाये। जिससे कि देश में धर्म, जाति, अमीरी-गरीबी और लिंग के आधार पर भेदभाव न हो सके।

स्वतंत्रता दिवस प्रसन्नता और गौरव का दिवस है इस दिन सभी भारतीय नागरिकों को मिलकर अपने लोकतंत्र की उपलब्धियों का उत्सव मनाना चाहिए और एक शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं प्रगतिशील भारत के निर्माण में स्वयं को समर्पित करने का संकल्प लेना चाहिए। क्योंकि भारत देश सदियों से अपने त्याग, बलिदान, भक्ति, शिष्टता, शालीनता, उदारता, ईमानदारी, और श्रमशीलता के लिए जाना जाता है। तभी सारी दुनिया ये जानती और मानती है कि भारत भूमि जैसी और कोई भूमि नहीं, आज भारत एक विविध, बहुभाषी, और बहु-जातीय समाज है। जिसका विश्व में एक अहम स्थान है। आज का दिन अपने वीर जवानों को भी नमन करने का दिन है जो कि हर तरह के हालातों में सीमा पर रहकर सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस कराते हैं। साथ-साथ उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने का भी दिन हैं, जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। आज 72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के प्रत्येक नागरिक को भारतीय संविधान और गणतंत्र के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहरानी चाहिए और देश के समक्ष आने वाली चुनौतियों का मिलकर सामूहिक रूप से सामना करने का प्रण लेना चाहिए। साथ-साथ देश में शिक्षा, समानता, सदभाव, पारदर्शिता को बढ़ावा देने का संकल्प लेना चाहिए। जिससे कि देश प्रगति के पथ पर और तेजी से आगे बढ़ सके।

देशभक्ति और कृष्णभक्ति के पर्व हैं स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी

इस साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी दोनों साथ-साथ पडे हैं, दोनों पर्वों का अपना-अपना महत्व है। एक पर्व स्वतंत्रता दिवस है जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसी दिन हमारा हिन्दुस्तान आज से 70 साल पहले 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ था। इसलिए इस दिन का भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक विशेष महत्व है, इस दिन हर भारतवासी अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करता है, जिनके खून पसीने और संघर्ष से हमें आजादी नसीब हुई। स्वतंत्रता के मायने हर नागरिक के लिए अलग-अलग होते हैं, कोई व्यक्ति स्वतंत्रता को अपने लिए खुली छूट मानता है, जिसमे वो अपनी मर्जी का कुछ भी कर सके, चाहे वो गलत हो या सही हो। लेकिन स्वतंत्रता सिर्फ अच्छी चीजों के लिए होती है बुरी चीजों के लिए स्वतंत्रता अभिशाप बन जाती है इसलिए स्वतंत्रता के मायने तभी हैं जब स्वतंत्रता में मयार्दा और समर्पण का भाव हो।

राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की तरह ही श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भी भारतवर्ष सहित पूरे विश्वभर में फैले हुए सनातन धर्मियों द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया जाने वाला पर्व है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था। यह पर्व हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने द्वापर युग में अपने आठवें अवतार के रूप में मध्यरात्रि को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण रूप में मथुरा के अत्याचारी राजा कंस की बहन देवकी की कोख से जन्म लिया था। चूँकि भगवान विष्णु इस धरा पर खुद अवतरित हुए थे इस लिए यह दिन जन्माष्टमी के रूप में विख्यात हुआ। अत्याचारी कंस ने अपनी मृत्यु के डर से अपनी बहिन देवकी और अपने बहनोई वसुदेव को कारागार में कैद किया हुआ था। कृष्ण जन्म के समय चारों तरफ घना अँधेरा छाया हुआ था और घनघोर वर्षा हो रही थी। श्रीकृष्ण जन्म लेते ही वसुदेव-देवकी की कंस द्वारा हाथ पैरों में लटकाई गयी बेड़ियाँ अपने आप खुल गईं, और जिस कारगर में वसुदेव-देवकी बंद थे उस कारागार के सभी द्वार स्वयं ही खुल गए। कारागार के सभी पहरेदार ईश्वरीय शक्ति से गहरी निद्रा

में सो गए। वसुदेव टोकरी में श्रीकृष्ण को सुलाकर अपने सर पर टोकरी रखकर उफान मारती हुई यमुना को पार कर गोकुल में अपने मित्र नन्दगोप के घर ले गए। वहाँ पर नन्द की पत्नी यशोदा ने भी एक सुन्दर कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव श्रीकृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को ले गए। श्रीकृष्ण का लालन-पालन यशोदा व नन्द ने किया। अपने बचपन में ही बाल श्रीकृष्ण ने अपने मामा कंस द्वारा भेजे गए अनेक राक्षसों को मार डाला और अत्याचारी कंस बाल कृष्ण को मारने के किसी भी कुप्रयास में सफल नहीं हुआ। अन्त में भगवान श्रीकृष्ण ने अत्याचारी कंस को मारकर मथुरा नगरी के लोगों को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई।

जन्माष्टमी के दिन भारत के प्रत्येक हिन्दू परिवार में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पुत्र जन्मोत्सव की तरह मनाया जाता है, घर-घर में इस दिन बधाइयाँ गायी जाती हैं और बहुत ही धार्मिक माहौल होता है। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नगरी भक्ति के रंगों से रंगी होती है और देश के प्रत्येक मंदिर में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का भक्तिभाव के साथ धूमधाम से आयोजन होता है। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पूरे दिन नर-नारी तथा बच्चे व्रत रखकर रात्रि 12 बजे अपने घर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन कर मन्दिरों में अभिषेक होने पर पंचामृत ग्रहण कर व्रत खोलते हैं।

स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति का पर्व है और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी हमारे इष्टदेव भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति का पर्व है, जब देशभक्ति और ईश्वर की भक्ति का मिलन होता है तो एक अलग ही समरसता का माहौल होता है। इस बार की 15 अगस्त पर देशभक्ति का पर्व स्वतंत्रता दिवस और ईश्वर की भक्ति का पर्व श्रीकृष्ण जन्माष्टमी दोनों साथ-साथ पड़े हैं। इसलिए देश में हर घर में एक तरफ देशभक्ति के गीत चल रहे होंगे और साथ-साथ भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की खुशी में बधाई भजन गाये जा रहे होंगे। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक होगा। जिसका साक्षी सम्पूर्ण देश बनेगा। इस दिन पूरे देश में भारत माता की जय, वन्दे मातरम् के उद्घोष के साथ जब नन्द के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की का उद्घोष होगा तो यह पल अत्यंत ही दर्शनीय होगा।

भगवान श्रीकृष्ण अपनी बाल लीलाओं के लिए अत्यंत प्रसिध्द थे। बेशक भारत को स्वतंत्र हुए 70 साल हो गए हों, लेकिन अब भी श्रीकृष्ण के भारत देश में बाल अधिकारों का हनन हो रहा है। छोटे-छोटे बच्चे स्कूल जाने की उम्र में काम करते दिख जाते हैं। आज बाल मजदूरी समाज पर कलंक है। इसके खात्मे के लिए सरकारों और समाज को मिलकर काम करना होगा। साथ ही साथ बाल मजदूरी पर पूर्णतया रोक लगनी चाहिए। बच्चों के उत्थान और उनके अधिकारों के लिए अनेक योजनाओं का प्रारंभ किया जाना चाहिए। जिससे बच्चों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव दिखे। और शिक्षा का अधिकार भी सभी बच्चों के लिए अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। गरीबी दूर करने वाले सभी व्यवहारिक उपाय उपयोग में लाए जाने चाहिए। बालश्रम की समस्या का समाधान तभी होगा जब हर बच्चे के पास उसका अधिकार पहुँच जाएगा। इसके लिए जो बच्चे अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनके अधिकार उनको दिलाने के लिये समाज और देश को सामूहिक प्रयास करने होंगे। आज देश के प्रत्येक नागरिक को बाल मजदूरी का उन्मूलन करने की जरुरत है। और देश के किसी भी हिस्से में कोई भी बच्चा बाल श्रमिक दिखे, तो देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह बाल मजदूरी का विरोध करे। और इस दिशा में उचित कार्यवाही करें साथ ही साथ उनके अधिकार दिलाने के प्रयास करें। देश का हर बच्चा कन्हैया का स्वरुप है, इसलिए कन्हैया के प्रतिरूप से बालश्रम कराना पाप है। इस पाप का भगीदार न बनकर देश के हर नागरिक को देश के नन्हे-मुन्ने कन्हैयाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाना चाहिए जिससे कि हर बच्चा बड़ा होकर देश का नाम विश्व स्तर पर रोशन कर सके।

भारत देश में कानून बनाने का अधिकार केवल भारतीय लोकतंत्र के मंदिर भारतीय संसद को दिया गया है। जब भी भारत में कोई नया कानून बनता है तो वो संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति उस कानून पर बिना आपत्ति किये हुए हस्ताक्षर करता है तो वो देश का कानून बन जाता है। लेकिन आज देश के लिए कानून बनाने वाली भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था भारतीय संसद की हालत दयनीय है। जो लोग संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधि बनकर जाते हैं, वो लोग ही आज संसद को बंधक बनाये हुए हैं। जब भी संसद सत्र चालू होता है तो संसद सदस्यों द्वारा चर्चा करने की बजाय हंगामा किया जाता है। और देश की जनता के पैसों पर हर तरह की सुविधा पाने वाले संसद सदस्य देश के भले के लिए काम करने की जगह संसद को कुश्ती का अखाडा बना देते हैं। जिसमें पहलवानी के दांवपेचों की जगह आरोप प्रत्यारोप और अभद्र भाषा के दांवपेंच खेले जाते हैं। जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जरुरत है कि देश के लिए कानून बनाने वाले संसद सदस्यों के लिए एक कठोर कानून बनना चाहिए। जिसमे कड़े प्रावधान होने चाहिए। जिससे कि संसद सदस्य संसद में हंगामा खड़ा करने की जगह देश की भलाई के लिए अपना योगदान दें। भगवान श्रीकृष्ण ने जब तक द्वारिका पर राज किया तब तक वो आम नागरिक के प्रतिनिधि और उनके सुख-दुःख के भागीदार रहे इसका उल्लेख हमारे प्रमुख धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में किया गया है। लेकिन आज हमारे जनप्रतिनिधि आम जनता के प्रतिनिधि न होकर सिर्फ और सिर्फ अपने और

स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति का पर्व है और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी हमारे इष्टदेव भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति का पर्व है, जब देशभक्ति और ईश्वर की भक्ति का मिलन होता है तो एक अलग ही समरसता का माहौल होता है। इस बार की 15 अगस्त पर देशभक्ति का पर्व स्वतंत्रता दिवस और ईश्वर की भक्ति का पर्व श्रीकृष्ण जन्माष्टमी दोनों साथ-साथ पड़े हैं। इसलिए देश में हर घर में एक तरफ देशभक्ति के गीत चल रहे होंगे और

अपने लोगों के प्रतिनिधि बनकर खड़े होते हैं या अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक स्वतंत्र गणतांत्रिक देश में जनप्रतिनिधियों से देश का कोई भी नागरिक ऐसी अपेक्षा नहीं करता है। हर जनप्रतिनिधि का फर्ज है कि वह अपने और अपने लोगों का प्रतिनिधि बनने की वजाय अपने क्षेत्र की सम्पूर्ण जनता का प्रतिनिधि बने। और देश के सभी जनप्रतिनिधियों को भगवान कृष्ण से प्रेरणा लेकर उनकी तरह न्यायप्रिय शासन करना चाहिए, जिसमें समाज के हर तबके के लिए स्थान हो तभी हमारी स्वतंत्रता अक्षुण्ण रह पाएगी।

बेशक हम अपना 71वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हों लेकिन आज भी देश महिलाओं को पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं है, आज भी देश में महिलाओं को बाहर अपनी मर्जी से काम करने से रोका जाता है। महिलाओं पर तमाम तरह की बंदिशे परिवार और समाज द्वारा थोपी जाती हैं जो कि संविधान द्वारा प्रदत्त महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों का हनन करती है। आज भी देश में महिलाओं के मौलिक अधिकार चाहे समानता का अधिकार हो, चाहे स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो ,चाहे शिक्षा और संस्कृति सम्बन्धी अधिकार हो समाज द्वारा नारिओं के हर अधिकार को छीना जाता है या उस पर बंदिशे लगायी जाती हैं, जो कि एक स्वतंत्र देश के नवनिर्माण के लिए शुभ संकेत नहीं है। कोई भी देश तब अच्छे से

निर्मित होता है जब उसके नागरिक चाहे महिला हो या पुरुष हो उस देश के कानून और संविधान को पूर्ण रूप से सम्मान करे और उसका कड़ाई से पालन करे। आज बेशक भारत विश्व की उभरती हुई शक्ति है। लेकिन आज भी देश काफी पिछड़ा हुआ है। देश में आज भी कन्या जन्म को दुर्भाग्य माना जाता है, और आज भी भारत के रूढ़िवादी समाज में हजारों कन्याओं की भ्रूण में हत्या की जाती है। सड़कों पर महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। सरेआम महिलाओं से छेड़छाड़ और बलात्कार के किस्से भारत देश में आम बात हैं। कई युवा (जिनमें भारी तादात में लड़कियां भी शामिल हैं) एक तरफ जहां हमारे देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। वहीं कई ऐसे युवा भी हैं जो देश को शर्मसार कर रहे हैं। दिनदहाड़े युवतियों का अपहरण, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न कर देश का सिर नीचा कर रहे हैं। हमें पैदा होते ही महिलाओं का सम्मान करना सिखाया जाता है पर आज भी विकृत मानसिकता के कई युवा घर से बाहर निकलते ही महिलाओं की इज्जत को तार-तार करने से नहीं चूकते। इस सबके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का अधिकार हमें भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में अनुच्छेद 29-30 के अन्तर्गत दिया गया है। लेकिन आज भी देश के कई हिस्सों में में नारी शिक्षा को सही नहीं माना जाता है। नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के साथ भारतीय समाज को भी आगे आना होगा। तभी देश में अशिक्षा जैसे अँधेरे में शिक्षा रुपी दीपक को जलाकर उजाला किया जा सकता है। जब नारी को असल में शिक्षा का अधिकार मिलेगा तभी नारी इस देश में स्वतंत्र होगी। गीता में कहा गया है कि ह्यह्यसा विद्या या विमुक्तये। यानी कि विद्या ही हमें समस्त बंधनों से मुक्ति दिलाती है, इसलिए राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए बिना भेदभाव के सभी को शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए। भगवान कृष्ण के राज में भी नारियों का काफी सम्मान किया जाता था और उनको पूर्ण अधिकार दिए गए थे। भगवान कृष्ण भी खुद नारिओं की काफी इज्जत करते थे, वो भगवान श्रीकृष्ण ही थे जिन्होंने द्रोपदी की लाज को बचाया था और भरी सभा में पांडवों की पत्नी की इज्जत को तार-तार होने से बचाया था। भगवान श्रीकृष्ण से देश के सभी पुरुषों को सीख लेकर विपरीत परिस्थितियों में जज्बे के साथ खड़ा रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर नारी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए कृष्ण भी बनना चाहिए। तभी किसी देश में स्वतंत्रता के मायने होते हैं, इन मायनों को देश के नागरिक ही खुद स्थापित करते हैं।

भारत देश बेशक एक स्वतंत्र गणराज्य सालों पहले बन गया हो। लेकिन इतने सालों बाद आज भी देश में धर्म, जाति और अमीरी गरीबी के आधार पर भेदभाव आम बात है। लोग आज भी जाति के आधार पर ऊंच-नीच की भावना रखते हैं। आज भी लोगों में सामंतवादी विचारधारा घर करी हुयी है और कुछ अमीर लोग आज भी समझते हैं कि अच्छे कपडे पहनना, अच्छे घर में रहना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना और आर्थिक विकास पर सिर्फ उनका ही जन्मसिध्द अधिकार है। इसके लिए जरूरत है कि देश में संविधान द्वारा प्रदत्त शिक्षा के अधिकार के जरिए लोगों में जागरूकता लायी जाये। जिससे कि देश में धर्म, जाति, अमीरी-गरीबी और लिंग के आधार पर भेदभाव न हो सके। गीता से भी

भारत देश बेशक एक स्वतंत्र गणराज्य सालों पहले बन गया हो। लेकिन इतने सालों बाद आज भी देश में धर्म, जाति और अमीरी गरीबी के आधार पर भेदभाव आम बात है। लोग आज भी जाति के आधार पर ऊंच-नीच की भावना रखते हैं। आज भी लोगों में सामंतवादी विचारधारा घर करी हुयी है और कुछ अमीर लोग आज भी समझते हैं कि अच्छे कपडे पहनना, अच्छे घर में रहना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना और आर्थिक विकास पर सिर्फ उनका ही जन्मसिध्द अधिकार है। इसके लिए जरूरत है कि देश में संविधान द्वारा प्रदत्त शिक्षा के अधिकार के जरिए लोगों में जागरूकता लायी जाये। जिससे कि देश में धर्म, जाति, अमीरी-गरीबी और लिंग के आधार पर भेदभाव न हो सके।

हमें धर्म-जाति, अमीरी-गरीबी और लिंग के आधार पर भेद न करने की सीख मिलती है, भगवान श्रीकृष्ण भी हर वर्ग के व्यक्तियों का सम्मान करते थे और बिना भेदभाव के अपनी कृपा सब पर वषार्ते थे।

स्वतंत्रता दिवस प्रसन्नता और गौरव का दिवस है इस दिन सभी भारतीय नागरिकों को मिलकर अपने लोकतंत्र की उपलब्धियों का उत्सव मनाना चाहिए और एक शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं प्रगतिशील भारत के निर्माण में स्वयं को समर्पित करने का संकल्प लेना चाहिए। क्योंकि भारत देश सदियों से अपने त्याग, बलिदान, भक्ति, शिष्टता, शालीनता, उदारता, ईमानदारी, और श्रमशीलता के लिए जाना जाता है। तभी सारी दुनिया ये जानती और मानती है कि भारत भूमि जैसी और कोई भूमि नहीं, आज भारत एक विविध, बहुभाषी, और बहु-जातीय समाज है। जिसका विश्व में एक अहम स्थान है। आज का दिन अपने वीर जवानों को भी नमन करने का दिन है जो कि हर तरह के हालातों में सीमा पर रहकर सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस कराते हैं। साथ-साथ उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने का भी दिन हैं, जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। आज 71वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के प्रत्येक नागरिक को भारतीय संविधान और गणतंत्र के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहरानी चाहिए और देश के समक्ष आने वाली चुनौतियों का मिलकर सामूहिक रूप से सामना करने का प्रण लेना चाहिए। साथ-साथ देश में शिक्षा, समानता, सदभाव, पारदर्शिता को बढ़ावा देने का संकल्प लेना चाहिए। जिससे कि देश प्रगति के पथ पर और तेजी से आगे बढ़ सके।

इसके साथ ही भारत के प्रत्येक नागरिक को भगवान श्रीकृष्ण के जीवन से सीख लेकर अपने स्वतंत्र भारत की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। जिस प्रकार भगवान् कृष्ण गोपियों के लिए बांसुरी बजाते थे, अर्जुन को समय आने पर भगवत गीता का ज्ञान दिया था और बुरी शक्ति शिशुपाल के लिए सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया था और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था, उसी प्रकार भारत देश को हर विदेशी ताकत के साथ ऐसे ही निपटना चाहिए अगर कोई विदेशी ताकत गोपी बनकर आती है तो उसके लिए बांसुरी बजायी जानी चाहिए, अगर कोई विदेशी देश अर्जुन बनकर आता है तो उसको भगवत गीता का ज्ञान देना चाहिए, अगर कोई देश शिशुपाल बनकर आता है तो हमारे सशक्त और स्वतंत्र भारत देश को सुदर्शन चक्र उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए और उसको माकूल जवाब देना चाहिए। भगवान श्रीकृष्ण का जीवन समस्त राष्ट्र को राह दिखता है। उनके जीवन से सभी देशवासिओं को प्रेरणा लेकर अपने राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए, जिससे कि भारत माता पुनः जगदुरु के सिहांसन पर काबिज हो सके।

अर्थमय होता जीवन का अर्थ

आजकल अक्सर ऐसी बैठकों में, सभा सम्मेलनों के प्रारम्भ में एक दीपक जलाया जाता है। यह शायद प्रतीक है, अन्धेरा दूर करने का। दीया जलाकर प्रकाश करने का। इसका एक अर्थ यह भी है कि अन्धेरा कुछ ज्यादा ही होगा, हम सबके आसपास।

यह अन्धेरा बाकी समय उतना नहीं दिखता, जितना वह तब दिखता है जब हम अपने मित्रों के साथ ऐसी सभाओं में बैठते हैं। तो दीये से कुछ अन्धेरा दूर होता होगा और शायद आपस में इस तरह से बैठने से, कुछ अच्छी बातचीत से, विचार-विमर्श से भी अन्धेरा कुछ छँटता ही होगा। शायद साथ चाय, कॉफी पीने से भी।

ऐसा कहना थोड़ा हल्का लगे तो इसमें संस्कृत का वजन भी डाला जा सकता हैः ओम सहना ववतु, सहनौ भुनक्तु आदि। दीया जलाने का यह चलन कब शुरू हुआ होगा, ठीक कहा नहीं जा सकता। इससे मिलती-जुलती प्रथा ऐसी थी कि जब ऐसी कोई सभा-गोष्ठी होती, अतिथियों के स्वागत में मंच के सामने पहले से ही एक दीया जलाकर रख दिया जाता था।

विनोबा किसी जगह गए थे। वहाँ उन्हें कुछ बोलना भी था। उनके स्वागत में मंच पर एक दीया जलाकर रखा गया था। हवा भी चल रही थी। आयोजक बाती की लौ को टिकाए रखने की खूब कोशिश कर रहे थे। आसपास खड़े रहकर अपनी हथेलियों की आड़ से दीये को जलाए रखने की कोशिश में लगे रहे। सबका ध्यान उसी तरफ। अन्धेरा जो भगाना था। पर दीया टिक नहीं पाया। वह बुझ ही गया।

विनोबा किसी जगह गए थे। वहाँ उन्हें कुछ बोलना भी था। उनके स्वागत में मंच पर एक दीया जलाकर रखा गया था। हवा भी चल रही थी। आयोजक बाती की लौ को टिकाए रखने की खूब कोशिश कर रहे थे। आसपास खड़े रहकर अपनी हथेलियों की आड़ से दीये को जलाए रखने की कोशिश में लगे रहे। सबका ध्यान उसी तरफ। अन्धेरा जो भगाना था। पर दीया टिक नहीं पाया। वह बुझ ही गया। विनोबा ने अपनी बातचीत इसी से शुरू की थी। उन्होंने कहा कि आसपास की हवा जब शान्त हो, तभी दीया जलता है। अगर हवा प्रतिकूल रही, हवा जोरों से बहती रहे तो दीपक टिकता नहीं। फिर वे हवा से दीपक पर आये। उन्होंने कहा कि हवा शान्त हो पर यदि दीपक में तेल कम पड़ा है तो भी वह टिक नहीं पाता। हवा से दीपक और फिर विनोबा दीपक से मनुष्य पर आते हैं। तेल यानी चिकनाई।

विनोबा ने अपनी बातचीत इसी से शुरू की थी। उन्होंने कहा कि आसपास की हवा जब शान्त हो, तभी दीया जलता है। अगर हवा प्रतिकूल रही, हवा जोरों से बहती रहे तो दीपक टिकता नहीं। फिर वे हवा से दीपक पर आये। उन्होंने कहा कि हवा शान्त हो पर यदि दीपक में तेल कम पड़ा है तो भी वह टिक नहीं पाता। हवा से दीपक और फिर विनोबा दीपक से मनुष्य पर आते हैं। तेल यानी चिकनाई। स्नेह भी इसी अर्थ में बना शब्द है। वे आगे कहते हैं कि जैसे दीपक में तेल की, स्नेह की जरूरत है, वैसे ही मनुष्य में भी, हम सबके भीतर भी स्नेह की जरूरत है।

दीपक जलते रहने के लिये बाहर की हवा भी शान्त होनी चाहिए और तेल भी होना चाहिए। उसी तरह समाज की रचना भी शान्तिमय होनी चाहिए और हम सब में भी स्नेह की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। तब जलता रह पाता है हमारा यह दीया। जीवन का दीया भी।

आज हम जीवन का अर्थ जानने मिल बैठे हैं। जीवन तो हम सबका है ही। और इस जीवन का अर्थ बताने की ज़िम्मेदारी विजयजी ने मुझ अकेले पर छोड़ दी है! इसलिये सबसे पहले तो मुझे खुद अपनी पोल आप सबके सामने खोल देनी चाहिए :

मुझे खुद जीवन का अर्थ नहीं मालूम। सेडिड संस्था में दास साहब, हमारे दफ्तर में, गाँधी शान्ति प्रतिष्ठान में अमृता बहन जैसे दो-चार गवाह भी हैं जो

आपको बताएँगे कि मैं इसके लिये लगातार मना करता रहा हूँ। पर यह विजयजी की एक तरह की तानाशाही है कि वे कोई एक बात ठान लें तो उसे पूरा करवा कर ही छोड़ते हैं। तो उनकी इच्छा, उनका हुक्म पूरा करना ही पड़ेगा। इसलिये सबसे पहले यह डिस्क्लेमर!

सामने बैठे हैं कुछ मुझसे कम उमर के साथी। कुछ मुझसे ज्यादा उमर के साथी। पर आज के विषय में, जीवन का अर्थ जानने की कोशिश में हमारी यह उमर कोई काम नहीं आती। वह शायद अनुभव है जो ऐसी बातें सोचने में काम आता होगा। जो जीवन मैंने जी लिया है, मेरे हिसाब से ऐसा अनुभव मेरे पास है नहीं। पिछले हफ्ते मैं पूरे अड़सठ वर्ष का हुआ हूँ।

इस दुनिया में हम कितने भी बड़े उद्देश्य को लेकर, लक्ष्य को लेकर दीया जलाते हैं, तेज हवा उसे टिकने नहीं देती। हम तरह-तरह से कोशिश करते हैं उसे अपनी हथेलियों से बचाने की, पर यह हवा है कि हमारी सारी कोशिशों पर पानी फेरती है। शायद हमारे जीवन के दीये में पानी ही ज्यादा होता है, तेल नहीं। स्नेह की कमी होगी इसलिये जीवन बाती चिड़चिड़-तिड़तिड़ ज्यादा करती है, एक-सी संयत होकर जल नहीं पाती। न हम अपना अन्धेरा दूर कर पाते हैं, न दूसरे का।

कितना बचा होगा शेष जीवन, वह तो पता नहीं। पर आप में से कई लोगों को अभी एक लम्बी पारी खेलनी है। इसलिये आज की यह बातचीत आपके किसी काम आ सके- ऐसी विजयजी की इच्छा है। हरि इच्छा, भगवान की इच्छा क्या है, पता नहीं। तो चलिये जिसे खुद तैरना नहीं आता, उससे तैरना सीखते हैं!

मेरा जीवन, मेरा अनुभव कोई गहरा तो है नहीं, इसलिये इतने उथले पानी में तैरना सीखने-सिखाने में यों भी कोई खास डर की बात नहीं होगी!

जहाँ से हमने बात शुरू की थी, एक बार वापस वहीं लौटें। पिछले कोई 200-300 बरसों से पूरी दुनिया में तेज हवा चल रही है। पहले भी हवा चलती रही होगी पर तब पूरी दुनिया एक दूसरे से बहुत दूर थी और कटी

इस दुनिया में हम कितने भी बड़े उद्देश्य को लेकर, लक्ष्य को लेकर दीया जलाते हैं, तेज हवा उसे टिकने नहीं देती। हम तरह-तरह से कोशिश करते हैं उसे अपनी हथेलियों से बचाने की, पर यह हवा है कि हमारी सारी कोशिशों पर पानी फेरती है। शायद हमारे जीवन के दीये में पानी ही ज्यादा होता है, तेल नहीं। स्नेह की कमी होगी इसलिये जीवन बाती चिड़चिड़-तिड़तिड़ ज्यादा करती है, एक-सी संयत होकर जल नहीं पाती। न हम अपना अन्धेरा दूर कर पाते हैं, न दूसरे का। कितना बचा होगा शेष जीवन, वह तो पता नहीं। पर आप में से कई लोगों को अभी एक लम्बी पारी खेलनी है। इसलिये आज की यह बातचीत आपके किसी काम आ सके- ऐसी विजयजी की इच्छा है। हरि इच्छा, भगवान की इच्छा क्या है, पता नहीं। तो चलिये जिसे खुद तैरना नहीं आता, उससे तैरना सीखते हैं!

हुई भी थी।

उस दुनिया में हवाएँ भी टुकड़ों में बँटी रही होंगी। जीवन तब भी कोई आसान न रहा होगा - एक बड़ी आबादी के लिये। फिर भी उतना कठिन और निरुद्देश्य भी नहीं रहा होगा, जितना कि वह आज बना दिखता है।

इस दुनिया में हम कितने भी बड़े उद्देश्य को लेकर, लक्ष्य को लेकर दीया जलाते हैं, तेज हवा उसे टिकने नहीं देती। हम तरह-तरह से कोशिश करते हैं उसे अपनी हथेलियों से बचाने की, पर यह हवा है कि हमारी सारी कोशिशों पर पानी फेरती है।

शायद हमारे जीवन के दीये में पानी ही ज्यादा होता है, तेल नहीं। स्नेह की कमी होगी इसलिये जीवन बाती चिड़चिड़-तिड़तिड़ ज्यादा करती है, एक-सी संयत होकर जल नहीं पाती। न हम अपना अन्धेरा दूर कर पाते हैं, न दूसरे का।

हम पढ़-लिख गए कुछ लोगों को ही जीवन का अर्थ जानने की इच्छा है। हम ही कुछ हैं जो मानते हैं कि अर्थमय जीवन कैसे जिएँ। लेकिन हम थोड़ा अपने भीतर झाँकें तो हममें से ज्यादातर का जीवन एक तरह से कोल्हू के बैल जैसा ही बना दिया गया है। इसमें कितना हमारा हाथ है, कितना हाथ परिस्थितियों का है, मालूम नहीं। पर हम गोल-गोल घूमते रहते हैं। आँखों पर पट्टी बाँधे।

कोल्हू के बैल की पट्टी तो कोई और बाँधता है, यहाँ तो हम खुद अपनी पट्टी बाँधते हैं। फिर एक-सा जीवन जीते-जीते थकने लगते हैं। दिल्ली की गाड़ियों को तो सम-विषम, ऑड-ईवन नम्बर के ताजे नियम से कुछ आराम भी मिलने लगा है। पर हमारे जीवन की गाड़ी का कोई नम्बर नहीं होता।

आधार कार्ड बन गया होगा, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र होगा। तब भी हमारे जीवन का कोई नम्बर नहीं होता है। इसलिये इसे रोज कोल्हू में, एक न दिखने वाले कोल्हू में, अदृश्य कोल्हू में जुतना ही है।

तो एक-सा जीवन जीते जाने की थकान से ही हमें नई-नई बातें सूझती हैं। कोल्हू का बैल अपनी तरक्की, अपने लिये नए अवसर, अपने लिये नए सार्थक अवसर की खोज करता है। नया पैकेज खोजता है। विजयजी चाबुक मार दें तो बैल कोल्हू में घूमते-घूमते अपने जीवन का अर्थ भी खोजने लगता है! कोल्हू का बैल। वह इस विषय पर भाषण भी देने लगे तो आप अचरज न करें।

कोल्हू कई तरह के हैं, महंगे हैं, कम घेरे के हैं, बड़े-बड़े घेरों के हैं। कई तरह के विचारों के हैं तो कई तरह के धर्मों के हैं। इनमें से हरेक अपने को बाकी बचों से श्रेष्ठ मानता है। सर्वोत्तम। और उसी में अपना जीवन सफल सार्थक हो सकता- ऐसा दावा करता है।

समाज का तना कमजोर होता जाता है पर शाखाओं की संख्या बढ़ती जाती है। पेड़ वाली शाखाएँ नहीं। संगठन वाली, संघ वाली शाखाएँ। हर विचार, हर धर्म अपना झंडा लहराता है और दूसरे झंडों से ऊपर उठना चाहता है। हम कुछ विचारों को अच्छा मानते हैं, कुछ को घटिया। तो हमें लगता है हमारा विचार कैसे फैले।

कल तक हम एक विचार को मानते थे, आज हमें उसकी कुछ सीमाएँ दिख गईं तो हमने उसे बिना मोह के छोड़ दिया। यह तो गुण ही कहलाएगा। कुछ बड़े अच्छे लोगों का जीवन बम बनाने से शुरू होता है पर बाद में उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा भी दिखाई देती है। लेकिन यदि यह गुण है तो दूसरे को भी ऐसी छूट, ऐसा अवसर देना होगा। वह तो हम देना नहीं चाहते। पहले किसी एक विचार से मित्रता और फिर उससे भिन्नता, उससे अलग होना हमें बस षड्यंत्र ही दिखता है।

जीवन की सारी सार्थकता हमें अपने ही विचार को फैलाने में दिखने लगती। हिंसा को परिवर्तन का साधन बनाने वाले भी अपनी शाखाएँ बढ़ाते चलते हैं और यही प्रवृत्ति अहिंसा को मानने वालों में भी मिलती है। सबको अपना संगठन बढ़ाना है, बड़ा करना है। बजट बढ़ाना है, कार्यकर्ता बढ़ाना है। कार्यक्रम, गतिविधियाँ बढ़ानी है। दिन दूनी, रात चौगुनी उन्नति करनी है- इसी में हमें जीवन सफल होता दिखने लगता है।

हमें अपने विचार की कमियाँ नहीं दिखती। आँख में पट्टी बँधी रहती है। पर दूसरे विचारों की कमियाँ हमें एक्सरे की तरह बेहद साफ दिखने लगती हैं। सारा जहान देखा हो या न देखा हो हम कविता लिख जाते हैं, गीत गाते जाते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा...।

समाज का तना कमजोर होता जाता है पर शाखाओं की संख्या बढ़ती जाती है। पेड़ वाली शाखाएँ नहीं। संगठन वाली, संघ वाली शाखाएँ। हर विचार, हर धर्म अपना झंडा लहराता है और दूसरे झंडों से ऊपर उठना चाहता है। हम कुछ विचारों को अच्छा मानते हैं, कुछ को घटिया। तो हमें लगता है हमारा विचार कैसे फैले। कल तक हम एक विचार को मानते थे, आज हमें उसकी कुछ सीमाएँ दिख गईं तो हमने उसे बिना मोह के छोड़ दिया। यह तो गुण ही कहलाएगा। कुछ बड़े अच्छे लोगों का जीवन बम बनाने से शुरू होता है पर बाद में उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा भी दिखाई देती है। लेकिन यदि यह गुण है तो दूसरे को भी ऐसी छूट, ऐसा अवसर देना होगा। वह तो हम देना नहीं चाहते।

विनोबा इस गीत में थोड़ा कुछ और जोड़कर एक बड़ी बात की तरफ इशारा कर देते हैंः सारे जहाँ से अच्छा ह्यक्योंकिह्ण हिंदोस्ता हमारा। इस क्योंकि को अपने जीवन से अलग करना बहुत ही कठिन काम है। क्योंकि मेरा विचार, मेरा धर्म, मेरी संस्था, मेरा संगठन, मेरा समाज, मेरा देश, मेरा बेटा-बेटी। कहीं दामाद भी।

न जाने कितने सौ बरस पहले लिखे गए संस्कृत नाटक ह्यमृच्छकटिकमह्ण में एक ऐसा ही रिश्ता राजा के साले का भी सामने आ गया था। संक्षेप में कहें तो क्योंकि मेरा कोल्हू। गोल-गोल घूमते रहने से कुछ परिणाम तो आते ही हैं। कुछ तेल निकल आता है। थोड़ी-बहुत खली भी मिलती है। बैल को अगले दिन घूमते रहने के लिये प्रायः ठीक-ठाक चारा मिल जाता है। ठीक न हो तो फिर असन्तोष भी।

मैं खोज तो नहीं पाया हूँ, पर कहीं विनोबा ने कहा है कि वेदों में युद्ध का एक नाम ह्यमम सत्यह्ण भी है। मेरा सच, बस मेरा सत्य। इसमें युद्ध के न सही, विवादों के बीज तो छिपे रहते ही हैं। पिछले वर्ष इन्हीं दिनों में अफ्रीका के एक भाग में एक भयानक वायरस फैला था- ई बोला। न जाने कितनी जानें गई थीं। तब हमारे मित्र दिलीप चिंचालकर ने ई बोला वायरस के साथ आई बोला वायरस भी कहा था, यानी मैं बोला वायरस।

फिर और न जाने कब हमें हमारा यह इतना प्रिय सत्य अचानक अर्धसत्य लगने लग जाता है। तब उसे छोड़ हम एकदम उससे उल्टे किसी सत्य से जुड़ जाते हैं। अपने आसपास टटोलकर देखें। छोटे से लेकर कई बड़े नाम विचारों की अदला-बदली में यहाँ से वहाँ घूमते मिल जाएँगे। यों यह कोई गलत बात भी नहीं है।

जीवन यात्रा में एक विचार यात्रा भी चलती है। इसे अच्छे अर्थों में देखें तो यह मन का, दिमाग का खुलापन भी लगेगा। कल तक हम एक विचार को मानते थे, आज हमें उसकी कुछ सीमाएँ दिख गईं तो हमने उसे बिना मोह के छोड़ दिया। यह तो गुण ही कहलाएगा।

कुछ बड़े अच्छे लोगों का जीवन बम बनाने से शुरू होता है पर बाद में उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा भी दिखाई देती है। लेकिन यदि यह गुण है तो दूसरे को भी ऐसी छूट, ऐसा अवसर देना होगा। वह तो हम देना नहीं चाहते। पहले किसी एक विचार से मित्रता और फिर उससे भिन्नता, उससे अलग होना हमें बस षड्यंत्र ही दिखता है।

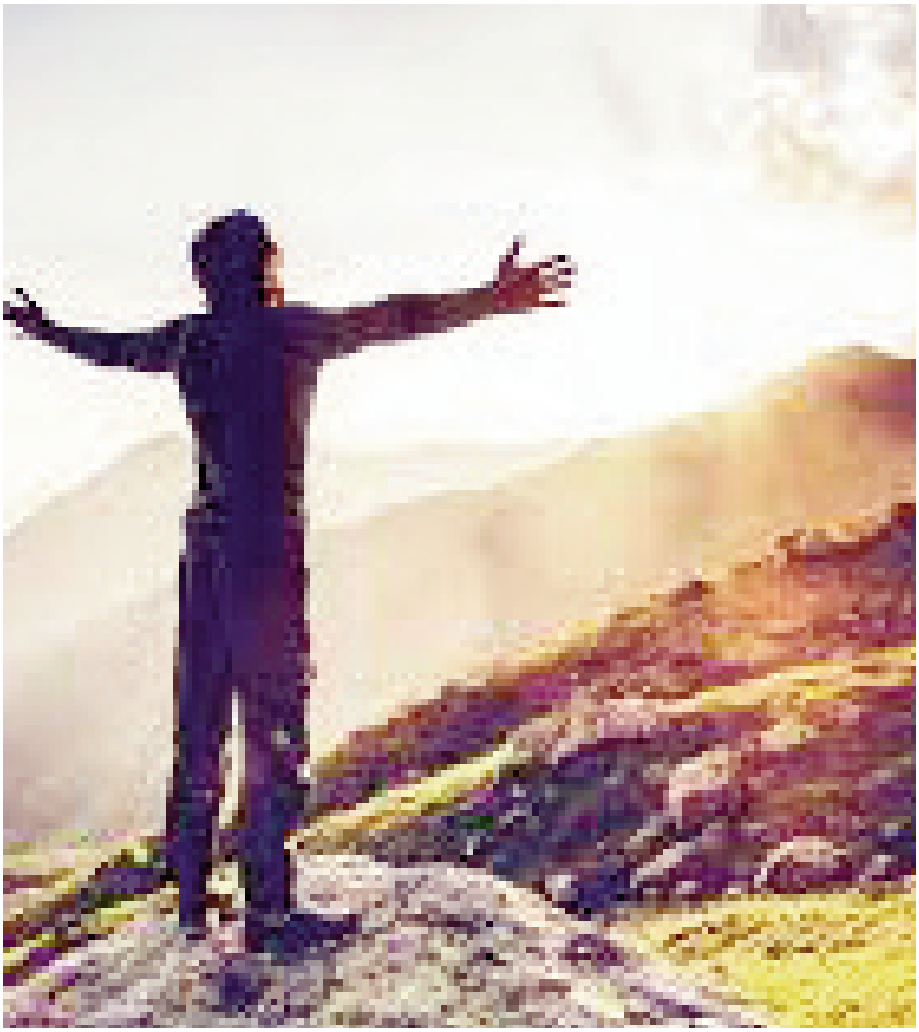

इसलिये जीवन का अर्थ जानने के लिये यदि हम किसी एक विचार, एक धर्म, एक समाज, एक परम्परा में रहस्य खोजते रहे तो हम खुद तो कुछ सन्तोष शायद पा बैठें, पर इससे सबको अर्थमय जीवन जीने का रास्ता नहीं मिलने वाला। अच्छा जीवन, अगर अपने आप में साध्य या मंजिल बन जाये तो शायद हम उस तक पहुँच भी न पाएँ। इसमें भटकाव की बहुत गुंजाईश बनी रहेगी।

पिछले दौर में एक खास तरह की नई पढ़ाई से पढ़ कर दो पीढ़ियाँ तो निकल ही चुकी हैं। इस पीढ़ी के ज्यादातर सदस्य बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे और बाहर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आदि में जा बसे हैं।

यदि सार्थक जीवन का अर्थ बस केवल अर्थ, यानी रुपया-पैसा है तो समाज के इस हिस्से के पास उसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन जीवन का अर्थ उनके हाथ भी आसानी से नहीं लग पाता। उनके पैसे का एक भाग जीवन जीने की कला सीखने पर भी खर्च हो चला है। इस कला को सिखाने वाले भी कोई एक नहीं अनेक लोग हैं।

इनके कपड़ों के रंग भी शुद्ध सफेद से लेकर गेरुआ, भगवा सब हैं। हजारों नहीं लाखों लोग कहीं योग या योगा करते हैं, ध्यान लगाते हैं, जाप या चांटिंग करते हैं। यह धर्म की नई दुनिया भी है, धर्म का नया बाजार भी और धर्म का नया मॉल भी। इसमें डोसा, परांठा कब से नहीं खाया- पूछने वाले गुरू भी हैं।

समाज के काम से जुड़े लोगों को ह्यचेंजह्ल, बदलाव, परिवर्तन जैसे शब्दों में विशेष आकर्षण मिलता है। धर्म के इस बाजार में भी चेंज शब्द आ गया है- ह्ययस आई कैन चेंजह्ल भी यहाँ चला है और अब ह्यन्यूह्ल भी लग गया है इसमें।

इस युग का मुख्य धर्म है, इस समय का मुख्य विचार है- विकास। हर चीज का विकास। संगठन का, देश का, शहरों का विकास, गाँवों का विकास, बाल विकास, महिला विकास। सब तरह के विचारों के झंडे इस विकास के झंडे में आकर समा जाते हैं। इस युगधर्म ने जीवन के अर्थ को भी प्रभावित किया है। हम सब चाहे जो भी काम करते हों, हम सब पर जाने-अनजाने इस विकास की छाया पड़ती ही है।

और इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि इन सब कामों से हजारों लोगों को कुछ-न-कुछ लाभ भी हुआ ही है। उनका भटकता हुआ मन कुछ शान्त हुआ होगा। तो कलियुग में धर्मयुग का यह अवतरण अच्छा ही मान लेते हैं। लेकिन धर्मयुग से मिलता-जुलता एक और शब्द है- युगधर्म। इस युग का मुख्य धर्म है, इस समय का मुख्य विचार है- विकास। हर चीज का विकास।

संगठन का, देश का, शहरों का विकास, गाँवों का विकास, बाल विकास, महिला विकास। सब तरह के विचारों के झंडे इस विकास के झंडे में आकर समा जाते हैं। इस युगधर्म ने जीवन के अर्थ को भी प्रभावित किया है। हम सब चाहे जो भी काम करते हों, हम सब पर जाने-अनजाने इस विकास की छाया पड़ती ही है।

इस युग का मुख्य धर्म है, इस समय का मुख्य विचार है- विकास। हर चीज का विकास। संगठन का, देश का, शहरों का विकास, गाँवों का विकास, बाल विकास, महिला विकास। सब तरह के विचारों के झंडे इस विकास के झंडे में आकर समा जाते हैं। इस युगधर्म ने जीवन के अर्थ को भी प्रभावित किया है। हम सब चाहे जो भी काम करते हों, हम सब पर जाने-अनजाने इस विकास की छाया पड़ती ही है। और इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि इन सब कामों से हजारों लोगों को कुछ-न-कुछ लाभ भी हुआ ही है। उनका भटकता हुआ मन कुछ शान्त हुआ होगा। तो कलियुग में धर्मयुग का यह अवतरण अच्छा ही मान लेते हैं। लेकिन धर्मयुग से मिलता-जुलता एक और शब्द है- युगधर्म। इस युग का मुख्य धर्म है, इस समय का मुख्य विचार है- विकास। हर चीज का विकास। संगठन का, देश का, शहरों का विकास, गाँवों का विकास, बाल विकास, महिला विकास।

यह अनायास, अकारण नहीं है कि एक बाबा हरिद्वार में ह्यफूड पार्कह्ल बनाते हैं और दूसरे बाबा अमेठी में इसी नाम से, मिलते-जुलते नाम से नहीं, इसी नाम से फूड पार्क बनाते हैं। एक बाबा का फूड पार्क बन जाता है पर अमेठी का फूड पार्क राजनैतिक पचड़ेबाजी में फँस जाता है। पर दोनों का मन एक ही है।

विकास की इस दौड़ में हम सबको दौड़ना ही पड़ता है। इस चूहा-दौड़ में दौड़ना ही है। पीछे रहें या आगे, यह विचित्र दौड़ हमें चूहा तो बनाती ही है।

अर्थमय जीवन की चर्चा तो काफी गम्भीर होनी चाहिए। हमारी यह चर्चा कोल्हू, बैल और चूहे जैसी घटिया हो गई है तो आप सबसे क्षमा माँगते हुए मैं थोड़ा-सा लिफ्ट कर देता हूँ। इसे थोड़ा ऊपर उठाता हूँ। अभी तीन दिन पहले ही ह्यलिफ्ट करा दे केह्ल गायक को भारत की नागरिकता मिली है। उन्होंने बयान में कहा है कि यह उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अदनान सामी का जीवन सफल हो गया है, अर्थमय बन गया है उनका जीवन।

क्या सचमुच ऐसा है? अर्थमय जीवन की ये हमारी अपनी छोटी-छोटी परिभाषाएँ हैं। भारत की इस मिली-मिलाई नागरिकता को तो कई लोग छोड़ यूरोप, अमेरिका, कनाडा की नागरिकता पाने आतुर हैं। फिर आज दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या भी सबसे ज्यादा हो गई है, जिनकी कोई नागरिकता ही नहीं बच पाई है।

युद्ध, गृह युद्ध और बहुत दूर के दादा देशों की दखलंदाजी से कुछ लाख लोग शरणार्थी बने इधर से

उधर भटक रहे हैं। उन पर आज क्या बीत रही होगी, हम सोच भी नहीं सकते। ऐसी दुनिया में सिर पर छत तो दूर की बात है, सिर पर एक आड़ और भरपेट नहीं, मुट्ठी भर अगला भोजन मिल जाये उतना ही अर्थ रह जाता है उनके जीवन का।

गाँधीजी ने तो आजादी की लड़ाई के बीच में भी भूखे के भगवान की कल्पना कर दिखाई थी। उसके सामने भगवान भी रोटी के रूप में आने के अलावा कोई और रूप धारण कर ही नहीं सकता। हिम्मत भी नहीं कर सकता।

अर्थमय जीवन के इस रोटी-रूप को लेकर भी दुनिया भर में अनेक विचारकों, चिन्तकों, क्रान्तिकारियों ने कई तरह के शास्त्र रचे हैं, उन्हें अमल में उतारने के संगठन भी बनाए हैं। पर उन समाजों में भी जीवन का अर्थ एकदम साफ समझ में आ गया हो- इसका कोई पक्का रूप दिखता नहीं। आज से कोई 25-30 बरस पहले हम लोग पानी, तालाब आदि पर कुछ काम कर रहे थे। उस विषय को समझने के लिये इधर-उधर जिज्ञासा में भटकते थे। हमारे कारण कुछ और साथी भी इसमें चीजें जुटाने में हमारे साथ हो लिये।

राकेश दीवान तालाबों को समझने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा पर बैतूल इलाके में घूम रहे थे। वहाँ उन्होंने एक राजा का किस्सा सुना। तालाब तो इस किस्से में आएगा ही, पर इसमें पहले तो जीवन के अर्थ की खोज ही थी।

जन्म के बाद एक दौर तो अबोध बने रहने का ही होता है। पर अबोध का ह्यअह्न तो हट जाता है, बचपन में ही, बोध तो हाथ नहीं आता। लगता है तीन अक्षर के इस शब्द अबोध का ह्यअह्न हटते ही पूरे तीनों अक्षर हमारे हाथ से छूट जाते हैं। न हम अबोध रहते हैं न हमें बोध हो पाता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आये हैं, कहाँ जाएँगे। हम भटकते रह जाते हैं। मंजिल का तो पता नहीं रहता पर हम उस मंजिल तक की यात्रा का भी मजा नहीं ले पाते, आनन्द नहीं ले पाते।

राजाओं का, प्रायः शासन करने वालों का स्वभाव जरा अलग ही रहता है। सांसारिक राजा को न जाने क्या हुआ कि उन्हें अपने जीवन का अर्थ जानने की इच्छा हो गई। किसी सलाहकार ने उन्हें बता दिया कि बस ब्रह्म जान लो, सब अर्थ पता चल जाएगा। ह्नतो तुम बता दो ब्रह्म के बारे में, राजा ने उससे कहा था। यह तो बड़ा काम है राजा, हमें तो पता नहीं ब्रह्म का। पर इतना तो पक्का है कि ब्रह्म जान लो तो सब पता चल जाएगा।ह्व कौन बताएगा फिर ब्रह्म नाम की बला? सलाह मिली कि राज्य के सारे ज्ञानियों को, सन्तों को, साधुओं को जमा करो। सम्मेलन करो उस समय के किसी विज्ञान भवन में। उनमें से कोई-न-कोई तो ज्ञान दे ही देगा, ब्रह्म बता ही देगा!

ब्रह्म जानने, जीवन का अर्थ जानने, राजा का जीवन अर्थमय बनाने के लिये विराट आयोजन की तैयारियाँ शुरू हुईं। राज्य के ही नहीं राज्य से बाहर के भी ज्ञानियों का न्यौता भेजा गया। अब ये शासन करने वालों की भी तो कुछ सनक होती है। ब्रह्म ज्ञान बताने का नहीं, ब्रह्म ज्ञान सुनने का तरीका क्या होगा- यह तय किया राजा ने।

गोलमेज, राउंडटेबल कांफ्रेंस नहीं। राजा ने कहा कि सम्मेलन स्थल पर मैं अपने भव्य सफेद घोड़े के साथ खड़ा रहूँगा। एक-एक कर ज्ञानी आएँगे। मैं रकाब

युद्ध, गृह युद्ध और बहुत दूर के दादा देशों की दखलंदाजी से कुछ लाख लोग शरणार्थी बने इधर से उधर भटक रहे हैं। उन पर आज क्या बीत रही होगी, हम सोच भी नहीं सकते। ऐसी दुनिया में सिर पर छत तो दूर की बात है, सिर पर एक आड़ और भरपेट नहीं, मुट्ठी भर अगला भोजन मिल जाये उतना ही अर्थ रह जाता है उनके जीवन का। गाँधीजी ने तो आजादी की लड़ाई के बीच में भी भूखे के भगवान की कल्पना कर दिखाई थी। उसके सामने भगवान भी रोटी के रूप में आने के अलावा कोई और रूप धारण कर ही नहीं सकता। हिम्मत भी नहीं कर सकता।

पर एक पैर रखूँगा और घोड़े पर चढ़ूँगा। दूसरा पैर दूसरी तरफ की रकाब में जाएगा ही बस इतनी ही देर में ज्ञानी को ब्रह्म के बारे में बताना होगा। नहीं बता पाया तो मैं अपनी एड़ी से घोड़े को इशारा करुँगा।

घोड़ा फुर्र से उड़ जाएगा। जो इतने क्षणों में, इतने सेकेंड में ब्रह्म ज्ञान दे दे- उसे भारी इनाम। जो न बता पाये इतनी-सी देर में, उसे कुछ सजा भी देने की बात थी। पर उस विस्तार में जाना जरूरी नहीं। रकाब में पाँव, ब्रह्म दिखांव- यह था नारा राजा का।

लम्बा किस्सा थोड़े में समेटना हो तो यही बताया जा सकता है कि राजा का पाँव रकाब में जाता और घोड़ा फुर्र से उड़ जाता। राजा का जीवन अर्थमय कैसे बने, इस चक्कर में कई लोगों को कोड़े खाने पड़े। लेकिन फिर एक ज्ञानी आया। राजा ने पैर उठाया ही था कि उसने जोर से कहा, ह्नअकाल पड़ा है, तुझे ब्रह्म की पड़ी।ह्व बस। राजा घोड़ा नहीं दौड़ा पाया। उतर गया नीचे। क्या पता उसे ब्रह्म दिख गया होगा। फिर उस इलाके में राजा-प्रजा ने, इन ज्ञानियों ने, कोड़े खाने वालों ने भी मिलकर इतने सारे तालाब बनाए कि फिर वहाँ कभी ऐसा अकाल पड़ा नहीं। इस तरह के किस्से जीवन का अर्थ जानने की अलग-अलग खिड़कियाँ खोलते हैं। इससे यह भी प्रश्न उठता है कि खुद अकेले ही जीवन का अर्थ जान लेना है या और भी कई को साथ लेकर इसे पाना है। अकेले किसी गुफा में अर्थमय जीवन का लड्डू खा लेना है यानी एकवचन या बहुवचन में, सबके साथ दावत देकर।

अकेला ऊपर उठ जाना है या बहुतों के साथ थोड़ा-सा ऊपर उठना है। फिर इस किस्से में एक परत समय की, काल की भी है। इस मीठे रहस्य को कुछ समय के लिये पाना है या बड़े लम्बे समय के लिये।

अर्थ की खोज आप लगभग हर समाज में कुछ हजार साल पुराने शास्त्र के तरीके से करते हैं। शास्त्री के तरीके से करते हैं या एक मिस्त्री के तरीके से- यह भी सोचना पड़ेगा। फिर एक तरीका है सोचने का। सोचना शब्द सरल लगे तो इसे कठिन बना लें- चिन्तन करने का भी एक तरीका है। चिन्तन से बात जीवन पर आती है।

यह जीवन अपने आप में क्या बला है। हमें कब पता चलता है कि हम जीवन जी रहे हैं? साँस तो हम जन्म से पहले ही लेने लगते हैं। हमारा प्राण, हमारा हृदय तो न जाने कब बन जाता है। जीव विज्ञान या शरीर विज्ञान की भी समझ जरूरी नहीं।

जन्म के बाद एक दौर तो अबोध बने रहने का ही होता है। पर अबोध का ह्यअह्न तो हट जाता है, बचपन में ही, बोध तो हाथ नहीं आता। लगता है तीन अक्षर के इस शब्द अबोध का ह्यअह्न हटते ही पूरे तीनों अक्षर हमारे हाथ से छूट जाते हैं। न हम अबोध रहते हैं न हमें बोध हो पाता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आये हैं, कहाँ जाएँगे। हम भटकते रह जाते हैं। मंजिल का तो पता नहीं रहता पर हम उस मंजिल तक की यात्रा का भी मजा नहीं ले पाते, आनन्द नहीं ले पाते।

शिकायत करते रह जाते हैं, खुद अपने से, अपने दुश्मनों से तो छोड़िए, अपने मित्रों से, अपने समाज से और जिसे जालिम जमाना कहते हैं उससे तो न जाने कितनी शिकायतें करते ही चले जाते हैं। हमारी पूरी जीवन यात्रा, लगता है शिकायतों के ईंधन से चल पाती है। और फिर हमारी जीवन की यह गाड़ी इतना काला धुआँ छोड़ती है कि दूसरों के फेफड़े तो खराब होते ही हैं, खुद हमारे फेफड़े भी उससे बच नहीं पाते। मामूली किस्म की सर्दी-खाँसी आदि से बचने, शरीर की थोड़ी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली इस चटनी में 45 चीजें पड़ती हैं तो जरा सोचिए, हिसाब तो लगाइए कि एक भरा-पूरा जीवन अर्थमय बनाने में कितनी सारी चीजों की जरूरत पड़ती होगी। इसमें भी हम शरीर शास्त्र की तरफ नहीं जाएँ, वह हमारा काम नहीं, योग्यता तो बिलकुल नहीं। पर एक जीवन कैसे सार्थक बनता है, इसमें कितनी बातें जुड़ती हैं, घटती हैं, गुणा होती हैं, भाग होती हैं- सब जरा सोचें तो।

जो पहले कहा है वैसे कोल्हू के बैल हम बन जाते हैं। वही किस्सा पुराना है। फिर भी सजन झूठ बोलते रहते हैं, लड़कपन खेल में खोते रहते हैं, जवानी नींद भर सोते रहते हैं और बुढ़ापा देख रोते रहते हैं। कवि शैलेन्द्र के ये बोल निकले तो बम्बईया फिल्म से हैं। पर इनमें आपको दर्शन की एक लम्बी परम्परा का निचोड़ दिखेगा।

पता नहीं कितने हजार बरस पहले एक ऋषि ने एक खास तरह की चटनी बनाई थी। उन दिनों ब्रांडनेम का जमाना नहीं था, फिर भी इस चटनी को, प्राश को उस ऋषि का ब्रांडनेम, ठप्पा मिल गया।

आज उसे भले ही कोई भी बनाए, नाम तो उसे यही देना पड़ता है- च्यवनप्राश। पर हम यहाँ इस चटनी की चर्चा स्वास्थ्य वाले प्रसंग में नहीं कर रहे हैं। आयुर्वेद बताता है कि इस चटनी में पूरी 45 तरह की चीजें, जड़ी-बूटियाँ, अत्ते-पत्ते, गुड़, आँवला, फल-फूल आदि डाले जाते हैं।

मामूली किस्म की सर्दी-खाँसी आदि से बचने, शरीर की थोड़ी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली इस चटनी में 45 चीजें पड़ती हैं तो जरा सोचिए, हिसाब तो लगाइए कि एक भरा-पूरा जीवन अर्थमय बनाने में कितनी सारी चीजों की जरूरत पड़ती होगी। इसमें भी हम शरीर शास्त्र की तरफ नहीं जाएँ, वह हमारा काम नहीं, योग्यता तो बिलकुल नहीं। पर एक जीवन कैसे सार्थक बनता है, इसमें कितनी बातें जुड़ती हैं, घटती हैं, गुणा होती हैं, भाग होती हैं- सब जरा सोचें तो। सिर्फ अच्छी परिस्थितियाँ, अच्छी राय, संगतियाँ, अच्छा

परिवेश, अच्छे अवसर ही नहीं, एक भरे-पूरे जीवन में विरोधी परिस्थितियाँ, विसंगतियाँ, जय-पराजय, मन की शान्ति और आसपास का कोलाहल, हल्ला-गुल्ला यानी नई भाषा में कहें तो जिन्दाबाद-मुदार्बाद सबका मिला-जुला रूप, आकार लेकर बनता है- हमारा जीवन। कुछ हजार साल का इतिहास उठाकर देखें। महाभारत में एक पक्ष जीत जाता है। पर उस जय का परिणाम क्या है? युधिष्ठिर को उस जय से क्या मिलता है? वे कहते हैं, यह जय तो उस पराजय से भी बुरी है। जय-पराजय तो छोड़िए, मृत्यु तक से जीवन बनता है।

अपना जीवन भी और आने वाले दौर का जीवन भी। ऐसे कई उदाहरण हैं, यहाँ उन्हें दोहराने की जरूरत नहीं। पर आज से 67 बरस पहले यानी सन 1948 को इसी महीने की तीस तारीख को एक जीवन अपनी मृत्यु से कितना अर्थमय बन गया था।

तो 45 चीजों से बनी एक साधारण चटनी, प्राश और यह हमारा जीवन। उस तराजू पर हम जीवन तोलें तो एक अन्दाज लगेगा कि अपने जीवन को पौष्टिक, स्वादिष्ट या कहें सार्थक, अर्थमय बनाने में लाखों, करोड़ों चीजों को छानना, भूनना, कूटना, उबालना, घोंटना पड़ेगा। और कुछ नहीं तो पंचमहाभूतों की जरूरत पड़ेगी ही। पर यह प्रकृति बड़ी ही मजेदार चीज है। उसने जीवन को बड़ा सरल बनाया है। जीवन तक जाने से पहले प्रकृति की बनाई एक और चीज देखें। बरगद का पेड़। और उसका बीज? राई के दाने से भी छोटा। इतने से बीज से ऐसा विशाल बरगद। वह भी और पेड़ों की तरह एक तने वाला नहीं। यहाँ तो तने भी अनगिनत हैं। उमर भी ऐसी सार्थक, इतनी अर्थमय कि 5-10 पीढ़ियाँ उस बरगद के नीचे छाया पा लें।

उसकी शाखाओं में पक्षियों की अनगिनत जातियाँ घोंसला बना लें और लाखों चिड़ियाँ खाना खा लें। कपड़ा उन्हें चाहिए नहीं, रोटी और मकान का इन्तजाम पक्का। हमारा तो एक नेता इतना करने- रोटी, कपड़ा और मकान जुटाने के नाम पर क्या-क्या नहीं करता। फिर भी कुछ नहीं कर पाता।

वापस लौटें अर्थमय जीवन जीने के लिये। ऐसा जीवन बनाने के लिये कितनी चीजें चाहिए। च्यवनप्राश में तो 45 चीजें लगेंगी ही। तो उस गुणा-भाग से यहाँ तो लाखों करोड़ों चीजें चाहिए। कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, कितने दाम में मिलेंगी सबको।

जीवन जी रहे सारे जीवों को यह सब एक दाम पर मिल पाएगी? यह सब मिल गया तो सार्थक जीवन यात्रा की प्रामाणिकता क्या होगी। मामूली रेल-यात्रा, हवाई जहाज की यात्रा भी आज तो बिना आई.डी.प्रूफ, आधार कार्ड के आप कर नहीं सकते तो फिर एक सार्थक लम्बी जीवन यात्रा क्या बिना आई.डी. के हो पाएगी?

तो क्या-क्या चाहिए की लम्बी सूची बनाने के पहले एक और बाजारू उत्पादन पर लौटें। च्यवनप्राश से यह जरा अलग चीज है। फ्रांस में सुगन्ध का बड़ा कारोबार करने वाली एक कम्पनी है शनेल। बनाने को तो ये न जाने कितनी चीजें बनाती है, शायद एकाध करोड़ में बिकने वाली हाथ घड़ियाँ भी। पर इसकी सबसे ज्यादा प्रसिद्धि ह्यशनेल-5ह्ल नाम की एक सुगन्ध से हुई है। कोई तीन अंगुल की छोटी-सी खुबसूरत शीशी का दाम होता होगा पाँच हजार रुपया। जीवन जी रहे सारे जीवों को यह सब एक दाम पर मिल पाएगी? यह सब मिल गया तो सार्थक जीवन यात्रा की प्रामाणिकता

अपना जीवन भी और आने वाले दौर का जीवन भी। ऐसे कई उदाहरण हैं, यहाँ उन्हें दोहराने की जरूरत नहीं। पर आज से 67 बरस पहले यानी सन 1948 को इसी महीने की तीस तारीख को एक जीवन अपनी मृत्यु से कितना अर्थमय बन गया था। तो 45 चीजों से बनी एक साधारण चटनी, प्राश और यह हमारा जीवन। उस तराजू पर हम जीवन तोलें तो एक अन्दाज लगेगा कि अपने जीवन को पौष्टिक, स्वादिष्ट या कहें सार्थक, अर्थमय बनाने में लाखों, करोड़ों चीजों को छानना, भूनना, कूटना, उबालना, घोंटना पड़ेगा। और कुछ नहीं तो पंचमहाभूतों की जरूरत पड़ेगी ही।

क्या होगी। मामूली रेल-यात्रा, हवाई जहाज की यात्रा भी आज तो बिना आई.डी.प्रूफ, आधार कार्ड के आप कर नहीं सकते तो फिर एक सार्थक लम्बी जीवन यात्रा क्या बिना आई.डी. के हो पाएगी? तो क्या-क्या चाहिए की लम्बी सूची बनाने के पहले एक और बाजारू उत्पादन पर लौटें। च्यवनप्राश से यह जरा अलग चीज है।

दुनिया भर में शौकीन लोगों के बीच नाम कमाने वाली इस महंगी सुगन्ध में च्यवनप्राश की तरह ही एक निश्चित मात्रा में निश्चित चीजें शामिल हैं। जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ कितने टन-मन आदि। यह सब सामग्री फ्रांस के खेतों से लेकर दुनिया भर के वर्षा वनों, घने जंगलों से ली जाती है। लेकिन यदि किसी एक वर्ष इस सूची में से एक भी चीज उस मात्रा में न मिल पाये, उस गुणवत्ता की न हो तो उस बार शनेल-5 का उत्पादन रोक दिया जाता है। इतनी महंगी सुगन्ध की सार्थकता उस कम्पनी को दिखती नहीं। पर जीवन की सुगन्ध? प्रकृति जीवन की सार्थक सुगन्ध के साथ शनेल-5 जैसा काम करे तो शायद जीवन चले ही नहीं। किसी का भी जीवन ठप्प हो जाये।

जीवन को सार्थक बनाने में तो क्या-क्या चाहिए के बदले क्या-क्या नहीं चाहिए वाली सूची भी काम दे जाती है। आँखें नहीं, कान नहीं, मुँह नहीं- यानी अन्धी, बहरी और गूँगी होने के बाद भी अमेरिका की हेलेन केलर ने न सिर्फ अपने जीवन को भरपूर अर्थ दिया, उन्होंने आने वाले ऐसे लाखों लोगों को रास्ता भी दिखाया। उनकी जीवनी दुनिया भर में पढ़ी जाती है, उनकी सूक्तियाँ न जाने कितनों को कठिन दौर में, घोर निराशा में सम्बल और सहारा देती हैं। इसी तरह का एक और उदाहरण। लुई ब्रेल ने अपने बचपन में इस दुनिया को, उसके सब तरह के रंगों को, पूरे इन्द्रधनुष को अच्छी तरह से देखा था। पर फिर आँखों की रोशनी चली गई। घुप्प अन्धेरा छा गया। उजाला देख लेने के बाद तो अन्धेरा और भी ज्यादा काला हो जाता है।

लुई ब्रेल ने अपने अन्धेरे में खुद उजाला बनाया। एक ऐसी लिपि, स्क्रिप्ट खोजी, जिसमें लिखी गई भाषा नेत्रहीन भी पढ़ सकें। इतने बड़े काम के बाद भी उन्हें अपने जीते जी कोई बहुत वाहवाही नहीं, कहीं कोई प्यार नहीं मिला। लेकिन उनके सार्थक जीवन का महत्त्व उनकी मृत्यु के बाद फ्रांस को भी दिखा और फिर पूरी दुनिया को भी। आज न जाने कितनी भाषाएँ लुई ब्रेल की बनाई लिपि में लिखी जाती हैं, नेत्रहीनों द्वारा पढ़ी जाती हैं। हिंदी भी।

हेलन केलर, लुई ब्रेल और ऐसी न जाने कितनी विभूतियाँ हमें बताती हैं कि हमारे जीवन में चाहे जितनी चीजें कम हों- पैसा, प्यार, मान-सम्मान, अवसर, तरक्की- कोई भी चीज कम हो, न हो तो भी जीवन नहीं रुकता, जीवन रुकना नहीं चाहिए। आपदा यानी संकट। तो ऐसा कोई जीवन नहीं, जिसमें कल या आज आपद, आफत न आई हो, या कल न आये। आपातकाल लगाने की हैसियत तक पहुँची इंदिरा गाँधी का जीवन भी बिना आपद का था नहीं।

मेरे पिताजी कवि थे। उनकी एक बहुत छोटी-सी कविता है जिसमें वे बताते हैं कि निरापद कोई नहीं है। न तुम, न वे, न मैं। किसी की भी जिन्दगी दूध की धोई नहीं है। फिर अन्त में वे लिखते हैं: दूध किसी का धोबी नहीं है! हम को खुद अपना धोबी बनना पड़ेगा, खुद अपनी जिन्दगी खुद धोनी पड़ेगी- अगर हमें उस पर लगे दाग दिखने लगें। दूसरों के दाग तो हमें बराबर दिखेंगे ही। खैर, इस नई कविता से एक पुरानी कविता भजन तक चलें।

कबीर का एक सुन्दर भजन है- ह्यवा घर सबसे न्याराह्ल कुमार गंधर्वजी ने इसे और भी सुन्दर बना दिया है अपने स्वर से। इस घर से उस घर का परिचय है भजन में। बहुत-सी ऐसी बातें जो यहाँ इस जीवन में भरी पड़ी हैं, उस न्यारे घर में वे हैं नहीं। कबीर अपनी विशिष्ट शैली में बताते जाते हैं कि उस न्यारे घर में वेद भी नहीं है।

इस जीवन में इस घर में तो वेद, गीता, गुरुग्रंथ, कुरान, बाइबिल सब कुछ है। और इसी सब को लेकर तरह-तरह के झगड़े भी हैं जो होने नहीं चाहिए, फिर भी होते ही रहते हैं। बन्द ही नहीं हो पाते। उस न्यारे घर में न मूल है, न फूल, न बेल है न बीज। धर नहीं, अधर नहीं। न बाहर भीतर जैसा कुछ है। न ज्ञान है न ध्यान है। वहाँ पाप भी नहीं है और सबसे बड़ी बात तो कबीर यह कह जाते हैं कि वहाँ पुण्य का पसारा भी नहीं है। हमारे जीवन में पुण्य का सचमुच बड़ा पसारा हो जाता है। यह दिखता तो बड़ा सार्थक है पर प्रायः इसका पसारा इतना हो जाता है कि फिर हमें अपने पुण्य के आगे बाकी सब लोग पापी ही दिखते हैं। अपने जीवन की सार्थकता और शेष सारे जीवन की निरर्थकता। इस वृत्ति से मंत्रियों के मुखिया और देश के प्रधान भी नहीं बच पाते। तो उस न्यारे घर में यह सब नहीं है। वहाँ हम कब जाएँगे, जाएँगे भी कि नहीं, पता नहीं। पर इस घर में तो हम सब रह ही रहे हैं। थोड़ी-थोड़ी कोशिश करें तो कबीर के इस न्यारे घर के छप्पर से दो-चार तिनके तो हम अपने इस जीवन में ला ही सकते हैं। इसी भजन की एक पंक्ति में कबीर बताते हैं कि उस न्यारे घर में बिन ज्योति उजियारा है।

प्रारम्भ में हमने ऐसी सभाओं में एक दीया जलाने की कुछ बातें की थीं। जहाँ जलाया जा सके, वहाँ लोग दीया जलाएँ ही। पर न जल पाए आज की तरह तो कबीर के उस न्यारे घर की याद करें। मुझे पूरा भरोसा है कि अर्थमय जीवन में, जीवन के अर्थ को समझने की इस छोटी-सी कोशिश में आप सबकी उपस्थिति बिन ज्योति उजियारा कर देगी।

हरियाली को बेरंग करती बिजली

बुन्देलखण्ड का गाँव ग्याजीतपुरा सूखे और मौसम से जीतने में कामयाब रहा लेकिन व्यवस्था के हाथों वह मजबूर है।

. मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की मोहनगढ़ तहसील की बहादुरपुरा पंचायत का गाँव ग्याजीतपुरा। पिछले काफी समय से जल संरक्षण के अपने निजी उपायों और पारम्परिक और नगदी फसलों के मिश्रण के जरिए लाभ की खेती के चलते खबरों में बना यह गाँव अब व्यवस्था की मार झेल रहा है। आप प्रकृति से जीत सकते हैं लेकिन सरकारी मशीनरी से आसानी से नहीं।

यह बात ग्याजीतपुरा के निवासियों से ज्यादा भला कौन समझेगा? सूखे को ठेंगा दिखाकर अपनी हरियाली से सूरज को मुँह चिढ़ा रहा यह गाँव बिजली विभाग के हाथों मजबूर हो गया है। महज तीन लाख रुपए के बकाये के चलते न केवल गाँव की बिजली काट दी गई है बल्कि यहाँ का ट्रांसफॉर्मर ही स्थायी रूप से हटा दिया गया है। नतीजा सिंचाई के लिये पानी की कमी और हरी-भरी फसलों के सूखने की शुरूआत।

ग्याजीतपुरा के किसानों ने बारिश के पानी को रोका। उनसे सींचकर अपने खेतों को हरा-भरा बनाया। हरियाली इतनी कि एकबारगी यकीन ही नहीं हो कि यह भी बुन्देलखण्ड ही है। पपीते की लहलहाती फसल उनकी छाया में मिर्च और टमाटर, प्याज और अरबी के पौधे।

बुन्देलखण्ड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बँटे 13 जिलों का वह हिस्सा जो ऐतिहासिक तौर पर सूखे का शिकार है। मनुष्य तो मनुष्य पशुओं तक को दानापानी मुहैया नहीं है। जहाँ किसान आये दिन आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन इस सहरा में नखलिस्तान की तरह उभरे ग्याजीतपुरा ने बहुत जल्दी मॉडल गाँव की छवि ग्रहण कर ली।

पपीते की छोटी पौध। पपीते यहाँ के किसानों को अच्छा लाभ कमा कर दे रहे हैंखास बात यह है कि इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं था बल्कि यह गाँव वालों की खुद की लगन और उनके चाव का नतीजा था। लेकिन एक कहावत है न कि हर अच्छी चीज को एक-न-एक दिन खत्म होना होता है तो ग्याजीतपुरा की खुशियों को भी शासन व्यवस्था की नजर लग गई।

भले ही राज्य सरकार ने किसानों की बिजली काटने के लिये बकाये को बहाना न बनाने की ताकीद की हो लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। तकरीबन 246 परिवारों और 700 की आबादी वाले ग्याजीतपुरा की बिजली इसलिये काट दी गई क्योंकि इस गाँव पर बिजली बिल के 3 लाख रुपए बकाया है। गाँव के अधिकांश परिवार खेती पर निर्भर हैं। ऐसे में बिजली के संकट ने उनके माथे पर चिन्ता की लकीरें डाल दी हैं।

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की मोहनगढ़ तहसील की बहादुरपुरा पंचायत का गाँव ग्याजीतपुरा। पिछले काफी समय से जल संरक्षण के अपने निजी उपायों और पारम्परिक और नगदी फसलों के मिश्रण के जरिए लाभ की खेती के चलते खबरों में बना यह गाँव अब व्यवस्था की मार झेल रहा है। आप प्रकृति से जीत सकते हैं लेकिन सरकारी मशीनरी से आसानी से नहीं। यह बात ग्याजीतपुरा के निवासियों से ज्यादा भला कौन समझेगा? सूखे को ठेंगा दिखाकर अपनी हरियाली से सूरज को मुँह चिढ़ा रहा यह गाँव बिजली विभाग के हाथों मजबूर हो गया है।

गाँव के एक सफल किसान जयराम अहिरवार कहते हैं कि वे अपनी फसल को लेकर काफी उत्साहित थे लेकिन बिजली विभाग ने अचानक न केवल गाँव की बिजली काट दी बल्कि वह ट्रांसफार्मर भी उखाड़ ले गया। जाहिर है बिजली की वापसी की सारी सम्भावनाएँ इसके साथ ही समाप्त हो गईं।

जयराम और जानकी दोनों भाई ग्याजीतपुरा में जैविक खेती व जल संरक्षण से लाभान्वित होने वाले प्रमुख किसानों में शामिल हैं52 वर्षीय जयराम कहते हैं कि गाँव पर बिल जमा नहीं करने का आरोप बेबुनियाद है। गाँव के कई परिवार जो सूखे के चलते बहुत पहले पलायन कर चुके हैं। उनका ही बिल बकाया है। भला उनका बिल कोई और क्यों जमा करेगा? सरकार को उन घरों की बिजली काटनी चाहिए थी लेकिन इसके बदले पूरे गाँव की बिजली काट दी गई।

कुआँ गाँव वालों के लिये पानी और सिंचाई का साधन था अब वह बेकार साबित हो रहा है क्योंकि हाथ से पानी खींचकर इतने बड़े पैमाने पर सिंचाई करना सम्भव नहीं है। बिजली विभाग के स्थानीय एसडीओ पीएन यादव यह स्वीकार करते हैं कि गाँव पर बिजली का बकाया है इसलिये बिजली काटी गई है। हालांकि

वह जिलाधिकारी प्रियंका दास सूखे के दौर में बिजली काटे जाने को अनुचित बताती हैं। उन्होंने कहा है कि वह स्वयं इस प्रकरण को देखेंगी और जल्द निराकरण किया जाएगा।

बहरहाल, अगर थोड़ी देर के लिये हम इस हालिया संकट को भुला दें तो यह पूरा गाँव अपनी हरियाली से आपको मुग्ध कर देगा। स्थानीय किसान पानी के लिये आत्मनिर्भर हैं और वे अपने खेतों में पूरी तरह जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। गेहूँ और सोयाबीन जैसी फसल के अलावा वे फल सब्जियों की नकदी किस्म जैसे कि पपीता, अरबी, मिर्च और टमाटर आदि की खेती करके अच्छी खासी राशि अर्जित करते आये हैं। लेकिन सवाल है कि यह कैसे हुआ? गाँव वालों ने अपने-अपने खेतों में छोटे-छोटे पोखर बना रखे हैं। वे वर्षाजल तथा हर तरह के पानी के संरक्षण की हर कोशिश करते हैं। हालांकि इन गर्मियों में ये पोखरी भी सूख चुकी हैं। मौसम विभाग द्वारा इस साल अच्छी बारिश का अनुमान जताए जाने के बाद सारी उम्मीदें बारिश पर टिक गई हैं।

ग्याजीतपुरा के किसान जयराम के खेत में लगे टमाटर जो पूरी तरह जैविक खाद पर निर्भर हैंगाँव के ही एक अन्य किसान जानकी अहिरवार बताते हैं कि दो किस्म की खेती करने का एक फायदा तो यह है कि अगर मुख्य फसल किसी वजह से लड़खड़ा भी जाये तो यह नकदी फसल उनकी आर्थिक स्थिति को थामे रहती है। गाँव के किसान अपने खेतों में भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते। लेकिन पशुओं की कम संख्या खाद की राह में रोड़ा बनती है।

जयराम बताते हैं कि इस सिलसिले की शुरूआत सन 2012 में हुई थी जब स्वयंसेवी संगठन परमार्थ ने उन्हें मिश्रित खेती के इस प्रारूप और इसके फायदों से अवगत कराया था। तब से गाँव वालों ने इसे आत्मसात किया और पीछे मुड़कर नहीं देखा।

ग्याजीतपुरा की ही 35 वर्षीय रामश्री अहिरवार के पास बहुत अधिक खेत नहीं हैं। रामश्री बताती हैं कि पहले जहाँ पारम्परिक अनाज उगाते हुए उनके सामने यह डर रहता था कि वे अपना पेट भरने लायक अन्न भी उपजा पाएँगे या नहीं वहीं अब नकदी फसल के साथ हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। गाँव में अहिरवार और केवल समुदाय के लोग हैं। गाँव में पालतू पशुओं की कमी है। जैविक खेती के लिये गोबर जैसी खाद तक इनको खरीदकर लानी पड़ती है। रामश्री चाहती हैं कि किसी सरकारी योजना के तहत अगर इनको पालतू पशु मिल पाते तो वह दूध के अलावा उसके गोबर का प्रयोग खाद के रूप में कर पातीं।

ग्याजीतपुरा की 35 वर्षीय रामश्री के पास बहुत ज्यादा खेत नहीं हैं लेकिन जो भी हैं वो उनके परिवार के लिये पर्याप्त मददगार है। रामश्री स्थानीय पानी पंचायत की सदस्य भी हैं।इन अथक प्रयासों के बाद भी गाँव के लोगों के लिये खेती लाभ का धन्धा तो नहीं बन सकी है लेकिन हाँ, अपनी इस नई खेती की वजह से गाँव के लोग भुखमरी और सूखे के संकट से जरूर बचे हुए हैं। अगर यह सिलसिला चलता रहा व शासन का सहयोग मिला तो इसे लाभ का धन्धा बनते देर नहीं लगेगी।

परमार्थ के रवि सिंह तोमर कहते हैं कि यह पूरा इलाका सूखे से बुरी तरह ग्रस्त है। किसानों की आत्महत्या से लेकर रोजगार के लिये पलायन तक यह इलाका देश में इसी वजह से नाम बना रहा है। आजादी के इतने दशक बाद भी सरकारी कोशिशों से यहाँ हालात में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन जिन किसानों ने खेती का अपना तरीका बदला वे निश्चित तौर पर दूसरों के लिये उदाहरण बनकर सामने आये हैं।

निराश बुन्देलखण्ड में ग्याजीतपुरा की खुशहाली इन बच्चों की हँसी से महसूस की जा सकती हैखास बात यह है कि नई पीढ़ी भी इस बात को समझ रही है और बेरोजगारी का दंश झेलने की जगह कई युवा खेती में अपने परिजनों का साथ दे रहे हैं। युवाओं के साथ खेती में नए विचार भी शामिल हो रहे हैं। जो अन्ततः सबके हित में है।

गाँव के एक सफल किसान जयराम अहिरवार कहते हैं कि वे अपनी फसल को लेकर काफी उत्साहित थे लेकिन बिजली विभाग ने अचानक न केवल गाँव की बिजली काट दी बल्कि वह ट्रांसफार्मर भी उखाड़ ले गया। जाहिर है बिजली की वापसी की सारी सम्भावनाएँ इसके साथ ही समाप्त हो गईं। जयराम और जानकी दोनों भाई ग्याजीतपुरा में जैविक खेती व जल संरक्षण से लाभान्वित होने वाले प्रमुख किसानों में शामिल हैं52 वर्षीय जयराम कहते हैं कि गाँव पर बिल जमा नहीं करने का आरोप बेबुनियाद है। गाँव के कई परिवार जो सूखे के चलते बहुत पहले पलायन कर चुके हैं। उनका ही बिल बकाया है। भला उनका बिल कोई और क्यों जमा करेगा?

कृषि विकास हेतु गांवों में बुनियादी सुविधाएं

कृषि क्षेत्र अनिश्चित आय वाला क्षेत्र है, इसीलिये इसे मौसम का जुआ भी कहते हैं। फसल बरस गई तो परिवार के चेहरे पर खुशी छा जाती है और फसल बर्बाद हो गई तो मायूसी। फिर भी किसान हार नहीं मानता और अपने कर्म में लेशमात्र भी कमी नहीं करता। यदि खेतीबाड़ी के इर्द-गिर्द ऐसी सुविधाएँ और सहायक काम-धन्धे खड़े कर दिये जाएँ जिससे ग्रामीण लोगों की आर्थिक सेहत सुधर जाये और उन्हें रात को सुकून की नींद आ जाये तो यकीन मानिए अब भी ग्रामीण जीवन की रौनक शहरों को मात दे देगी। अक्सर यह बात कही जाती है कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है, भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रधान देश है, भारत कृषि प्रधान देश है, भारत की सरकार गाँवों से चलती है, जय जवान-जय किसान, उत्तम खेती-मध्यम बान, आदि-आदि। ये कहावतें यूँ ही नहीं बनीं। कभी ऐसा ही हुआ करता था। लेकिन आजादी के इन 69 सालों के सफर में हम मायावी विकास की चकाचौंध में बहुत आगे निकल गए और अपने गाँव-देहात, खेत-खलिहान व खेती-किसानी की विरासत को बिसरा बैठे। यह बात तब समझ में आई जब तीन-चार साल पहले पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था घुटनों के बल बैठ गई और भारत अपने पैरों के बल खड़ा रहा, क्योंकि इसकी जड़ें तब भी उसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से खुराक ले रही थीं। वरना लगभग डेढ़ अरब की आबादी वाला यह देश भुखमरी का शिकार हो गया होता। बल्कि इसके उलट आज पूरी दुनिया यह मान चुकी है कि भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। यहाँ अनन्त सम्भावनाएँ छिपी हैं। जाहिर-सी बात है कि वे सम्भावनाएँ शहरी छद्म परिवेश में नहीं बल्कि ग्रामीण सरल-सहज जीवन में ही हैं। आज भी देश की 65 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में रहती है और उसकी रोजी-रोटी का साधन खेतीबाड़ी है।

वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक हमारे देश की कुल जनसंख्या 121.02 करोड़ थी। इसमें 68.84 प्रतिशत लोग गाँवों में निवास करते थे और 31.16 प्रतिशत शहरों में। जबकि 1951 में हुई प्रथम जनगणना में 83 प्रतिशत आबादी गाँवों में रहती थी और मात्र 17 प्रतिशत शहरों में। आजादी के बाद इन 69 सालों में करीब 14.16 प्रतिशत लोगों ने गाँव छोड़कर शहरों में पलायन कर लिया। इनमें अधिकांश वे लोग थे जिन्होंने मजबूरी में गाँव छोड़ा और वे शहरों में दो वक्त की रोटी के लिये विनिर्माण क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूर, फैक्टरी श्रमिक, रिक्शा चलाने वाले या घरेलू नौकर बनकर रह गए। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2005 से 2012 के बीच करीब 3.7 करोड़ लोगों ने खेतीबाड़ी छोड़ दी। दुखद बात यह है कि बेहतर जिन्दगी की तलाश में शहरों में आने वाले इन लोगों को और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बल्कि अब तो रिवर्स गियर की स्थिति आ गई है क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र लगभग ध्वस्त हो चुका है। लोग शहरों में वापस गाँवों की ओर लौटने लगे हैं।

सरकार और अर्थशास्त्री देश की तरक्की का हिसाब-किताब विकास दर के आधार पर तय करते हैं। इसलिये आजादी के बाद पूरा जोर औद्योगीकरण पर दिया गया ताकि अधिक-से-अधिक रोजगार और विकास दर हासिल की जाये। इस मशक्कत में कृषि क्षेत्र उपेक्षित रह गया। यह जानते हुए कि हमारी विशाल आबादी के बड़े हिस्से को उद्योग क्षेत्र काम नहीं दे

सकता, तब भी सरकारें गम्भीर नहीं हुई। आज भी हमारी खेतीबाड़ी में बड़ी-बड़ी मशीनों का काम नहीं के बराबर है और अधिकांश काम मानव-श्रम पर निर्भर करता है। इसका सीधा-सा मतलब है कि अधिकांश लोगों को कृषि क्षेत्र में रोजगार मिला है। कृषि क्षेत्र की कमी यह है कि यह अनिश्चित आय वाला क्षेत्र है, इसीलिये इसे ह्यमौसम का जुआह्न भी कहते हैं। फसल बरस गई तो परिवार के चेहरे पर खुशी छा जाती है और फसल बर्बाद हो गई तो मायूसी। फिर भी किसान हार नहीं मानता और अपने कर्म में लेशमात्र भी कमी नहीं करता। यदि खेतीबाड़ी के इर्द-गिर्द ऐसी सुविधाएँ और सहायक कामधंधे खड़े कर दिए जाएँ जिससे ग्रामीण लोगों की आर्थिक सेहत सुधर जाये और उन्हें रात को सुकून की नींद आ जाये तो यकीन मानिए ग्रामीण जीवन की रौनक शहरों को मात दे देगी।

चूँकि आज भी हमारे गाँव ही दिल्ली का भाग्य तय करते हैं। ग्रामीणों के वोट के बल पर ही सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। इस बात को हमारे राजनेता बखूबी जानते और मानते हैं।

फिर भी दुर्भाग्य यह है कि जो जनता सरकार में ज्यादा भागीदारी रखती है, वही आधुनिक विकास के मॉडल पर हाशिए पर चली जाती है। उसे उसका वाजिब हक नहीं दिया जाता। बजट में पैसे के बँटवारे में उसे यह कहकर उपेक्षित कर दिया जाता रहा है कि जीडीपी (सकल घरेलू उत्पादन) में इसका योगदान नहीं के बराबर है। जबकि 12-13 प्रतिशत जीडीपी वाला यही क्षेत्र देश की 60-65 प्रतिशत जनता को काम-धंधा और रोजी-रोटी दे रहा है। आखिर ऐसा विकास भी किस काम का जो अमीरी-गरीबी की खाई को और चौड़ा कर दे, शहरों और गाँवों का फासला और बढ़ा दे। जब शहरों के विकास की बात की जाती है तो यह नहीं भूलना चाहिए कि एक शहर के विकास में जितना पैसा खर्च होता है उससे 100 गाँवों की फिजा बदल सकती है। यदि गाँव ही शहर बन जाएँ और वहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार जैसी मूलभूत जरूरतें उपलब्ध हो जाएँ तो कोई भी अपना बसा-बसाया घर-बार नहीं छोड़ना चाहेगा।

चूँकि आज भी हमारे गाँव ही दिल्ली का भाग्य तय करते हैं। ग्रामीणों के वोट के बल पर ही सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। इस बात को हमारे राजनेता बखूबी जानते और मानते हैं। फिर भी दुर्भाग्य यह है कि जो जनता सरकार में ज्यादा भागीदारी रखती है, वही आधुनिक विकास के मॉडल पर हाशिए पर चली जाती है। उसे उसका वाजिब हक नहीं दिया जाता। बजट में पैसे के बँटवारे में उसे यह कहकर उपेक्षित कर दिया जाता रहा है कि जीडीपी (सकल घरेलू उत्पादन) में इसका योगदान नहीं के बराबर है। जबकि 12-13 प्रतिशत जीडीपी वाला यही क्षेत्र देश की 60-65 प्रतिशत जनता को काम-धंधा और रोजी-रोटी दे रहा है। आखिर ऐसा विकास भी किस काम का जो अमीरी-गरीबी की खाई को और चौड़ा कर दे, शहरों और गाँवों का फासला और बढ़ा दे। जब शहरों के विकास की बात की जाती है तो यह नहीं भूलना चाहिए कि एक शहर के विकास में जितना पैसा खर्च होता है।

यह सुखद बात है कि मौजूदा केन्द्र सरकार इस दिशा में गम्भीर और प्रयत्नशील दिखाई पड़ती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चुनावी सभाओं में देश के अन्नदाताओं को भरोसा दिलाते हुए कहा था कि मेरी सरकार किसानों के रडार पर होगी। वे इस दिशा में प्राथमिकता के आधार पर काम करते दिखाई पड़ते हैं। सरकार ने यह मान लिया है कि जब तक देश की अधिसंख्यक जनता का कल्याण नहीं होगा तब तक देश सही मायने में तरक्की नहीं कर सकता है। शायद इसीलिये प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। उनका स्पष्ट मानना है कि विकास को वास्तविक गति यहीं से मिल सकती है। इसलिये कृषि और ग्रामीण विकास की वे तमाम योजनाएँ जो पहले से चली आ रही थीं, उनके क्रियान्वयन में गति दिखाई पड़ती है। इसके साथ ही सरकार ने कुछ नई योजनाएँ भी शुरू की हैं जिनकी ग्रामीण विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। यहाँ उन योजनाओं का उल्लेख करना आवश्यक है जो कृषि क्षेत्र के लिये मील का पत्थर साबित हो सकती है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

पीएमकेएसवाई मौजूदा सरकार की भारी-भरकम राशि वाली महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसमें पाँच सालों (2015-16 से 2019-20) के लिये 50 हजार करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। पहले जिस राज्य में अच्छी बारिश होती थी, उसी राज्य में अच्छी फसल हो पाती थी। नई सिंचाई योजना के तहत उन राज्यों को भी अच्छी फसल उगाने का मौका मिल सकेगा, जहाँ बारिश नहीं हुई यानी सिंचाई में निवेश में एकरूपता लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस योजना का मुख्य नारा है- ह्यहर खेत को पानीह्ल। इसके तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार किया जाना है। खेतों में ही जल के इस्तेमाल करने की दक्षता को बढ़ाना है ताकि पानी के अपव्यय को कम किया जा सके। ह्यहर बूँद अधिक फसलह्ल के उद्देश्य से सही सिंचाई और पानी बचाने की तकनीक को अपनाना है। इसके अलावा इसमें सिंचाई में निवेश को आकर्षित करने का भी प्रयास किया जाना है।

इस समय देश में कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 65 प्रतिशत में सिंचाई सुविधा नहीं है। इसलिये योजना का उद्देश्य देश के हर खेत तक किसी-न-किसी माध्यम से सिंचाई सुविधा सुनिश्चित कराना है ताकि हर बूँद अधिक फसल ली जा सके। इस योजना के लिये मौजूदा वित्त वर्ष में 1000 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है। इसके तहत हर खेत तक सिंचाई जल पहुँचाने के लिये योजनाएँ बनाने व उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया में राज्यों को अधिक स्वायत्तता व धन के इस्तेमाल की लचीली सुविधा दी गई है। इस योजना में केन्द्र 75 प्रतिशत अनुदान देगा और 25 प्रतिशत खर्च राज्यों के जिम्मे होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों में केन्द्र का अनुदान 90 प्रतिशत तक होगा।

राष्ट्रीय ई-कृषि बाजार योजना

जुलाई 2015 में मंत्रिमण्डल ने 200 करोड़ रुपए के बजट के साथ एक ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना को मंजूरी दी थी। तब से इस दिशा तेजी से प्रयास चल रहा था और आखिर 14 अप्रैल, 2016 को प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की। कृषि उत्पादों के विपणन के लिये ई-प्लेटफॉर्म की पेशकश किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिये अधिक विकल्प प्रदान करने के मकसद से की गई है। यह 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने की रूपरेखा का हिस्सा है। तीन वर्षों में पूरी होने वाली इस योजना में मार्च 2018 तक देश भर के 585 थोक बाजारों को राष्ट्रीय ई-कृषि बाजार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में आठ राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, झारखण्ड, गुजरात, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के किसान 21 थोक बिक्री बाजारों में 25 जिंसों की ऑनलाइन बिक्री कर सकेंगे। इन जिंसों में फिलहाल प्याज, आलू, सेब, गेहूँ, दलहन, मोटे अनाज और कपास के अलावा कई अन्य चीजों को शामिल किया गया है।

मौजूदा समय में किसान मंडियों में ही अपने उत्पादों को बेच सकते हैं जहाँ उन्हें कई किस्म के कर देने पड़ते हैं। ऑनलाइन कृषि बाजार से उम्मीद है कि इससे किसानों को अपने उत्पाद हाजिर मंडियों अथवा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दोनों स्थानों पर बेचने की सुविधा प्राप्त होगी। ऑनलाइन व्यापार तक आसानी से पहुँच के कारण किसानों की आय बढ़ेगी। खास बात यह है कि इससे उत्पादों की कीमतों में भी नरमी रहेगी।

माना जा रहा है कि इस योजना से किसान को तो भरपूर फायदा होगा ही, साथ ही थोक व्यापारियों और उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा। यह देश की कृषि व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिये सरकार द्वारा की जाने वाली एक बड़ी पहल है। इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी। सरकार चाहती है कृषि उत्पादों के विपणन के लिये ई-प्लेटफॉर्म की सुविधा देने से किसान अपने उत्पाद खुद बेच सकें।

साझा इलेक्ट्रॉनिक मंच की खासियत यह है कि अब पूरे राज्य के लिये एक लाइसेंस होगा और एक बिन्दु पर लगने वाला शुल्क होगा। मूल्य का पता लगाने के लिये इलेक्ट्रॉनिक नीलामी होगी। इसका असर यह होगा कि पूरा राज्य एक बाजार बन जाएगा और अलग-अलग बिखरे हुए बाजार खत्म हो जाएँगे। इससे किसानों के बाजार का आकार बढ़ेगा, वह अब अपने बाजार तक ही सीमित नहीं रहेगा और उसका शोषण भी नहीं हो पाएगा। उनके उत्पाद लोगों की नजरों और पहुँच में होंगे।

इससे देश में किसानों की स्थिति सुधरने के साथ ही उनकी आमदनी भी दुगुनी हो जाएगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

किसानों के लिये पहले भी समय-समय पर बीमा योजनाएँ बनती रहती थीं, लेकिन फिर भी फसल बीमा का कुल कवरेज मात्र 23 प्रतिशत था। इसलिये पहले से चली आ रही सभी फसल बीमा योजनाओं को समाप्त करते हुए खरीफ 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू किया गया। यह योजना अब तक की सभी फसल बीमा योजनाओं में बेहतर और किसान हितैषी मानी गई है। इस बीमा योजना से सरकार ने मौजूदा 23 फीसदी रकबे को बढ़ाकर 50 फीसदी करने का लक्ष्य रखा है। इसकी खूबी यह है कि फसल की बुआई से लेकर कटाई और उपज को खलिहान तक लाने का जोखिम इसमें शामिल किया गया है। यानी उपज जब तक किसान के घर नहीं पहुँच जाती तब तक यदि किसी भी स्थिति में फसल को कोई नुकसान होता है तो किसान को बीमा का पूरा लाभ मिलेगा। इस प्रकार इसमें जोखिम के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। इसमें किसान द्वारा देय प्रीमियम की राशि को बहुत कम किया गया है। यह खरीफ फसल के लिये 2 प्रतिशत, रबी के लिये 1.5 प्रतिशत और वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिये अधिकतम 5 प्रतिशत तय की गई है। बाकी का प्रीमियम 50-50 प्रतिशत केन्द्र और राज्य सरकारें देंगी। कम-से-कम 25 प्रतिशत क्लेम राशि सीधे किसान के खाते में जाएगी और बाकी की राशि भी 90 दिनों के अन्दर दे दी जाएगी। इस योजना पर साल में 17,600 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। इसमें 8,800 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार देगी और इतनी ही राशि राज्य सरकार।

इस योजना में यदि बीमित किसान प्राकृतिक आपदा के कारण बोनी नहीं कर पाता तो यह जोखिम भी शामिल किया गया है। इसमें ओला, जलभराव और लैण्ड स्लाइड जैसी आपदाओं को स्थानीय आपदा माना गया है। पुरानी योजनाओं के अन्तर्गत यदि किसान के खेत में जलभराव होता था तो किसान को मिलने वाली दावा राशि इस बात पर निर्भर करती कि यूनिट ऑफ इंश्योरेंस (गाँव या गाँवों के समूह) में कुल नुकसान कितना है। इस कारण कई बार नदी-नाले के किनारे या निचले स्थल में स्थित खेतों में नुकसान के बावजूद किसानों को दावा राशि प्राप्त नहीं होती थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इसे स्थानीय हानि मानकर केवल प्रभावित किसानों का सर्वे कर उन्हें दावा राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना की एक खूबी यह भी है कि इसमें पोस्ट हार्वेस्ट जोखिम भी शामिल है। फसल कटने के बाद 14 दिन तक यदि फसल खेत में है और उस दौरान कोई आपदा आ जाती है तो किसान को दावा राशि प्राप्ति हो सकेगी।

इस नई फसल बीमा योजना में यह दावा किया जा रहा है कि जोखिम वाली खेती अब पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगी। इसका ज्यादा फायदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुन्देलखण्ड, विदर्भ, मराठवाड़ा और तटीय क्षेत्रों के किसानों को मिलेगा। भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड के साथ निजी बीमा कम्पनियाँ इस योजना का क्रियान्वयन कर रही हैं।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

इस योजना में यदि बीमित किसान प्राकृतिक आपदा के कारण बोनी नहीं कर पाता तो यह जोखिम भी शामिल किया गया है। इसमें ओला, जलभराव और लैण्ड स्लाइड जैसी आपदाओं को स्थानीय आपदा माना गया है। पुरानी योजनाओं के अन्तर्गत यदि किसान के खेत में जलभराव होता था तो किसान को मिलने वाली दावा राशि इस बात पर निर्भर करती कि यूनिट ऑफ इंश्योरेंस में कुल नुकसान कितना है। इस कारण कई बार नदी-नाले के किनारे या निचले स्थल में स्थित खेतों में नुकसान के बावजूद किसानों को दावा राशि प्राप्त नहीं होती थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इसे स्थानीय हानि मानकर केवल प्रभावित किसानों का सर्वे कर उन्हें दावा राशि प्रदान की जाएगी।

19 फरवरी, 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य अगले तीन साल में 14 करोड़ से अधिक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना है। यानी हर किसान को एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड देना है। इस महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा 2014 में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में की थी। बजट में कार्ड जारी करने के लिये 100 करोड़ रुपए तथा 100 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित करने के लिये 56 करोड़ रुपए आवंटित किये गए थे। दरअसल इस कार्ड में किसी खेत विशेष की मृदा का ब्यौरा होगा कि उसमें कौन-कौन से पोषक तत्व किस-किस मात्रा में हैं और उसमें बोई गई फसलों को किस मात्रा में कौन-सा उर्वरक दिया जाना चाहिए। इस योजना का ध्येय वाक्य ह्यस्वस्थ धरा, खेत हराह्न रखा गया है।

इस योजना के तहत मिट्टी का परीक्षण कराना और उसी के अनुसार आवश्यक वैज्ञानिक तौर-तरीके अपनाकर मृदा के पोषण तत्वों की कमियों को दूर किया जाना है। इसका उद्देश्य मिट्टी की कमजोर पड़ती गुणवत्ता को रोकना और कृषि पैदावार को बढ़ाना है। इस योजना के तहत अगले तीन साल में देश के सभी 14.5 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड देने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके अलावा जो महत्त्वपूर्ण योजनाएँ कृषि क्षेत्र और पूरे ग्रामीण परिवेश को सशक्त बनाने के लिये बुनियाद का काम कर रही हैं उनमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), सांसद आदर्श ग्राम योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एनआरयूएम), आदि प्रमुख हैं। निःसन्देह गाँवों में विकास का बुनियादी ढाँचा खड़ा करने में वर्तमान सरकार की योजनाएँ सराहनीय हैं। सवाल यह है कि उन्हें किस ईमानदारी के साथ धरातल पर उतारा जाता है। जरूरत इस बात की भी है इसके समानान्तर मॉनीटरिंग का एक ढाँचा भी खड़ा किया जाये, जिसका काम यह सुनिश्चित करना हो कि केन्द्र से जो पैसा कृषि विकास के नाम पर खेत तक आ रहा है वह शत-प्रतिशत विकास के काम पर ही खर्च हो रहा है। कभी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी जी ने कहा था कि केन्द्र से जो पैसा गाँवों के विकास के लिये जाता है उसका 15 प्रतिशत भी वास्तव में गाँवों में खर्च नहीं होता। अब वक्त आ गया है कि इस लचर व्यवस्था को दुरुस्त किया जाये और भारत के नव-निर्माण में ठोस पहल की जाये। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश की उन्नति का रास्ता खेत से ही शुरू होता है।

प्रजातंत्र का सार्थक प्रहरी

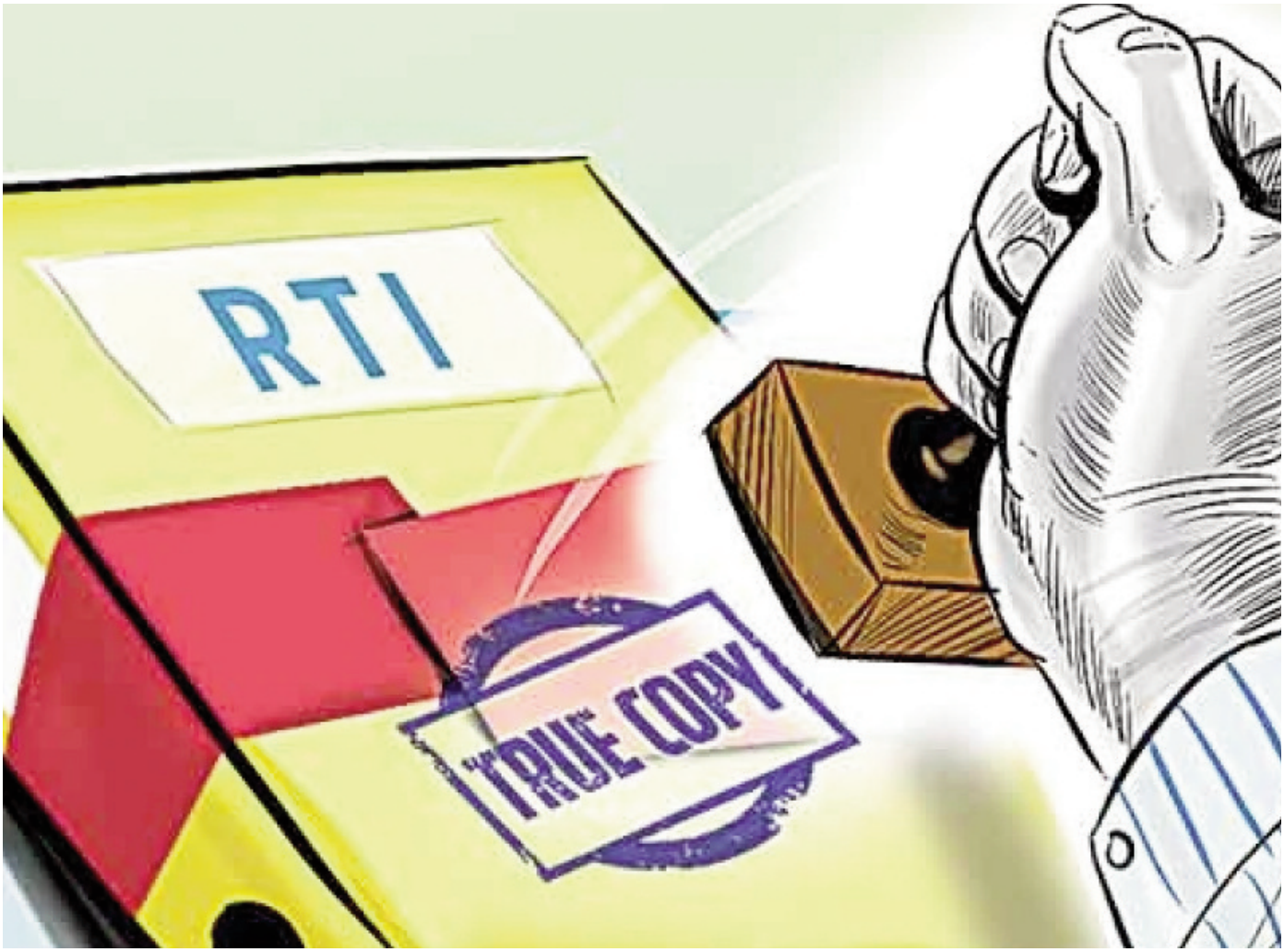

सूचना का अधिकार एवं इसकी विधिक मान्यता काफी लम्बे अर्से से भारत जैसे विशाल काय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक नीतिगत प्रश्न बना रहा था। विभिन्न समितियों एवं आयोगों की समय समय पर प्रस्तुत प्रतिवेदनों एवं भारत के विधि आयोग के 179 वे ने इसकी महत्ता, जरूरत एवं प्रासंगिकता को और भी अधिक गंभीर बना दिया एवं इसी के परिणामस्वरूप भारत सरकार सूचना के अधिकार पर एक सार्थक एवं प्रभावी कानून लाने की दिशा में सक्रिय हुई एवं इस प्रकार भारतीय संसद में मई 2005 को सूचना का अधिकार कानून पारित हुआ। इस अधिनियम के प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट किया गया कि सूचना के अधिकार को लाने का मकसद ही सभी नागरिकों को एक ऐसी शासन प्रणाली में हिस्सेदारी का अधिकार दिया जाना था जिसमें लोक सेवकों एवं अन्य सरकारी अधिकारियों के बीच पारदर्शिता एवं उत्तरदयित्व की भावना को प्रोत्साहन दिया जाना शमिल हो।

भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यो में प्रजातांत्रिक रंगो को भरते हुए इसे वाकई जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन की भावना को स्थापित करने की दिशा में यह

इस कानून के तहत भारत के सभी नागरिको को सूचना का अधिकार प्रदान किया गया। इसमें व्यवस्था की गई की लोक सेवक एवं अधिकारीगण अपने सम्बद्ध विभाग के सभी लेखो प्रलेखों आदि को नियमित रूप से संग्रहित करेगे एवं सूचीबद्ध ढ़ंग से उचित तरीके से उचित समय के भीतर देशव्यापी स्तर पर इसका स्पष्ट एवं पारदर्शी ढ़ग से रख रखाव करेंगे। इस कानून के लागू होने के एक सौ बीस दिन के भीतर / विभाग के संगठन कार्य एवं कत्तव्य का व्योरा प्रकाशित करेने के साथ ही पदाधिकारियों एवं कर्मियों के शक्तियों एवं कत्तव्य का भी उल्लेख किया जाना तय हुआ।

कानून वाकई मील का पत्थर साबित हुई। आजादी के बाद भारत में खुद की शासन प्रणाली में भारत के लोगों की भूमिका की झलक इस प्रकार मिलती है जिसमें भारतीय संविधान के प्रस्तावना की शुरूआत ही हम भारत के लोग से होती है। इसकी झलक प्रस्तावना के प्रथम पाँच शब्दों “We, The People of India” में भी मिलती है और इसकी अंतिम पाँच शब्दों Give To Ourselves This Constitution में भी अहमियत परिलक्षित होती है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी भारतीय समाज का एक बडा तबका शासन के अंधेरे गलियारे में जीवन जीने को बाध्य था और देश में चल रही गतिविधियों से अनजान एवं अनभिज्ञ रखा गया था एवं शासन के तीनों अंगो कि मूलभूत प्रावधानो एवं उनके व्यवहारिक सामंजस्य से पूर्णरूपेण अनजान थे। लेकतंत्र की विधि शास्त्रीय प्रवृतियो एवं प्रलक्षणों की झाँकी मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा 1948 की अनुच्छेद 23 एवं 25 में दिखी तो वही भारतीय संविधान के भाग - III एवं भाग -IV में नागरिको को प्रदत्त कुछ मौलिक अधिकारो की गारंटी मे जीवन जीने के अधिकार, समानता के अधिकार, स्वातंत्र अधिकार,

शोषण के विरूद्ध अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार एवं मूलभूत अधिकार तथा राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के सार्थकता के लिए जरूरी दशाओं की दिशा मे यह अधिनियम काफी ज्यादा सहायक साबित हुआ।

भारतीय न्यायपालिका ने भी सूचना के अधिकार की सार्थकता को समझा एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार बनाम क्रिकेट एसोसियेशन ऑफ बंगाल के मामले में अनुच्छेद 19(1)(a) के प्रावधानो के संदर्भ में टिप्पणी करते हुए कहा था कि वाक स्वंत्तत्रत एवं अभिव्यक्ति की आजादी सूचना प्राप्त करने एवं उसे बताने को भी शामिल करता है। कई मामलो में माननीय सर्वोच न्यायालय द्वारा सूचना प्राप्त करने को नागरिको के अधिकार के रूप में निर्दिष्ट किया था।

इस कानून के तहत भारत के सभी नागरिको को सूचना का अधिकार प्रदान किया गया। इसमें व्यवस्था की गई की लोक सेवक एवं अधिकारीगण अपने सम्बद्ध विभाग के सभी लेखो प्रलेखों आदि को नियमित रूप से संग्रहित करेगे एवं सूचीबद्ध ढ़ंग से उचित तरीके से उचित समय के भीतर देशव्यापी स्तर पर इसका स्पष्ट एवं पारदर्शी ढ़ग से रख रखाव करेंगे। इस कानून के लागू होने के एक सौ बीस दिन के भीतर / विभाग के संगठन कार्य एवं कत्रव्य का व्योरा प्रकाशित करेने के साथ ही पदाधिकारियों एवं कर्मियों के शक्तियों एवं कत्रव्य का भी उल्लेख किया जाना तय हुआ। इस कानून के तहत निर्णय निर्णायक प्रणाली इसके माध्यम, पर्यवक्षण तथा दायित्व को भी स्पष्ट करने का प्रावधान रखा गया। इनके अलावे इस कानून के लागू होने से सभी विभागो एवं निकायों के सम्बद्ध में समस्त आवश्यक एवं उचित जानकारी को प्रकाशित करने का भी प्रावधान किया गया। इस कानून के लागू होने से यह व्यवस्था दी गई कि हर विभाग में हर स्तर पर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोक सूचना पदाधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। इसके लिए उचित रूप से केन्द्रीय लोक सूचना पदाधिकारी राज्य लोक सूचना पदाधिकारी का प्रावधान किया गया। जो हर प्रसनिक ईकाई स्तर पर नियुक्त होगा एवं सूचना माँगने वाले व्यक्ति को वास्तविक एवं यथावत जानकारी प्रदान करेगा। सूचना के अधिकार अधिनियम में यह व्यवस्था है कि सूचना प्राप्ति को इच्छुक कोई भी व्यक्ति विधि द्वारा अनुमति प्राप्त किसी भी विषय पर सूचना प्रप्ति हेतु उचित एवं विहित प्रपत्र पर सूचना की माँग कर सकता। वह लिखित एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हिन्दी या अंग्रेजी या उस स्थानीय भाषा में आवेदन के माध्यम से सूचना माँग सकता है। एवं वह इसके लिए वह केन्द्रीय लोक सूचना पदाधिकारी राज्य लोक सूचना पदाधिकारी जिससे सम्बद्ध रहे को सूचना हेतु आवेदन कर सकता है। सूचना प्राप्ति के लिए आवेदक को माँगी गई सूचना का स्पष्ट विवरण देना चाहिए। इस कानून के प्रावधानो के तहत सूचना माँगने वाले व्यक्ति का यह बताने की भी जरूरत नही बताई गई कि वह सूचना माँगने का कारण बताए।

माँगी गई सूचना के संदर्भ में लोक सूचना पदाधिकारी का दायित्व होता है कि वह आवेदक प्राप्ति की सूचना सर्वप्रथम उस व्यक्ति को दे तथा यह भी सूचित करे कि यह सूचना उसे विधि द्वारा निर्धारित समयवाधि के भीतर ही प्रदान करे। यदि माँगी गई सूचना उक्त प्रेषित पदाधिकारी के अधिकार क्षेत्र मे नही होतो

इस कानून में तृतीय पक्ष सूचना माँगने का भी प्रावधान है। सूचना के अधिकार के तहत यह स्पष्ट व्यवस्था दी गई है कि भारत के नागरिक को इस अधिकार के तहत कुछ सीमाओ एवं मायार्दाओ के साथ अपने देश की व्यव्स्था के संदर्भ में पारदर्शी एवं स्पष्ट सूचना पाने का अधिकार है। यदि कभी किसी प्रकार से यह पाया जाता है कि आवेदक को सम्बन्ध पदाधिकारी द्वारा सूचना से वंचित रखा गया या उचित रूप में सूचना नही प्रदान की गई तथ्यो की जानकारी छिपाई गई तो आवेदक के लिए कई स्तरीय सूचना आयोग की व्यवस्था की गई जिसमें मुख्य सूचना आयुक्त एवं अधिकतम उस केन्द्रीय सूचना आयुक्तो के योग से गठित होती है ।

यह प्रवधान दे कि वह उक्त आवेदन को सम्बद्ध अधिकारीको स्थानान्तरित करे एवं इसकी सूचना आवेदक को अविलम्ब प्रदान करे।

इस कानून के तहत आवेदन के निष्पादन की प्रक्रिया भी काफी स्पष्टरूप से पारदर्शिता के साथ वर्णित किया गया। यदि माँगी गई सूचनाआ सम्बद्ध जीवन या स्वतंत्रता से है तो इसकी जानकारी आवेदन प्राप्ति के 48 - घटे के अंदर प्रदान करना तय किया गया।

यह प्रवधान है कि यदि केन्द्रीय या राज्य लोक सूचना पदाधिकारी आवेदन पर निर्णय करने में विलम्ब कर देता है और निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध नही कराता है तो इस दशा में यह माना जाएगा कि सूचना देने से इंकार किया गया।

यदि सूचना प्रदान करने के लिए केन्द्रीय या राज्य लोक सूचना पदाधिकारी किसी शुल्क की कामना करते है तो आवेदक को उस वांछित शुल्क जमा करने की सूचना एवं आग्रह अविलम्ब उपलद्ध करया जाना चाहिए। इसी प्रकार यह भी व्यवस्था है कि यदि किसी का आवेदन निरस्त किया जाता है तो इस के कारण का उल्लेख कर आवेदक को सूचित किया जाने का प्रवधान है साथ ही इस सूचना में इस निर्णय के विरूद्ध आवेदक को अपील करने की अवधि एवं अपीलीय अधिकारी के सम्बद्ध में पूर्ण विवरण दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है।

सूचना के अधिकार को कभी भी पूर्ण रूपेण असीमित एवं अमर्यादित होने से वचाने के लिए सूचना के माँग की सीमा भी बाँधी गई है । कुछ विषयों एवं परिस्थितियों के सम्बद्ध में सूचना के प्रदत्त करने पर मुक्ति प्रदान की गई है।

इस कानून में तृतीय पक्ष सूचना माँगने का भी प्रावधान है। सूचना के अधिकार के तहत यह स्पष्ट व्यवस्था दी गई है कि भारत के नागरिक को इस अधिकार के तहत कुछ सीमाओ एवं मायार्दाओ के साथ अपने देश की व्यव्स्था के संदर्भ में पारदर्शी एवं स्पष्ट सूचना पाने का अधिकार है। यदि कभी किसी प्रकार से यह पाया जाता है कि आवेदक को सम्बन्ध पदाधिकारी द्वारा सूचना से वंचित रखा गया या उचित रूप में सूचना नही प्रदान की गई तथ्यो की जानकारी छिपाई गई तो आवेदक के लिए कई स्तरीय सूचना आयोग की व्यवस्था की गई जिसमें मुख्य सूचना आयुक्त एवं अधिकतम उस केन्द्रीय सूचना आयुक्तो के योग से गठित होती है जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्ययक्षता वाली समिति जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं केन्द्रीय मंत्रिमंडल के एक कबीना मंत्री (प्रधानमंत्री द्वारा नामित) समिति द्वारा अनुशंसित होने पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनके कार्यकाल भी निर्धारित होते है। इस केन्द्रीय सूचना आयोग को विधि द्वारा पर्याप्त अधिकार एवं दायित्व सौपे गए है। इसी प्रकार राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है जिसमे मुख्यमंत्री विपक्ष का नेता एवं कबीना मंत्री जो मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत हेता है। इनके अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा मुख्य राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के आलावे अधिकतम 10 आयुक्त भी शामिल होता है तो विधि के प्रावधानो के तहत सूचना के अधिकार की भावनाओ को अमली जामा पहनाने को लिए प्रयत्न शील होते है।

इस कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय एवं राज्य सूचना आयोग अपने क्षेत्राधिकार में इस अधिकार के क्रियान्वयन एवं सफल अनुपालन के लिए सतत प्रयत्न शील है। इस कानून में सूचना से असतुष्ट होने की दशा में उचित फोरम में अपील की भी व्यवस्था है। लोक सूचना पदाधिकारियों द्वारा कोताही बरतने या अनुचित सूचना देने या बरगलाने की स्थिति में लोक सूचना पदाधिकारी को दण्ड प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है। इस कानून के तहत सद्भाव के तहत किए गए कार्य के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी प्रभार के किसी प्रकार के मुकदमे वाजी या अन्य प्रकार का विधिक कार्यवाही नही किए जाने का प्रावधान है। इसे अदालती मुकदमे बाजी से दूर रखा गया है और कानून के प्रवधानों को कुछ संगठनो को उन्युक्ति प्रदान की गई हो विभिन्न सरकारो को अंपने ऑफिसियल गजर में सूचना देकर कुछ मामलो में नियम बनाने का भी अधिकार प्रदान किया गया है।

भारतीय लोकतंत्र में लोक सेवको एवं अधिकारियों से उनके विभागीय सूचनाओं एवं अधिकारियो से उनके विभागीय सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार भारत के नागरिको को ऐसा बडा शस्त्र के रूप में प्राप्त हुआ जिससे नागरिक कुछ अपवाद को छोडकर अन्य विषयों पर सूचना प्राप्त कर काफी हद तक त्रुटियो भष्टाचार आदि पर अंकुश लगा सकते है एवं हद तक इस पर कार्य किया भी जा रहा है इस कानून के तहत प्रदत्त अधिकारो का लाभ व्यपस्था में सुधार के रूप में इसका उपयोग पदाधिकारियो एवं लोक सेवको के खिलाफ बुरे भाव से भी किया जाने लगा है जिससे लोगो को बचने की आवश्यकता हैं। आज भी इस कानून से हमारे समाज का एक बडा तबका अनभिज्ञ है या कम जानकारी रखता है। अतः आवश्यकता है कि इस कानून के संदर्भ में सरकारी एवं गैर सरकारी तंत्रो द्वारा एक प्रभावी जन साधारण अपने अधिकार एवं दायित्व को समझे तथा प्रजातांत्रिक मूल्यो को और अधिक नजबूती प्रदान किया जा सके एवं इस कानून को लाने का पवित्र उद्देश्य हासिल किया जा सके।

किसानों की आय बढ़ाने में सहायक कृषि उद्योग

रोजगार पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के 68वें चरण में यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 48.9 प्रतिशत कामगारों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि ही है। साथ ही, हमारी 70 प्रतिशत जनसंख्या (2011 की जनगणना) ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है जिसकी आय वृद्धि सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन सबसे अधिक ग्रामीण रोजगार देने वाले कृषि क्षेत्र में आय बढ़ाने के लिए मूल्य-आधारित वृद्धि की रणनीति लम्बे समय तक नहीं चल सकती, इसलिए शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में कलस्टर- पद्धति पर कृषि औद्योगीकरण ही इकलौता रास्ता है। इससे कृषि में आय का वह पक्ष भी दुरुस्त हो जाता है, जो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद सभी कृषि नीतियों और प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर पहुँच गया है। सौभाग्य से, हमारा देश भूख खत्म करने एवं सभी को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के एजेंडा पर बहुत आगे बढ़ चुका है ।

कृषि उद्योग के विकास में मदद करने वाली नीतियाँ, उच्च मूल्य वाली जिंसों एवं अन्य गैर-खाद्य कृषि उत्पादों की मांग आकर्षक मूल्यों पर तैयार करने में, दूरगामी भूमिका निभाएंगी। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रमुख निर्यात उद्योग बनाने से कामगारों के लिए रोजगार के प्रचुर अवसर भी उत्पन्न हो सकते हैं क्योंकि यह श्रम की गहनता वाला उद्योग है।

रोजगार पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के 68वें चरण में यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 48.9 प्रतिशत कामगारों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि ही है। साथ ही, हमारी 70 प्रतिशत जनसंख्या (2011 की जनगणना) ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है जिसकी आय वृद्धि सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन सबसे अधिक ग्रामीण रोजगार देने वाले कृषि क्षेत्र में आय बढ़ाने के लिए मूल्य-आधारित वृद्धि की रणनीति लम्बे समय तक नहीं चल सकती, इसलिए शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में कलस्टर-पद्धति पर कृषि औद्योगीकरण ही इकलौता रास्ता है। इससे कृषि में आय का वह पक्ष भी दुरुस्त हो जाता है, जो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद सभी कृषि नीतियों और प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर पहुँच गया है। सौभाग्य से, हमारा देश भूख खत्म करने एवं सभी को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के एजेंडा पर बहुत आगे बढ़ चुका है क्योंकि 1950-51 से अभी तक विभिन्न खाद्य सामग्री में 2.78 से 47.57 गुना इजाफा हो चुका है। यह भारतीय कृषि की एक और विशेषता है क्योंकि जिंसो का बेचने योग्य, अधिशेष (अतिरिक्त मात्रा) बढ़ता जा रहा है, जिस कारण कटाई के बाद उत्पादों के प्रबंधन एवं प्रसंस्करण की मांग उठ रही है ताकि जिंसो को लम्बे समय तक सुरक्षित रखा जा सके और उपयुक्त समय एवं रूप में बाजार में उतारकर सबसे अच्छी व सही, मगर बढ़िया कीमत हासिल की जा सके। दिलचस्प है कि रोजमर्रा की खाद्य सामग्री के मुकाबले अधिक मूल्य प्रदान करने वाली जिंसों के उत्पादन में अधिक तेजी से वृद्धि हो रही है। पोषण सुरक्षा की दृष्टि से यह सबसे संतोषजनक बात है, लेकिन इससे कृषि-आधारित उद्योगों के सामने उस अतिरिक्त उत्पादन के

इस्तेमाल की चुनौती खड़ी हो जाती है, जिसे ताजा या कच्चा नहीं खाया जा सकता। इसलिए अब हमें पुराना नजरिया बदलना होगा, जिसमें कृषि और उद्योगों को उनकी प्रकृति तथा अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका के लिहाज से बिल्कुल अलग क्षेत्र माना जाता था और वह नजरिया इसलिए बदलना होगा क्योंकि अब कृषि के बजाय कृषि-आधारित उद्योगों में वृद्धि हो रही है। शायद इस पर बड़ी बहस की जरूरत है क्योंकि उत्पादन तथा प्रसंस्करण के पहले चरण में फर्क करना आसान है मगर उसके बाद इनमें अन्तर करना मुश्किल हो जाता है। कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को कृषि का औद्योगीकरण और ऐसी संयुक्त प्रक्रिया मानना चाहिए, जिससे नया औद्योगिक क्षेत्र तैयार हो रहा है। हालांकि उद्योग और कृषि-आधारित उद्योगों के बीच स्पष्ट अन्तर करना वास्तव में मुश्किल है, लेकिन अकाल जांच आयोग (भारत), 1944 द्वारा की गई परिभाषा इस मामले में उपयुक्त है। आयोग ने कृषि-आधारित उद्योगों के बारे में कहा, ह्यऐसे उद्योग, जो खेतों को कृषि सामग्री प्रदान करने के साथ ही खेतों के उत्पादों का प्रबंधन भी कर रहे हैं, उन्हें कृषि-आधारित उद्योग कहा जा सकता है।ह्न अन्तरराष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण (आईएसआईसी) में खाद्य, पेय एवं तम्बाकू,

पोषण सुरक्षा की दृष्टि से यह सबसे संतोषजनक बात है, लेकिन इससे कृषि-आधारित उद्योगों के सामने उस अतिरिक्त उत्पादन के इस्तेमाल की चुनौती खड़ी हो जाती है, जिसे ताजा या कच्चा नहीं खाया जा सकता। इसलिए अब हमें पुराना नजरिया बदलना होगा, जिसमें कृषि और उद्योगों को उनकी प्रकृति तथा अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका के लिहाज से बिल्कुल अलग क्षेत्र माना जाता था और वह नजरिया इसलिए बदलना होगा क्योंकि अब कृषि के बजाय कृषि-आधारित उद्योगों में वृद्धि हो रही है। शायद इस पर बड़ी बहस की जरूरत है क्योंकि उत्पादन तथा प्रसंस्करण के पहले चरण में फर्क करना आसान है मगर उसके बाद इनमें अन्तर करना मुश्किल हो जाता है। कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को कृषि का औद्योगीकरण और ऐसी संयुक्त प्रक्रिया मानना चाहिए, जिससे नया औद्योगिक क्षेत्र तैयार हो रहा है।

वस्त्र परिधान के विनिर्माण, चमड़ा उद्योग, काष्ठ एवं काष्ठ उत्पाद, कागज एवं कागज उत्पादों के विनिर्माण मुद्रण एवं प्रकाशन, रबर उत्पादों के विनिर्माण को कृषि-औद्योगिक उत्पादन के अन्तर्गत रखा गया है।

आय एवं रोजगार सृजन

ऐसे वर्गीकरण से यह विश्वास जगता है कि देश के सुदूर क्षेत्रों में प्रमुख रोजगार-प्रदाता बनचुके कृषि एवं कृषि-आधारित उद्योगों (कृषि प्रसंस्करण, वस्त्र, चीनी एवं अन्य सम्बन्धित गतिविधियां) को मौजूदा सन्दर्भ में और ग्रामीण भारत में आय के स्रोतों में विविधता लाने के उद्देश्य से प्राथमिकता तय करने में अहम भूमिका निभानी हैक्योंकि कृषक परिवारों की कुल आय में खेती और पशुपालन का योगदान केवल 35 प्रतिशत रह गया

है (तालिका-2) जबकि उनकी औसत मासिक आय में मजदूरी और सेवा का 50 प्रतिशत से अधिक योगदान है।

वर्ष 2014-15 की आर्थिक समीक्षा में खाद्य महंगाई के उच्च-स्तर प्याज, टमाटर और आलू जैसी कुछ जिंसों की कीमतों में कुछ समय के लिए अचानक आने वाले तेज उछाल के खतरों से निपटने के लिए कृषि क्षेत्र में गहरे परिवर्तन पर जोर दिया गया क्योंकि इस तरह की महंगाई अब लम्बे समय तक टिकी रहती है, जिससे आर्थिक अस्थिरता भी आ रही है। समीक्षा में कम संसाधनों में अधिक फल प्राप्त करने के लिए कृषि के प्रति दृष्टिकोण में नया प्रतिमान जोड़ने की सिफारिश की गई थी। यदि कृषि-आधारित खाद्य एवं गैर-खाद्य गतिविधियों में अधिक अवसर मुहैया कराए जाए तो ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ सकती है। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2016-17 दिखाता है कि औद्योगिक रोजगार में कृषि उद्योगों का लगभग 36 प्रतिशत योगदान है (तालिका 3)। इसके अलावा, कृषि उत्पादन एवं आपूर्ति श्रृंखला में अच्छी-खासी रोजगार सृजन क्षमता है। इन विशेषताओं से संकेत मिलता है कि इन कृषि व्यापारों को विकास एवं रोजगार की राष्ट्रीय रणनीति में प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए।

वर्ष 2016-17 के केन्द्रीय बजट में कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं को नए सिरे से दिशा देते हुए कृषि पर विशेष जोर दिया गया था ताकि सिंचाई के लिए नया बुनियादी ढांचा बनाकर, मूल्यवर्धन कर तथा खेत से बाजारों तक सम्पर्क प्रदान कर किसानों की आय 2022 तक दोगुनी की जा सके।

कृषि खाद्य उद्योगों में उत्पादन गतिविधियों में, प्रत्यक्ष भारी रोजगार सृजन करने और इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों में परोक्ष रोजगार सृजन करने की क्षमता है। यह रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में होगा, जहाँ उद्योगों को कच्चे माल विशेषकर जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों के स्रोत के निकट लगाना होगा। ये उद्योग कटाई के बाद होने वाला नुकसान कम करने में और सह-उत्पादों का अधिक प्रभावी तौर पर इस्तेमाल करने में मदद करेंगे। इससे किसानों को बेहतर दाम मिलने के कारण ग्रामीण आय में इजाफा हो सकता है और कृषि उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ने से उपभोक्ताओं की भलाई भी हो सकती है। हमारे देश में उपलब्ध प्रचुर सम्भावना का- (अ) उत्पादन के उचित-स्तर एवं प्रौद्योगिकी के चयन; (आ) मौजूदा इकाइयों की प्रौद्योगिकी के उन्नयन; (इ) उत्पादों तथा देश-विदेश में मौजूद उपभोक्ताओं के बीच उचित कड़ी की स्थापना और (ई) उचित संस्थागत व्यवस्था की स्थापना के जरिए पर्याप्त दोहन किया जा सकता है।

इस उद्योग की वृद्धि में सबसे बड़ी बाधा इसका छोटा परिमाण या स्तर रहा है और इसी कारण अधिकतर भारतीय किसान उच्च-मूल्य वाली कृषि को भी नहीं चुन पाते। सड़क, बिजली और संचार जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश से कृषि व्यापार की लागत कम होगी और निजी क्षेत्र भी कृषि प्रसंस्करण, कोल्ड-स्टोरेज संयंत्रो, रेफ्रिजरेटेड आवागमन और रिटेल श्रृंखला में निवेश के लिए प्रोत्साहित होगा। ठेके पर खेती, उत्पादक संगठन और सहकारी संस्थाओं जैसी जिन व्यवस्थाओं से किसान आसानी से बाजार पहुँच सकते हैं, कीमत का जोखिम बंट जाता है और मार्केटिंग तथा लेन-देन की लागत कम हो जाती है, उच्च मूल्य वाली कृषि को आगे बढ़ाने में बहुत कारगर साबित हो सकती हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग रोजगार की प्रचुरता वाला क्षेत्र है, जिसने 2012-13 में सभी पंजीकृत कारखानों से सृजित कुल रोजगार में 11.69 प्रतिशत योगदान किया। शहरी और ग्रामीण भारतीय परिवारों में सबसे अधिक खर्च भोजन पर ही होता है। शहरी परिवार द्वारा खपत पर होने वाले कुल खर्च भोजन पर ही होता है। शहरी परिवार द्वारा खपत पर होने वाले कुल खर्च में 39 प्रतिशत और ग्रामीण परिवार द्वारा खपत में 49 प्रतिशत हिस्सा भोजन का ही है। कृषि, पशु और वनोत्पादों का कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल कर, होने वाली तमाम

गतिविधियां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में ही आती हैं। कृषि पर आधारित कुछ पारम्परिक उद्योग पहले से हैं, जैसे चावल और आटे की मिलें चीनी, खांडसारी तथा गुड़ की इकाइयां, खाद्य तेल मिल तथा चाय, कॉफी एवं काजू जैसी फसलो के प्रसंस्करण की इकाइयां। कुछ आधुनिक खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग भी हैं जैसे डेयरी उत्पाद, कनफेक्शनरी, समुद्री उत्पाद, बागवानी उत्पाद एवं सब्जियां, मांस एवं पोल्ट्री उत्पाद। साथ ही, कृषि अवशेषों और मुख्य कृषि-आधारित उद्योगों के सह-उत्पादों का प्रसंस्करण भी एक सीमा तक किया जाता है। इतनी अधिक गतिविधियों के कारण विभिन्न कृषि खाद्य उद्योगों की समस्याओं की प्रकृति भी बहुत अलग है। इसलिए विभिन्न कृषि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को समेटने वाले प्रौद्योगिकी नीति ढांचे की कल्पना ही करना कठिन है। उनमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालने और ग्रामीण जनसंख्या की आय बेहतर करने की क्षमता है। हालांकि प्रसंस्करण से कच्चे उत्पाद की बुनियादी विशेषताएं बदल जाना तय है, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों से जुड़ी नीतियां भी प्रसंस्करण के उद्देश्य के आधार पर अलग-अलग गतिविधियों के लिए अलग-अलग हो सकती हैं। कुछ प्रसंस्करण जरूरी हो सकते हैं, जिन्हें खपत से पहले करना ही होता है। अनाज का क्षेत्र प्रसंस्करण की इसी श्रेणी में आता है। ऐसा प्रसंस्करण देश में पहले ही किया जा रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का प्रवेश दो प्रकार से लाभकारी माना जा रहा है। पहले तो इससे प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ेगी और वांछित उत्पाद अधिक मात्रा में मिलने लगेंगे। दूसरी बात, इससे बड़ी संख्या में उपयोगी सह-उत्पाद उत्पन्न होंगे, जिनमें से कुछ का अभी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं होता या उच्च मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार करने में समुचित उपयोग नहीं होता। हालांकि अधिकतर प्रौद्योगिकी देश में पहले से ही उपलब्ध हैं, लेकिन इसे व्यापक स्तर पर अपनाया नहीं जा रहा क्योंकि अक्सर आर्थिक प्रोत्साहन ही नहीं होते या सह-उत्पादों के संग्रह, प्रसंस्करण एवं मार्केटिंग के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं ही नहीं होती। चूंकि खाद्यान्न क्षेत्र में सह-उत्पादों के प्रसंस्करण से नई विनिर्माण गतिविधियां आरम्भ होती हैं या मौजूदा गतिविधियों में विस्तार होता है। इसीलिए ऐसी गतिविधियां अतिरिक्त रोजगार सृजित करती हैं। भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में करीब 65 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार मिला है।

कृषि-आधारित खाद्य प्रसंस्करण की अगली श्रेणी कुछ खाद्य-उत्पादों की ढुलाई एवं मार्केटिंग सुगम बनाने के लिए प्रसंस्करण तथा पैकेजिंग से सम्बन्धित है। दूध एवं दुग्ध उत्पादों का प्रसंस्करण इसी श्रेणी में आता है। इससे किसानों विशेषकर छोटे किसानों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर कृषि मजदूरों की आय बढ़ जाएगी। इससे उपभोक्ता कल्याण को भी बढ़ावा मिलेगा। तीसरी श्रेणी ऐसी प्रसंस्करण गतिविधियों से सम्बन्धित है, जो मौसमी खाद्य उत्पादों की स्टोरेज अवधि बढ़ाने में मदद करेगी। फल और सब्जियां इसी श्रेणी में आते हैं। फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण से कटाई के बाद होने वाला नुकसान कम करने में मदद मिलेगी तथा आय में मौसमी उतार-चढ़ाव दूर होने से किसानों को स्थिर आय भी मिलेगी।

एक ओर, इन बाधाओं से खड़ी हुई चुनौतियां और

ऐसे वर्गीकरण से यह विश्वास जगता है कि देश के सुदूर क्षेत्रों में प्रमुख रोजगार-प्रदाता बनचुके कृषि एवं कृषि-आधारित उद्योगों (कृषि प्रसंस्करण, वस्त्र, चीनी एवं अन्य सम्बन्धित गतिविधियां) को मौजूदा सन्दर्भ में और ग्रामीण भारत में आय के स्रोतों में विविधता लाने के उद्देश्य से प्राथमिकता तय करने में अहम भूमिका निभानी हैक्योंकि कृषक परिवारों की कुल आय में खेती और पशुपालन का योगदान केवल 35 प्रतिशत रह गया है (तालिका-2) जबकि उनकी औसत मासिक आय में मजदूरी और सेवा का 50 प्रतिशत से अधिक योगदान है। वर्ष 2014-15 की आर्थिक समीक्षा में खाद्य महंगाई के उच्च-स्तर प्याज, टमाटर और आलू जैसी कुछ जिंसों की कीमतों में कुछ समय के लिए अचानक आने वाले तेज उछाल के खतरों से निपटने के लिए कृषि क्षेत्र में गहरे परिवर्तन पर जोर दिया गया क्योंकि इस तरह की महंगाई अब लम्बे समय तक टिकी रहती है, जिससे आर्थिक अस्थिरता भी आ रही है। समीक्षा में कम संसाधनों में अधिक फल प्राप्त करने के लिए कृषि के प्रति दृष्टिकोण में नया प्रतिमान जोड़ने की सिफारिश की गई थी।

जटिलताएं तथा दूसरी ओर, लाभदेयता और ग्रामीण एवं लघु किसानों के विकास में योगदान समेत विभिन्न उद्देश्यों के साथ सतत वृद्धि की जरूरत भारत में कृषि व्यापार गतिविधियों के संगठन के लिए अनूठे तरीकों तथा संस्थागत मॉडलों की आवश्यकता पर जोर देती है। भाग्यवश व्यक्तिगत एवं सहकारी संस्थाओं जैसे कई मॉडल सामने आए हैं और अपना स्तर या परिमाण बढ़ाने के लिए उन्हें समुचित प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इनमें उत्पादन, खरीद, गुणवत्ता एवं क्षमता में प्रौद्योगिकी तथा नवाचार को सार्थक रूप से सीखना और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करने के लिए आधुनिक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में निवेश करने की क्षमता रखना शामिल है। साथ ही, अधिक पूंजी की आवश्यकता भी पूरी की जा रही है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 2018 में भारत की खाद्य प्रसंस्करण नीति पेश की। अन्य बातों के साथ इस नीति में राज्यों तथा दुनिया की सबसे अच्छी पद्धतियां और तरीके भी शामिल हैं। सरकार ने भारत को दुनिया का खाद्य कारखाना और वैश्विक खाद्य बाजार बनाने पर जोर दिया है, जिससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अपार अवसर खुल गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य ग्रिड और राष्ट्रीय कोल्डचेन ग्रिड बनाकर कटाई के बाद बबार्दी एकदम खत्म कर देने के लिए कई योजनाओं की घोषणा हुई है। इन योजनाओं और कार्यक्रमों को पूरी गम्भीरता के साथ अमल में लाया जाना चाहिए ताकि कृषि-खाद्य उद्योग की समुचित वृद्धि सुनिश्चित हो और ग्रामीम रोजगार के पर्याप्त मौके भी सृजित हो सके।

मल्टी-ब्रांड रिटेल में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेश निवेश (एफडीआई) की अनुमति जैसे सुधारों का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह, पूंजीगत सब्सिडी, कर छूट और सीमा शुल्क एवं उत्पादन शुल्क में कमी जैसे आकर्षक प्रोत्साहनों से इस क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े बुनियादी ढांचे जैसे कोल्डचेन, बूचड़खाने और फूड पार्क आदि पर भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इसके पीछे खाद्य प्रसंस्करण में वृद्धि और भी तेज करने तथा किसानों को मिलने वाला प्रतिफल बढ़ाने के लिए उन्हें मूल्य श्रृंखला से जोड़ने का विचार है। राज्यों को ऐसी व्यवस्था तैयार करनी होगी, जहाँ एक ही बिन्दु पर अनापत्ति (सिंगल विंडो क्लियरेंस) और अन्य सांविधिक अनापत्तियां प्राप्त हो सकें तथा कच्चे उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य-वस्तुओं का प्रदर्शन भी हो सके। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इस क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को समझने और निपटने में जुटा हुआ है ताकि निवेशकों को मदद मिल सके और उनका निवेशकों पर भरोसा बढ़ाया जा सके जिससे विदेशी निवेशकों की सक्रियता भी बढ़ेगी।

निष्कर्ष

उच्च मूल्य वाली जिंसों में बेहद प्रभावशाली वृद्धि और हाल के वर्षों में बढ़ती आय को देखते हुए कृषि उद्योग और भी महत्त्वपूर्ण होते जा रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी करने पर दिए जा रहे जोर को देखते हुए इसमें और भी बढ़ोत्तरी की प्रचुर सम्भावना है। यह स्वागत योग्य कदम होगा, लेकिन इसके लिए कृषि-आधारित खाद्य एवं गैर-अखाद्य उद्योगों तथा कोल्डचेन प्रबंधन में शामिल अन्य हितधारकों से जीवंत एवं मजबूत प्रतिक्रिया भी मिलनी चाहिए। आसानी से खराब नहीं होने वाली वस्तुओं के लिए कोल्ड-स्टोरेज एवं गुणवत्तापूर्ण स्टोरेज की माँग भी बढ़ेगी। हालिया अध्ययनों में 32.8 लाख टन क्षमता की कमी बताई गई है। प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में कोल्ड-स्टोरेज सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता है ताकि किसानों के पास उत्पादों का भंडारण करने और बाजार में प्रचुरता होने पर उत्पाद रोकने तथा कमी होने पर उन्हें बाजार में उतारने की सुविधा हो।

इन सबसे भी अधिक कृषि उद्योग के विकास में मदद करने वाली नीतियां, उच्च मूल्य वाली जिंसों एवं अन्य गैर-खाद्य कृषि उत्पादों की माँग आकर्षक मूल्यों पर तैयार करने में दूरगामी भूमिका निभाएंगी। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रमुख निर्यात उद्योग बनाने से कामगारों के लिए रोजगार के प्रचुर अवसर भी उत्पन्न हो सकते हैं क्योंकि यह श्रम की गहनता वाला उद्योग है। कॉरपोरेट क्षेत्र घरेलू और वैश्विक बाजारों में उभरते अवसरों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए कृषि व्यापार में निवेश करने को उत्सुक दिख रहा है, इसलिए इस क्षेत्र को स्वस्थ कारोबारी माहौल प्रदान करने वाले सुधारों के लिए यह एकदम उपयुक्त समय है।

बिहार में बाढ़ : क्या है समाधान

उत्तर बिहार से बाढ़ का नाता पुराना है। उस इलाके की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसे बाढ़ से बचाया नहीं जा सकता। हिमालय से निकलने वाली कई नदियाँ नेपाल से होते हुए बिहार के इस इलाके में उतरती हैं। ताजा जल का यह स्रोत वरदान भी हो सकता है, लेकिन बरसात में ये नदियाँ परेशानी का सबब भी बनती रही हैं। कोशी एक ऐसी नदी है, जो अपनी चंचल धारा की वजह से कुछ ज्यादा ही कहर ढाती रही है।

जानकार कहते हैं कि बाढ़ एक कुदरती परिघटना है, जिसे रोका नहीं जा सकता। मनुष्य के हित में यह है कि वह बाढ़ के मुताबिक जीना सीख ले। लेकिन जब तकनीक से प्रकृति को जीत लेने का भरोसा इंसान में कुछ ज्यादा ही भर गया तो नदियों को नाथ कर बाढ़ रोकने के तरीके अपनाए गए। बहरहाल, पिछले पाँच-छह दशकों के अनुभवों ने यह भरोसा तोड़ दिया है। बाँध और तटबंधों के जरिए बाढ़ रोकने की उम्मीद निराधार साबित हो गई है। जब बिहार के संदर्भ में बाढ़ की बात होती है, तो यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस गरीब राज्य में भुखमरी की यह एक बड़ी वजह जरूर है, लेकिन यह सिर्फ एक वजह है। सूखा और सामान्य स्थितियों में भी भुखमरी के हालात पैदा होते रहे हैं। इसका सबसे खास कारण भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार ने बाढ़ और सूखा राहत को नेताओं, ठेकेदारों और बिचौलियों के लिये फायदेमंद उद्योग बना रखा है। इन सभी पहलुओं पर इस पुस्तिका के पहले अध्याय में नजर डाली गई है।दूसरा अध्याय कोशी पर केंद्रित है। नदी की खास बनावट, उसकी ऐतिहासिक स्थिति और अगस्त 2008 में आई भयानक बाढ़ पर। यह बाढ़ नेपाल में कुसहा में तटबंध के टूटने से आई, लेकिन तटबंध क्यों टूटा और इसके लिये कौन जिम्मेदार है, इन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं। आम लोग और जन संगठन इसके लिये सीधे तौर पर सरकार और प्रशासन को दोषी मानते हैं। जाहिर है, लाखों लोगों पर आफत आई, उसकी जिम्मेदारी भी उन पर ही है। दूसरे अध्याय का यही विषय है।

कोशी में अगस्त 2008 की बाढ़ ने तटबंधों और बाँधों की उपयोगिता पर सवाल को और गहरा कर दिया। तटबंधों के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क हैं और इनके पीछे कैसी राजनीति है, इस पर निगाह डालने की कोशिश हमने तीसरे अध्याय में की है। कोशी की बाढ़ ने सरकारी लापरवाही को बेनकाब कर दिया। पूरी स्थिति पर ध्यान दिया जाए तो यह साफ हो जाता है कि सरकार अतीत की गलतियों से सीखने को बिल्कुल तैयार नहीं है, साथ ही वह बाढ़ नियंत्रण के जिन उपायों में यकीन करती है उस पर अमल में चुस्ती नहीं बरतती। राजनीतिक दल और नेता जनता से ज्यादा अपने निहित स्वार्थों का ख्याल करते हैं। चौथे अध्याय में हमने बाढ़ और राजकाज से उसके रिश्तों पर नजर डाली है। राजकाज से ही जुड़ी बात इस मसले का अन्तर्राष्ट्रीय आयाम है। इसलिये इसी अध्याय में कोशी की बाढ़ और बाढ़ के प्रबंधन से जुड़े भारत और नेपाल के पहलू पर भी गौर किया गया है। दरअसल, कई विशेषज्ञ तो यह मानते हैं कि अगस्त 2008 की बाढ़ इसलिये इतना बड़ा मुद्दा बन पाई, क्योंकि उससे नेपाल का पहलू जुड़ा था। इससे बाढ़ को एक अंतर्राष्ट्रीय आयाम मिल गया। नेपाल की नई परिस्थितियों के बीच बाढ़ नियंत्रण की पुरानी नीतियाँ आज कहाँ खड़ी हैं और इनका क्या भविष्य है, हमने इसे समझने की कोशिश की है।

बिहार में बाढ़ का मामला पेचीदा है। इससे कई बुनियादी तकनीकी सवाल जुड़े हुए हैं, इसका एक अंतरराष्ट्रीय पहलू है, सरकारों की अनदेखी और भ्रष्टाचार के तंत्र ने हालात को और गंभीर बना रखा है। तो आखिर समाधान क्या है? बिहार के जन संगठनों और जनपक्षीय रूझान रखने वाले जानकारों ने इस पर काफी सोच-विचार किया है। अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने कई माँगें तैयार की हैं। ये माँगें राज्य की जनता को बाढ़ से राहत दिलाने के उपाय सुझाते हैं। इनमें कुछ फौरी कदम हैं, जिन्हें तुरंत उठाया जाना चाहिए, कुछ मध्यम अवधि के कदम हैं और कई दीर्घकालिक कदम। दीर्घकालिक कदमों का सम्बन्ध नजरिए से है। बाढ़ और कुदरत को लेकर कैसा नजरिया हो, यह गम्भीर बहस का विषय है। लेकिन इस बहस को अब जरूर चलाया जाना चाहिए। पाँचवें अध्याय में इस मसले के इस पहलू पर गौर किया गया है।

लेकिन बात सिर्फ यह नहीं है कि कुछ उपायों की चर्चा कर ली जाए या कोई नया नजरिया पेश कर दिया जाये। जब पुरानी नीतियों और उपायों के पीछे बड़े-बड़े निहित स्वार्थ हों, तो सुझाव चाहे जितने अच्छे, यथार्थ और तार्किक हों, सरकारें उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगी। इसके लिये सरकारों को मजबूर करना होगा। ऐसा तभी हो सकता है जब जनता जागरूक हो और अपनी माँगों को लेकर दबाव बनाने के रास्ते पर उतरे। दरअसल, जरूरत एक बड़ी जन-गोलबंदी की है, जिससे ऐसी लोक-राजनीति शुरू हो जिसके आगे सरकारों को भी झुकना पड़े। लेकिन सवाल है कि यह राजनीति कौन करेगा और कहाँ से इसकी शुरूआत हो? इस मसले से जुड़े संभवतः इस सबसे अहम पहलू पर

छठे अध्याय में चर्चा की गई है। यह पुस्तिका बहुत से जन संगठनों के अनुभवों, उनके पर्चों, उनकी माँगों, देश की मशहूर पत्रिकाओं में छपे विशेषज्ञों के लेखों, अखबारी रपटों एवं टिप्पणियों और जानकारों से बातचीत के आधार पर तैयार की गई है। जिन संदर्भों का इसमें सहारा लिया गया है, उसकी सूची पुस्तिका के अन्त में है।

बिहार और बाढ़

बिहार में बाढ़बाढ़ बिहार की एक बड़ी समस्या है। बिहार की गरीबी की एक वजह हर साल बाढ़ से होने वाली तबाही भी मानी जाती है। उत्तर बिहार का बड़ा इलाका हर साल पानी में डूबता है, लेकिन हर साल यह बाढ़ उतनी बड़ी खबर नहीं बनती। कई जानकारों का कहना है कि 2008 में कोशी की बाढ़ इसलिये उतनी बड़ी खबर बन पाई, क्योंकि एक तो नेपाल का पहलू उससे जुड़ा होने की वजह से यह एक अंतर्राष्ट्रीय मसला बन गया, और दूसरे लोकसभा चुनाव करीब होने की वजह से राजनीतिक दलों को इसमें सियासी मुद्दा मिलने की सम्भावना नजर आई।

वैसे बिहार की समस्या सिर्फ ह्यकोशीह्न नहीं है। अगर बिहार को राहत मिलनी है तो वह तभी मिलेगी, जब उत्तर बिहार में बाढ़ से निपटने की एक सम्पूर्ण रणनीति बनाई जाए। उत्तर बिहार का इलाका भारत-नेपाल सीमा के मध्य पूर्वी हिस्से, पश्चिम में घाघरा नदी और पूरब में महानंदा नदी के बीच में बसा है। यह इलाका कई बड़ी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र है। ये नदियाँ हैं- घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, अधवरा समूह की नदियाँ, कमला बलान, कोशी और महानंदा। यह इलाका तकरीबन 56 लाख हेक्टेयर में फैला है और विशाल गांगेय क्षेत्र का हिस्सा है। इलाके की नदियाँ आगे चल कर गंगा में मिल जाती हैं। इनमें से अधिकांश नदियाँ हिमालय से निकलती हैं और नेपाल में बहते हुए उत्तर बिहार पहुँचती हैं। बिहार में अक्सर ये नदियाँ, खासकर बरसात में धारा बदलती रहती हैं। इनका प्रबंधन आज भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

बरसात में मैदानी और हिमालय के पहाड़ी इलाकों के जल ग्रहण क्षेत्रों में जोरदार बारिश होने पर इन नदियों का पानी बढ़ने लगता है। अगर बंगाल की खाड़ी में हवा का दबाव बनता है, तो उसके असर से होने वाली बारिश का असर भी इन नदियों के जल स्तर पर पड़ता है। पानी बढ़ने के साथ बाढ़ की हालत बन जाती है और तटबंधों के टूटने की खबरें आने लगती हैं।

नतीजा बड़े इलाके के डूब जाने के रूप में सामने आता है। इस आपदा से लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं और बड़ी संख्या में पशु मारे जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक उत्तर बिहार की ये नदियाँ हर साल 217 क्यूबिक मीटर पानी, जिसमें 43 करोड़ टन गाद होती है, गंगा में पहुँचाती हैं। गंगा नदी से जो पानी फरक्का तक पहुँचता है, उनमें 47 फीसदी पानी इन्हीं नदियों से आया हुआ होता है। गंगा जितना गाद फरक्का पहुँचाती है, उसका 59 फीसदी हिस्सा नदियों से आता है। यहाँ यह गौरतलब है कि ये नदियाँ ताजा जल का बहुमूल्य स्रोत हैं।

जल स्रोतों के बारे में संयुक्त राष्ट्र के अध्ययन से दुनिया भर में जब चिन्ता की लकीरें गहरी हो गई हैं, तब इन नदियों के बारे में गम्भीरता से सोचने की जरूरत और शिद्दत से महसूस की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के इस अध्ययन के मुताबिक आने वाले वर्षों में पीने और औद्योगिक उपयोग के लिये ताजे जल की भारी कमी हो जाएगी। बिगड़ते पर्यावरण और बढ़ती आबादी की वजह से यह समस्या लगातार गम्भीर हो रही है।

एक अनुमान के मुताबिक धरती पर कुल जितना पानी मौजूद है, उसका सिर्फ 0.014 फीसदी ही ताजा जल के स्रोतों से आता है। उत्तरी बिहार की नदियाँ अनुमानतः 4 खरब 12 अरब क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। इसलिये यह जरूरी है कि जल संसाधन के संरक्षण और इसके सही उपयोग के वाजिब नीतियाँ बनाई जायें, ताकि वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के हित सुरक्षित हो सकें। (तथ्य एमबी वर्मा के आलेख से)

बहरहाल, यही नदियाँ बरसात के मौसम में कहर बन जाती हैं। उत्तर बिहार हर साल बाढ़ से प्रभावित होने वाला इलाका है। गौरतलब है कि भारत दुनिया में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में है। दुनिया भर में बाढ़ से जितनी मौतें होती हैं, उसका पाँचवा हिस्सा भारत में होता है। तकरीबन 4 करोड़ हेक्टेयर इलाका यानी भारत की कुल भूमि का आठवाँ हिस्सा ऐसा है, जहाँ बाढ़ आने का अंदेशा रहता है।

दुनिया में जो इलाके बाढ़ से सबसे बुरी तरह प्रभावित होते हैं, उनमें गंगा के मैदानी इलाके भी हैं। बाढ़ इन इलाकों के बाशिंदों के लिये लगभग हर साल दुख और विनाश की कथा लिख जाती है। उपलब्ध आँकड़ों के मुताबिक पिछले पाँच दशकों में भारत में बाढ़ नियंत्रण पर 27 खरब रुपए खर्च किये गये, लेकिन इस दौरान बाढ़ से हर साल होने वाली क्षति 40 गुना बढ़ गई। इसी अवधि में हर साल बाढ़ से प्रभावित होने वाले इलाकों में 1.5 फीसदी का इजाफा हुआ। (जियोग्रैफी एंड यू. जुलाई-अगस्त 2008)

जानकारों के मुताबिक बाढ़ का आना एक कुदरती

परिघटना है, जिसका नदी के प्राकृतिक रूप को बचाए रखने में अहम योगदान है। एक खास अंतराल पर नदी में ज्यादा पानी आएगा, यह बात हमें मान कर चलना चाहिए। बाढ़ दरअसल नदी के बहने और इसके कायम रहने की प्रक्रिया का हिस्सा है। बाढ़ खतरनाक इसलिये हो जाती है, क्योंकि लोग उन इलाकों में रहने लगते हैं, जहाँ तक खास मौसम और स्थिति में नदी का पानी पहुँचता है। इन्हीं लोगों को बचाने के लिये बाढ़ नियंत्रण के उपाय अपनाये जाते हैं। लेकिन यह तो तय है कि बाढ़ नियंत्रण के उपाय प्रकृति में इंसान का हस्तक्षेप है।

यह भी एक तथ्य है कि पिछले तीन दशकों में भारत में सबसे ज्यादा बाढ़ उत्तर बिहार के मैदानी इलाकों में ही आई है। इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ बाढ़ नियंत्रण के उपाय या तो कारगर नहीं हुए या थोड़े समय के लिये कारगर होने के बाद नाकाम हो गये। ऐसे में उत्तर बिहार और असल में पूरे देश के अनुभव के आधार पर यह जरूर स्वीकार कर लिया जाना चाहिए कि बाढ़ नियंत्रण की दोशमुक्त या सम्पूर्ण व्यवस्था करना लगभग असम्भव है। बाढ़ को सम्भालने के जो भी कार्यक्रम बनाए जायें, यह बात जरूर ध्यान में रखी जानी चाहिए कि इनसे लोगों में सुरक्षा का झूठा भरोसा भरने की कोशिश ना हो।

जानकारों का सुझाव है कि बाढ़ नियंत्रण के कार्यक्रम बनाते वक्त इन बातों पर जरूर गौर किया जाना चाहिए : 1- बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक हो, 2 - इस पर जितनी लागत आये उसकी तुलना में उससे लाभ ज्यादा हो, और 3 - बाढ़ नियंत्रण के प्रतिकूल प्रभावों से बचा जाए। बाढ़ नियंत्रण के प्रतिकूल प्रभावों से मतलब वैसे असर से है, जो इन कार्यक्रमों की वजह से देखने को मिलते हैं। मसलन, नदी के रास्ते में बदलाव, किसी इलाके में पानी जमा होना, और बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में बढ़ोतरी।

बाढ़, सुखाड़ और भुखमरी

आखिर बिहार की पूर्व सरकारों और राजनीतिक दलों ने पहले भी कोई सबक नहीं सीखा था। इसीलिये बिहार गरीबी और दुर्दशा का पर्याय बना हुआ है। इसके पीछे प्राकृतिक आपदाओं, खासकर बाढ़ की बड़ी भूमिका रही है। कुछ अनुमानों के मुताबिक राज्य की एक तिहाई आबादी राज्य के बाहर जाकर रोजी-रोटी कमाती हैं मजबूरी में होने वाले इस पलायन की पीड़ा को समझने की कभी कोशिश नहीं की गई। अपनी जमीन से उखड़ कर जाना, अपने प्रिय लोगों से बिछोह, अपनी संस्कृति और माहौल से कट कर दूसरी जगह जाकर जीने की विवशता-बिहार के लाखों लोगों की कहानी हैं। आखिर इसके लिये कौन जिम्मेदार है? क्या राजनीतिक दल इस बात से इनकार कर सकते हैं कि बिहार में बाढ़ से पैदा हुई समस्याएं उनके आपराधिक कुशासन और कुप्रबंधक का परिणाम है?

इस मुद्दे और प्राकृतिक आपदा से जुड़े इस पहलू पर गम्भीरता से विचार-विमर्श की जरूरत है। बिहार में दशकों से सक्रिय रहे सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता इस तरह सरकारों का ध्यान खींचने की कोशिश रहते रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी और विपक्षी दलों के लिये यह सवाल आरोप-प्रत्यारोप का एक विषय होने से ज्यादा कुछ नहीं रहा है। सत्ता में चाहे कोई रहे, इससे

उत्तर बिहार में भूख की स्थिति बाढ़ और दक्षिण बिहार में सूखे से जुड़ी हुई है लेकिन इस सवाल पर बिहार में सभी चुप हैं। अगर पिछले पाँच साल में विधानसभा में हुई चचाओं पर गौर किया जाए तो यह सामने आता है कि भुखमरी के सवाल पर न तो कोई चर्चा हुई है, और ना ही कोई सवाल उठाया गया है राजनीति, खासकर चुनावी राजनीति में भुखमरी कोई मुद्दा नहीं है।

हालात नहीं बदलते। कोशी की बाढ़ के बाद जब ये कार्यकर्ता पटना में बाढ़ और भूख पर संवाद के लिये इकट्ठे हुए तो बिहार की विकट स्थिति कुछ ज्यादा साफ हुई। यहाँ हम उस संवाद में सामने आए अहम मुद्दे पेश कर रहे हैं-

उत्तर बिहार में भूख की स्थिति बाढ़ और दक्षिण बिहार में सूखे से जुड़ी हुई है लेकिन इस सवाल पर बिहार में सभी चुप हैं। अगर पिछले पाँच साल में विधानसभा में हुई चचाओं पर गौर किया जाए तो यह सामने आता है कि भुखमरी के सवाल पर न तो कोई चर्चा हुई है, और ना ही कोई सवाल उठाया गया है राजनीति, खासकर चुनावी राजनीति में भुखमरी कोई मुद्दा नहीं है।

2008 में वैशाली जिले के वान्थु, गोरइया और परवारी गाँव के बारे में एक अखबार ने खबर छापी कि दो मुसहर भाई भूख के कारण मर गए। जब ह्यवादा ना तोड़ोह्न अभियान की तरफ से वहाँ सर्वेक्षण किया गया तो सर्वे में गए लोगों ने महसूस किया कि वहाँ हालात इतने खराब है कि एक क्या, सभी लोग भुखमरी का शिकार हो सकते हैं। लोग वहाँ आलू की जड़ और उसकी गुठली को निकाल कर खाने को मजबूर थे। जब वो लोग आलू की जड़ को उबाल रहे थे तब इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी कि उसके सामने खड़ा रहना भी कठिन था। हकीकत यह है कि भुखमरी का एक कारण बाढ़ है, लेकिन बाढ़ न आने की स्थिति में भी भुखमरी होती हैं यानी इसके कुछ दूसरे कारण भी हैं लेकिन राजनीतिक दल इस मुद्दे पर असंवेदनशील हैं।

इसलिये सामाजिक कार्यकर्ता यह जरूरत महसूस करते हैं कि भूख की समस्या को आज की राजनीति के केन्द्र में लाना चाहिए। बाढ़ से उत्पन्न भुखमरी की स्थिति को भी राजनीति में लाना चाहिए। अगर संसदीय राजनीति में भूख की समस्या का हल नहीं हो सकता तो आखिर यह समस्या कैसे हल हो सकती है, इस पर चर्चा होनी चाहिए।

भुखमरी, बाढ़ और सूखे दोनों ही स्थितियों में होती है। इसका सबसे बड़ा कारण दरअसल भ्रष्टाचार है अगर किसी इलाके में बाढ़ आ जाए तो सरकार और दूसरे स्त्रोतों से मदद पहुँचाई जाती है, लेकिन वह जरूरतमंदों तक नहीं पहुँच पाती। नदियों के पानी को रोकने के लिये पैसे तो मिलते हैं, लेकिन पदाधिकारी उससे जरूरी काम नहीं कराते, खुद खा जाते हैं जब तक ऐसा रहेगा, भुखमरी बनी रहेगी।

बागमती नदी पर तटबंध बनाने के लिये जो इंजीनियर निरीक्षण के लिये आए थे, उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि बागमती नदी पर तटबंध नहीं बनाया जा सकता। लेकिन बागमती पर तटबंध बनाया गया। इससे पहले स्थानीय नेताओं ने अपने लोगों को ठेके दिलवाए, फिर कमीशन लिया। यानी जब भी बांध या तटबंध बनने की योजना बनती है तो भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। नेता बीडीओ और कलेक्टर से कमीशन लेते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने इंदिरा आवास योजना में भी कमीशन लिया।

सरकारी अधिकारियों और नेताओं के बीच एक बिचौलिया तबका तैयार हो गया है। बाढ़ इन सबके लिये एक उद्योग है। यह उद्योग चलता रहे इसके लिये वो हमेशा किसी न किसी समस्या को जन्म देते रहते हैं। बागमती का बांध टूटने से जगह-जगह गड्ढे बन गए, दूर-दूर तक रेत फैल गई, लेकिन इसकी जाँच के लिये कोई टीम नहीं आई। ऐसे मामलों में कोई पहल न होने से लोग खेती-बाड़ी छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं इस तरह बाढ़ और भुखमरी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

तटबंध बने या नहीं, इस पर आज भी चर्चा जारी है। सामाजिक कार्यकताओं ने राय जताई कि बिहार और देश के लगभग 99 फीसदी बाढ़ विशेषज्ञों की रोजी-रोटी इसी मुद्दे से चल रही है सरकार से ज्यादा ये लोग बाढ़ के लिये जिम्मेदार हैं। बाढ़ के मुद्दे पर काम करने वाले जन संगठनों, आंदोलनकारियों से पूछ लिया जाए, उसका अध्ययन किया जाए तो आपको पता चलेगा कि सरकार द्वारा की गई गलतियों के लिये भी यही विशेषज्ञ जिम्मेदार हैं। इन लोगों ने बाढ़ जैसे सवाल पर बहस से आम जनता को कभी नहीं जोड़ा। बहस जितनी तकनीकी होगी, आम आदमी उससे उतना कटा रहेगा, असली सामाजिक कार्यकर्ता उससे कटे रहेंगे।

सामाजिक कार्यकर्ता की यह राय बाढ़ और उसके प्रबंधन से जुड़े कई पहलुओं की तरफ इशारा करती है। इससे यह उभर कर सामने आता है कि बाढ़ सिर्फ एक समस्या नहीं है, बल्कि यह भुखमरी जैसी घोर समस्या की एक वजह भी है इससे दूसरी बात यह उभर कर सामने आती है कि बाढ़ महज एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि यह एक राजनीतिक सवाल है। जब तक इस सवाल को मुख्यधारा और राजनीति के केंद्र में नहीं लाया जाएगा तब तक बाढ़ प्रबंधन की जन पक्षीय नीतियां नहीं बन पाएंगी। तीसरी बात यह है कि बाढ़ से सम्बन्धित बहस महज तकनीकी नहीं है, बल्कि इसके माननीय और जन साधारण से जुड़े सवाल भी सम्बन्धित हैं। बाढ़ प्रबंधन के वो तरीके शायद अपना मकसद हासिल नहीं कर सके, जिन्हें अपनाने से पहले जनता की राय नहीं ली गई हो। इसलिये यह अब बेहद जरूरी हो गया है कि बाढ़ नियंत्रण एवं प्रबन्धन के बारे में एक समग्र नजरिया अपनाया जाए, जिसमें सरकार, वैज्ञानिक और तकनीकी लोगों के साथ-साथ आम जन के खयालात भी अहमियत रखते हों।

अध्याय-2. कोशी नदी में बाढ़ की पृष्ठभूमि

बिहार में बाढ़कोशी जो नेपाल और भारत के एक बहुत बड़े इलाके पर पसरी हुई है। यानी यह एक ऐसी नदी है, जो दो देशों में बहती है इसका जलग्रहण क्षेत्र 95,646 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह इलाका माउंट एवरेस्ट और कंचनजंघा से होते हुए गंगा नदी

तक जाता है। लेकिन गंगा में मिलने से पहले कोशी बिहार की कई प्रमुख नदियों, मसलन-कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक और भूतही बलान को खुद में समेट लेती है। चतरा में उतरने के पहले कोशी नदी नेपाल की तराई में 48 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी होती है। फिर यह उत्तर बिहार में 15 धाराओं में बंट जाती है। पिछले दो सौ साल में यह नदी उत्तर बिहार में पूरब से पश्चिम की तरफ 150 किलोमीटर से ज्यादा खिसकी है।

नेपाल में सात बड़ी नदियां कोशी में मिलती हैं, इसलिये नेपाल में इसे सप्त कोशी कहा जाता है। अपने स्रोत से चलकर गंगा में मिलने तक कोशी 729 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसमें से 260 किलोमीटर का इलाका भारत में है।

कोशी में पानी का औसत प्रवाह 1,564 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है। बाढ़ के समय यह प्रवाह 18 गुना बढ़ जाता है। उपलब्ध आँकड़ों के मुताबिक कोशी में सबसे भयंकर बाढ़ अगस्त 1968 में आई थी, जब जल प्रवाह 25,878 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गया था। इसके पहले एक और भयंकर बाढ़ अगस्त 1954 में आई, जब इसमें 24,200 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड का जल प्रवाह देखने को मिला था।

इंजीनियर और बाढ़ विशेषज्ञ दिनेश कुमार मिश्र के मुताबिक, ह्लकोशी की विभिन्न धाराओं के नक्शे 18वीं सदी के प्रारम्भ से उपलब्ध हैं। 15 अलग-अलग धाराओं में बहने वाली इस नदी के एक धारा से दूसरी धारा में बहने का कारण उसमें आने वाली गाद थी। ऐसी नदी को एक धारा में बहाने का दुस्साहस 1950 के दशक में हमारे राजनीतिज्ञों और इंजीनियरों ने किया। जिस नदी का पानी और उसकी गाद 15 धाराओं में किसी न किसी मात्रा में बहती थी वह एक धारा में सीमित हो गई। इस मूर्खता का परिणाम यह हुआ कि बहुत सी धाराओं में बहने वाली नदी की सिर्फ एक धारा के बीच सारा पानी और सारी गाद बहने लगी। जो नदी पहले से ही भोर थी, वह तटबंधों के बीच बंध जाने के बाद पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गई, क्योंकि अब उसकी केवल एक धारा की पेटी का स्तर बाकी सभी धाराओं और साथ की जमीन से कहीं ज्यादा ऊपर हो गया। ऐसी नदी स्थिर नहीं रह सकती थी।

कोशी में हर साल बरसात में पानी बढ़ता है। जून से सितम्बर तक मानसून के मौसम में कोशी के जल ग्रहण क्षेत्र में तेज बारिश होती है, हालांकि यहाँ हर साल एक जैसी हालत नहीं रहती। कोशी जल ग्रहण इलाके में बादल फटने की घटनाएं आम हैं, जिस दौरान एक दिन में 500 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। जानकारों के मुताबिक जल ग्रहण क्षेत्र में दिखने वाला यह रुझान कोशी के अनोखे और खतरनाक व्यवहार का एक कारण है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, कोशी के अक्सर कहर ढाने का एक कारण उसके पानी में आने वाली गाद है। बादल फटने के दौरान बड़े पैमाने पर मलबा नदियों में आता है। पहाड़ में जमीन धंसने की घटनाएँ आम तौर पर होती रहती हैं। इससे भी पानी और गाद नदी में आती है। ये सारी घटनाएं अचानक होती हैं और इतना वक्त नहीं होता कि सम्भावित बाढ़ के दायरे में आने वाले लोगों को चेतावनी दी जा सके।

पिछले साठ साल में हिमालय में ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार तेज हुई है। इससे कई बार बर्फ पिघलने से बनने वाली झीलों में अचानक उफान आ जाता है। इससे तेज रफ्तार से पानी नदियों में पहुंचता है और इसके साथ ही पहुंचता है झीलों के टूटने से पैदा हुआ मलबा। जब इन नदियों की बाढ़ नीचे पहुंचती है, तो पानी और गाद खेतों और बस्तियों में तबाही मचा देते हैं। अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि कोशी हर साल 12 करोड़ क्यूबिक मीटर गाद लाती है, जिनमें 95 फीसदी मानसून के दिनों में आता है। (अजय दीक्षित, ईपीडब्लू, 7 फरवरी 2009)

कुसहा पर पूर्वी कोशी तटबंध की टूट

कोशी का कहर अगस्त 2008 में बिहार के एक बड़े इलाके पर टूट पड़ा। कोशी को कभी बिहार का शोक कहा जाता था। जब यह नदी पूर्णिया जिले में बहती थी तब एक कहावत बड़ी चर्चित थी कि ह्यजहर खाओ, न माहुर खाओ, मरना है तो पूर्णिया जाओ।ह्ल इस नदी का यह स्वभाव था कि वह अपना रास्ता बदलती रहती थी। यह कब अपना रुख बदल लेगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता था। इसलिये लोग इससे डरे रहते थे।

लेकिन यह तब की बात है, जब माना जाता था कि प्रकृति के कोप से बचना मुश्किल है। बाद में नदी के किनारे तटबंध बनाए गए और बाढ़ से लोगों को बचाने के इंतजाम किए गए। लेकिन 2008 में कोशी का विकराल रूप एक बार फिर देखने को मिला। और इसके साथ ही बाढ़ रोकने के लिये किए इंतजाम एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए। नदी को बांधने की कोशिश में इंसान नाकाम रहा है, यह बात एक बार फिर जाहिर हो गई। बाढ़ 18 अगस्त 2008 को नेपाल में कुसहा तटबंध में दरार पड़ने से आई। इसका असर बिहार के 8 जिलों पर पड़ा। ये जिले हैं- सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, खगड़िया और नवगछिया (पुलिस जिला)। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 527 जानें गई और 35 लाख से अधिक लोग इस तबाही का शिकार हुए। हालांकि कोशी इलाके में काम करने वाले कई जन संगठन मृतकों की संख्या साढ़े तीन हजार से 20 हजार तक मानते हैं। बाढ़ की वजह से लाखों लोग बेघर हो गए। लाखों की आजीविका चली गई। एक लाख छह हेक्टेयर जमीन पर खड़ी फसलें नष्ट हो गईं। नुकसान इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि केन्द्र सरकार को कोशी की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना पड़ा। बिहार सरकार ने बाढ़ के वक्त 9,000 करोड़ रुपये के नुकसान का अंदाजा लगाया। केन्द्र सरकार की तरफ से भेजे गए टास्क फोर्स ने 16 सितम्बर 2008 को 25,000 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही। बिहार सरकार ने पुनर्निर्माण के लिये 14,500 करोड़ रुपए की मांग की। कई संगठनों का कहना है कि नुकसान एक लाख करोड़ रुपए से ऊपर का हुआ है जबकि केन्द्र सरकार ने मात्र एक हजार करोड़ रुपए ही दिए हैं। 18 अगस्त के बाद 24 दिन तक लगातार पानी फैलता रहा। खबर आती रही कि आज यह इलाका डूब गया है तो आज अमुक इलाके में पानी भर गया है। कोशी का पानी रेल पटरियों और सड़कों से टकराता रहा, उन्हें तोड़ता रहा और इलाके-दर-इलाके इसकी चपेट में आते रहे।

इंजीनियर और बाढ़ विशेषज्ञ दिनेश कुमार मिश्र के मुताबिक, ह्लकोशी की विभिन्न धाराओं के नक्शे 18वीं सदी के प्रारम्भ से उपलब्ध हैं। 15 अलग-अलग धाराओं में बहने वाली इस नदी के एक धारा से दूसरी धारा में बहने का कारण उसमें आने वाली गाद थी। ऐसी नदी को एक धारा में बहाने का दुस्साहस 1950 के दशक में हमारे राजनीतिज्ञों और इंजीनियरों ने किया। जिस नदी का पानी और उसकी गाद 15 धाराओं में किसी न किसी मात्रा में बहती थी वह एक धारा में सीमित हो गई। इस मूर्खता का परिणाम यह हुआ कि बहुत सी धाराओं में बहने वाली नदी की सिर्फ एक धारा के बीच सारा पानी और सारी गाद बहने लगी।

बाढ़ की वजह से हजारों पशु मर गए। तालाब बह गए, जिनके साथ मछलियाँ मर गईं। इससे लाखों लोगों के रोजगार पर असर पड़ा। इस हालत में लोग आखिर क्या करते? तकरीबन 12 लाख लोग बिहार से पलायन कर गए। विनाश के बीच सरकार को जैसे लकवा मार गया। करीब दो हफ्तों तक बाढ़ पीड़ित इलाकों में सरकार का कहीं नामो-निशां नहीं था। सरकार ने बाद में दावा किया कि उसने साढ़े छह लाख लोगों को राहत शिविरों में पनाह दी लेकिन सवाल है कि जब बाढ़ की विपत्ति 30 लाख लोगों पर टूटी थी तो बाकी लोगों के साथ क्या हुआ। इसकी खबर उसके पास क्यों नहीं थी? विपक्ष को जरूर बाढ़ में अपना राजनीतिक फायदा नजर आया और तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने 160 मुफ्त रेल गाडियाँ चलवा दीं। जिससे बाढ़ पीड़ित लोग उस इलाके से बाहर जा सकें। बहुत से लोगों ने ट्रेनों के डिब्बों में ही कई हफ्तों तक पनाह ले रखी थी। जब बाढ़ उफान पर थी, तो बहुत से लोगों ने पेड़ों की टहनियों से लटक कर अपनी जान बचाई। कई-कई दिन तक लोग भूखे-प्यासे उस हाल में रहे, या फिर जान बचाने की जुगत में लगे रहे।

विपत्ति के उन दिनों में लोगों का कोई सहारा था तो वो खुद थे या उनका समाज था। एक दूसरे की मदद का ही आसरा था। जिन लोगों ने पलायन किया उनमें से बहुत से लोग साल भर बाद तक नहीं लौटे। वे फोन से अपने घर-गाँव की खबर लेते, लेकिन यह जान कर कि लौटने के बाद जिंदगी बसर होना मुश्किल है, वापसी का इरादा छोड़ देते थे।

बाढ़ से नुकसान के जो आंकड़े सामने आए, उसमें वह नुकसान शामिल नहीं है, जो बाढ़ के दीर्घकालिक असर से होगा। कई जानकारों ने कहा है कि बाढ़ की वजह से खेत लंबे समय तक बंजर बने रहेंगे, जिससे लोगों को बदहाली का सामना करना पड़ेगा। बाढ़ के साथ आई रेत और गाद खेतों में जम गई। साथ ही इनकी वजह से सिंचाई के लिये पानी पहुंचाने के मकसद से बनाए गए रास्ते जाम हो गये। साफ है, इसका असर लम्बे समय तक दिखता रहेगा।

कोशी ने एक बार फिर अपना खौफनाक रूप दिखा दिया था लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस तबाही में भी सरकारें और राजनीतिक दल अपने तुच्छ स्वार्थों से ऊपर उठ नहीं पाए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पूर्णिया

पहुँचे तो राष्ट्रीय आपदा की बात कह गए। लेकिन जब सामाजिक कार्यकर्ताओं ने केन्द्र सरकार के अधिकारियों से बात की तो उन्हें बताया गया कि राष्ट्रीय आपदा जैसी कोई चर्चा दिल्ली में नहीं है। तो क्या बिहार के लाखों बाढ़ पीड़ितों के साथ धोखा हुआ?

क्यों बरपा कहर?

अगस्त 2008 में नदी की धारा इतनी तेज नहीं थी। इसके बावजूद भारी तबाही हुई। वजह थी नेपाल में कुसहा तटबंध का टूटना। इससे वहाँ जमा पानी तेजी से बह निकला और नेपाल की तराई में मौजूद सुनसरी जिले से लेकर बिहार में सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार और नवगछिया आदि जिलों पर विपत्ति टूट पड़ी। नेपाल में पचास हजार लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए। उस बाढ़ ने तटबंधों की उपयोगिता को चर्चा के केंद्र में ला दिया। इसलिये भी कि तटबंध उस वक्त टूटा, जब नदी में पानी का बहाव अगस्त के औसत बहाव से कम था। इसीलिये अनेक जानकारों की राय है कि 2008 में कोशी की बाढ़ से हुई तबाही की वजह मानसून में आने वाली बाढ़ नहीं थी। कुदरत को इसके लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यहाँ यह भी गौरतलब है कि 2008 के अगस्त के पहले पखवाड़े में कोशी के जलग्रहण क्षेत्र में मौजूद पहाड़ियों पर हुई बारिश सामान्य से कम थी।

इन जानकारों का कहना है कि अगर तटबंध टूटने के समय कोशी में जल प्रवाह ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा होता तो और भी भयानक तबाही देखने को मिलती। तटबंध टूटने के दिन कोशी में जल प्रवाह 1968 में दर्ज सर्वोच्च स्तर का तकरीबन छठवां हिस्सा ही था। जब तटबंध टूटा तो नदी का पानी पुराने रास्तों से बहने लगा, प्रवाह जिधर आसानी से मुड़ सकता था मुड़ गया, और निचले इलाके में डूब गए। (राजीव सिन्हा, ईपीडब्लू, 15 नवम्बर 2008)

तटबंध टूटने के समय दो असामान्य घटनाएं देखी गई। पहली यह कि नदी अपनी मौजूदा धारा से पूरब की तरफ मुड़ी, जबकि पिछले दो सौ साल से इसका रूझान पश्चिम की तरफ मुड़ने का रहा है। और दूसरी असामान्य घटना यह दिखी कि नदी की धारा ने करीब 120 किलोमीटर की दिशा बदली। यह किसी एक मौके पर धारा के इतनी दिशा बदल लेने का रिकॉर्ड है।

बाद में सामने आए तथ्यों से यह जाहिर हुआ कि कुसहा के आसपास पूर्वी तटबंध पिछले कुछ वर्षों से दबाव में था बल्कि उपग्रह से हासिल तस्वीरों से साफ होता है कि नदी कम से कम 1979 से पूरब की तरफ मुड़ रही थी। 5 अगस्त 2008 को कुसहा तटबंध में दरार पड़ती नजर आई। अगर उसी वक्त जरूरी कदम उठा लिये गए होते, तो शायद इस विपत्ति से लाखों लोग बच जाते।

वैसे यह आठवां मौका था, जब कोशी के पूर्वी तटबंध में दरार पड़ी। हाँ, ऐसा पहली बार हुआ, जब बैराज के ऊपर तटबंध टूटा। 1968, 1984 और 1987 में पूर्वी तटबंध में पड़ी दरारें कम घातक नहीं थीं तब भी बड़ी संख्या में लोगों को बाढ़ का कहर झेलना पड़ा था। ये तटबंध 1963 में बन कर तैयार हुए थे। यानी अब ये 46 वर्ष से ज्यादा पुराने हो चुके हैं ऐसे में जानकारों की राय है कि इनमें दरार पड़ना आश्चर्यजनक नहीं है। (राजीव सिन्हा, ईपीडब्लू, 15 नवम्बर 2008)

तटबंध बनने के साथ ही कोशी नदी के पूरब में मौजूद इलाके में सड़कें, नहर, रेल लाइनें आदि बना दी गई। इससे नदी से पानी बहने के पुराने कुदरती रास्ते बंद हो गए। नदी बेसिन में अवरोध खड़े हो गए। पानी का बहाव नियंत्रित करने के लिये नदी पर बैराज बनाया गया। इससे नदी के ऊपरी बहाव स्थल पर गाद जमा होने लगी और कोशी नदी अपने ऊपरी इलाके में अस्थिर रूप से बहने लगी। उपरोक्त तथ्यों की रोशनी में यह बात साफ कही जा सकती है कि कोशी ने अगस्त 2008 में जो तबाही मचाई, उसकी परिस्थितियां इंसान ने ही पैदा की थी। तटबंध से बाढ़ रोकने की नीति से लेकर धरती के गर्म होने की वजह से हो रहा जलवायु परिवर्तन इसके कारणों में शामिल है। दोहराव के बावजूद इन दो तथ्यों पर गौर किए जाने की जरूरत है - धरती के गर्म होने की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और इसका असर नदियों से लेकर पूरे वातावरण पर पड़ रहा है। प्रकृति को टेक्नोलॉजी से जीत लेने का अंधविश्वास तटबंध पर अंधआस्था के रूप में सामने आया है, और इसका परिणाम अब भुगतना पड़ रहा है।

इस संदर्भ में कुछ बातें गौरतलब हैंः 1- कोशी बैराज की वजह से सिंचाई की सुविधा तो मिली, लेकिन बहुत कम इलाके में। 2- इस परियोजना से जितनी बिजली मिलने का वादा किया गया था, उतनी बिजली कभी उपलब्ध नहीं हुई। नहर में बड़ी मात्रा में गाद जमा होने से बिजली संयंत्र इसका शिकार हो गया। 3- कोशी परियोजना की बाढ़ नियंत्रण की क्षमता पर भी सवाल लगातार गहरा होता गया है। एक बड़ा इलाका तटबंध के दायरे से बाहर पड़ता है और उस इलाके को इस परियोजना से कोई सुरक्षा मिली है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगस्त 2008 में तटबंध में दरार पड़ने से बाढ़ सुरक्षा का दावा और कमजोर साबित हो गया है।

अब ऐसी आम धारणा बन गई है कि पचास साल में तटबंधों में आठ बार दरार पड़ने के बावजूद कोई सबक नहीं सीखा गया है। इसकी एक मिसाल अक्टूबर 2008 में जल संसाधन के बारे में भारत-नेपाल की एक उच्चस्तरीय कमेटी की बैठक है। इस बैठक के बाद जारी विज्ञप्ति में बिहार में बाढ़ नियन्त्रण के लिये सप्त कोशी परियोजना पर अमल के ऊपर खास जोर दिया गया। लेकिन इसमें दरार पड़ने की घटनाओं और अभी दो महीने पहले ही मची तबाही के बावजूद बैराज एवं तटबंधों के जरिए बाढ़ रोकने के तरीके पर पुनर्विचार की कोई जरूरत महसूस नहीं की गई।

अध्याय-3. क्या बाँध और तटबंध हैं उपाय?

कोशी बाढ़ नियंत्रण पर कुछ आधारभूत विवाद

ब से बिहार, ब से बाढ़बात आगे बढ़ाने से पहले सप्त कोशी बहुउद्देशीय परियोजना पर एक सरसरी नजर डाल लेना उचित होगा। इस परियोजना का मकसद बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, पनबिजली पैदा करना और नौवहन (ल्लंप्र३इल्ल) बताए गए हैं। प्रस्तावित बांध त्रिवेणी और चतरा के बीच के पहाड़ी इलाके में मौजूद बराहक्षेत्र में बनना था। बांध की संभाव्यता (ाींइ्र३८) रिपोर्ट 1953 में तैयार की गई थी। लेकिन तब ज्यादा लागत के अनुमान की वजह से बांध का निर्माण छोड़ दिया गया। तब इसकी जगह नेपाल के इलाके में बैराज बनाया गया और साथ ही नदी के दोनों किनारों पर तटबंध बनाए गए। 1953 में भयंकर बाढ़ आई थी। उसी से बने माहौल के बीच 1954 में कोशी परियोजना की रूपरेखा बनी। इस परियोजना के तहत ये निर्माण होने थेः 1- भीमनगर में एक बैराज, 2- बैराज के नीचे नदी के दोनों किनारों पर तटबंध, 3- पूर्वी और पश्चिमी दिशाओं में नहर, 4- पूर्वी नहर पर पनबिजली संयंत्र, और 5- बराहक्षेत्र में एक बड़ा बांध। शुरूआत में इस परियोजना का मकसद बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई की सुविधाएं देना बताया गया। परियोजना पर काम 1959 में शुरू हुआ और 1963 में बैराज के जरिए नदी की दिशा बदल दी गई। बराहक्षेत्र में प्रस्तावित बांध को छोड़कर परियोजना के तहत होने वाले बाकी सभी निर्माण या तो पूरे हो चुके हैं या उन पर काम चल रहा है। (राजीव सिन्हा, ईपीडब्लू, 15 नवम्बर 2008)

भारत सरकार ने 1981 में बराहक्षेत्र में बांध की सम्भावना पर फिर से हुए अध्ययन की रिपोर्ट जारी की, जिसमें सुझाव दिया गया कि बांध की ऊंचाई 269 मीटर रखी जाए। 1984 में एक जापानी कम्पनी की मदद से फिर से इस परियोजना की पड़ताल की गई, जबकि उसी साल नेपाल सरकार ने कोशी बेसिन मास्टर प्लान बनाया। 1997 नेपाल और भारत सरकार के विशेषज्ञों की एक बैठक के बाद सहमति बनी कि कोशी बांध के बारे में साझा अध्ययन किया जाए। इस सारी चर्चा का सार तत्व यह था कि कोशी पर बांध बनाना भी कोशी नदी की बाढ़ को नियंत्रित करने का कारगर तरीका है, तटबंध सिर्फ इसके फौरी उपाय हैं।

सरकारी चचाओं में जब कभी बिहार में बाढ़ रोकने पर चर्चा हुई तब अक्सर बड़े बांध ही उपाय बताए गए हैं। कहा गया कि मुख्य और उनकी सहायक नदियों के बहाव के पहाड़ी और ऊपरी हिस्सों में बांध बनाए जाने चाहिए। चूंकि बिहार में बहने वाली ज्यादातर नदियां नेपाल से आती हैं, इसलिये बांध नेपाल की जमीन पर ही बन सकते हैं और इसलिये अक्सर भारत सरकार की चचाओं में इस सम्बन्ध में नेपाल का सहयोग जरूरी बताया जाता है। यह अनुमान जताया गया है कि कोशी नदी पर बराहक्षेत्र में प्रस्तावित बांध से 42,475 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड तक बहाव वाली बाढ़ के असर को कम किया जा सकेगा। साथ ही बांध गाद को रोक लेगा, जिससे नीचे नदी का बहाव ज्यादा स्थिर हो सकेगा। लेकिन यह परियोजना तभी हकीकत में बदल जाती है, जब नेपाल सरकार का सहयोग मिले। यानी नेपाल सरकार अपनी धरती पर बांध और उससे जुड़े सभी निर्माण पर राजी हो। जब तक नेपाल में राजतंत्र था, नेपाल की तरफ से भारतीय परियोजनाओं में ज्यादा रुकावट नहीं आती थी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अगस्त 2008 की बाढ़ के समय जिस तरह कोशी परियोजना का विरोध नेपाल मीडिया में हुआ, उसे देखते हुए यह नहीं लगता कि आगे नदी परियोजनाओं को कार्यरूप देना आसान है। नेपाल की जो भी सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी, उसे भारत का पिट्ठू या भारत के आगे घुटने टेकने वाली सरकार बता दिया जाएगा।

वैसे सवाल सिर्फ नेपाल के पहलू का ही नहीं है। उससे बड़ा सवाल यह है कि जिस माध्यम से बाढ़ को नियंत्रित करने का सपना देखा गया है, क्या अब भी उसकी वकालत की जा सकती है। तटबंध के जरिए बिहार को कोशी के कोप से नहीं बचाया जा सका।

सरकारें भले अब भी इसी माध्यम पर भरोसा करती हों, लेकिन यह साफ है कि ऐसा वो, बांध और तटबंधों से जुड़े जोखिम की अनदेखी करते हुए ही कर रही हैं। उन्होंने बड़े बांध से बनने वाले जलाशय में गाद जमा होने से जुड़े खतरों पर ध्यान नहीं दिया है।

भूकम्प की स्थिति में हो सकने वाले विनाश पर भी उन्होंने गौर नहीं किया है। बांधों से जुड़े पर्यावरणीय सवालों पर उन्होंने नहीं सोचा है। भारत में टिहरी और सरदार सरोवर बांध के सिलसिले में इन सभी मुद्दों और खतरों पर खूब चर्चा हुई है। इस बारे में आज पर्याप्त अध्ययन और जानकारी उपलब्ध है। सवाल यह है कि क्या कोशी या नेपाल से आने वाली किसी दूसरी नदी पर बांध या तटबंध बनाने की योजना बनाते वक्त इन अध्ययनों और जानकारियों की उपेक्षा वाजिब और भावी पीढ़ियों के हित में है?

कोशी परियोजना के तहत बैराज के नीचे नदी के दोनों किनारों पर बनाए गए तटबंधों का मकसद उत्तर बिहार और नेपाल में 2800 वर्ग किलोमीटर के इलाके को बाढ़ से बचाना बताया गया था। परियोजना को अपने बाकी उद्देश्यों में कितनी सफलता मिली, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन यह तो साफ है कि बाढ़ से बचाव के मकसद में कामयाबी नहीं मिली। तटबंध बनने के बाद भी भयंकर बाढ़ें आती रहीं।

तटबंधों में दरार का पड़ना जारी रहा। इसके अलावा पानी निकलने के रास्तों में जाम हो जाने और खेतों में पानी जमा होने जैसे इसके दूसरे दुष्प्रभाव भी सामने आए। नदी का तल पहले से ऊंचा हो गया और नदी के पानी के साथ उपजाऊ मिट्टी के कम आने की वजह से खेतों में पैदावार भी घटी। कहने का तात्पर्य यह है कि तटबंधों से बाढ़ की समस्या का हल नहीं निकला, बल्कि इनकी वजह से कई दूसरी समस्याएं सामने आ गईं।

अगर कोशी परियोजना के पूरे इतिहास को ध्यान में रखें, खासकर तटबंधों में बार-बार हुई टूट को तो यह नहीं लगता कि 18 अगस्त 2008 को कुसहा तटबंध में पड़ी दरार कोई अनोखी घटना थी। तटबंध टूटने के बाद 80 से 85 फीसदी पानी नदी के सामान्य रास्ते से अलग पूर्वी दिशा में बह निकला। ज्यादा पानी आने से नदी की चौड़ाई बढ़ती गई। एक हफ्ते बाद यह चौड़ाई 22 किलोमीटर थी और बाद के हफ्तों में यह 35 किलोमीटर तक हो गई। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि कुसहा में तटबंध का टूटना उसके पहले नदी के दोनों तरफ तटबंधों में पड़ी दरारों से दो मायने में अलग था। पहला यह कि 200 साल के रूझान से उलट इस बार नदी पूरब की तरफ चल पड़ी और दूसरा यह कि इसने 120 किलोमीटर दिशा बदली, जो एक रिकॉर्ड है। क्या इसकी वजह यह थी कि नदी के कुदरती प्रवाह में इंसान के दखल की इंतहा हो गई है? नदी का पूरब की तरफ जाना, और वह भी 120 किलोमीटर बदलाव के साथ - यह इस बात का संकेत हो सकता है कि नदी के पश्चिम की तरफ जाने की गुंजाइश खत्म हो चुकी होगी। ज्यादातर जानकार इस बात से सहमत है कि तटबंधों में कोशी को बांधने से स्थिति और बदतर हुई। इससे नदी के बहाव में बदलाव आया। बैराज के नीचे के कई इलाकों से पहले नदी के तल के ऊंचा होते जाने की खबरें मिलती रही थीं। इससे निकली नहरों और पानी बहने के दूसरे रास्तों में गाद के जमा होने के निशान पहले ही दिख रहे थे। बैराज के ऊपर के इलाकों में भी ऐसा होने के निशान दिखते रहे हैं।

कोशी में बाढ़ पहले भी आती थी, लेकिन उपरोक्त तथ्यों की रोशनी में यह जरूर कहा जा सकता है कि 2008 में आई बाढ़ नियंत्रण के जो तरीके हम सोच और अपना रहे हैं, वो पुराने पड़ चुके हैं। अब वह समय आ गया है, जब इन तरीकों पर पुनर्विचार किया जाए और नए तरीके सोचे जाएं।

अगर उत्तर बिहार पर गौर करें तो वहां बाढ़ नियंत्रण के लिये तटबंधों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया है। उत्तर बिहार में तटबंधों की लम्बाई 3,400 किलोमीटर से ज्यादा है। इनमें ज्यादातर तटबंध 1954 की भयंकर बाढ़ के बाद बनाए गए। इन तटबंधों की मौजूदगी के बावजूद उत्तर बिहार में बाढ़ आती रही है- कभी नदी में तटबंधों की ऊंचाई से ज्यादा पानी भर जाने की वजह से, तो कभी तटबंधों में दरार पड़ जाने की वजह से।

बागमती नदी बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के उपाय 1942 में शुरू हुए। तब से 466 किलोमीटर से ज्यादा तटबंध बनाए गए हैं। शुरूआत में नदी के निचले इलाके (डाउनस्ट्रीम) में तटबंध कारगर रहे। लेकिन जब ऊपरी इलाके (अपरस्ट्रीम) में तटबंध बनाए गए, तो निचले इलाकों में बाढ़ आने की घटनाएं बढ़ गईं और तटबंधों में भी बार-बार दरार पड़ने लगी। इस रूप में कहा जा सकता है कि तटबंधों ने सिर्फ इस समस्या से प्रभावित होने की जगह बदल दी है। तटबंध नदी के कुदरती प्रवाह में हस्तक्षेप करते हैं। इनकी वजह से जो इलाके बाढ़ से बच भी जाते हैं, वहाँ पानी और गाद जमा होने जैसी दूसरी मुश्किलें पेश आने लगती हैं। असल में तटबंधों से बाढ़ रोकने की रणनीति पर अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अमेरिका और चीन में भी तटबंध बाढ़ से राहत दिलाने में नाकाम रहे हैं। (जियोग्राफी एंड यू, जुलाई-अगस्त 2008)

पूर्वी-पश्चिमी कोशी तटबंधों के बीच रह रहे लोगों की त्रासदी

कोशी का तटबंध टूटने से इतनी बबार्दी झेल चुकने के बाद भी यह सवाल आखिर क्यों नहीं उठाया जाता कि अगर कुसहा तटबंध नहीं टूटता तो पानी आखिर कहां जाता ? जानकारों के मुताबिक तब पानी उस रास्ते से जाता, जिसे 1950-60 के दशक में तटबंधों से रोक दिया गया था। इन तटबंधों के बीच भारत में 386 और नेपाल में 34 गाँव बसे हैं। भारत में करीब दस लाख और नेपाल में डेढ़ लाख की आबादी वहाँ रहती है। अगर तटबंध नहीं टूटता तो दुर्भाग्य से तटबंधों के बीच बसे ये लोग ही तबाही का शिकार होते। पानी इन्हीं गांवों से होकर बहता। यानी तटबंध टूटे या नहीं, इंसानों के किसी न किसी हिस्से पर इनकी वजह से आपदा जरूर आएगी।

तटबंधों ने जैसी परिस्थिति खड़ी की है, उसे समझने के लिये उस कमेटी पर भी गौर करना चाहिए, जो तटबंधों के बीच फंसे लोगों की दुर्दशा पर विचार करने के लिये बनाई गई थी। चंद्रकिशोर पाठक की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने तटबंधों के बीच रह रहे लोगों के आर्थिक पुनर्वास और उनके विकास के लिये बनी एक प्राधिकरण बनाने की सिफारिश की थी।

1987 में कोशी पीड़ित विकास प्राधिकरण का गठन हुआ। इस सम्बन्ध में अपने संदेश में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे ने कहा था - ह्लकोशी तटबंधों के बनने के बाद से लाखों लोगों ने अनकही पीड़ा झेली है। देश में शायद ही कोई और ऐसी जगह हो, जहां इतने सारे लोग नदी की धारा के सामने रहते हों। अपने दुर्भाग्य से पीछे छुड़ाने की कोशिश करते-करते इन लोगों ने अब अपनी उम्मीद खो दी है।ह्व लेकिन वह प्राधिकरण भी इन लोगों के दुख-दर्द दूर नहीं कर सका।

दरअसल, तटबंध कोशी बेसिन के बाशिंदों के गले में लिपटे सांप की तरह बन गए हैं। अगर ये तटबंध सलामत रहते हैं, तो तटबंधों के बीच रहने वाली 12 लाख की आबादी की परेशानी की वजह बनते हैं, और अगर ये टूट जाते हैं तो इनके बाहर रहने वाली पांच लाख से लेकर 30 लाख तक की आबादी पर कहर टूट पड़ता है। तटबंध टूटने की हालत में कितनी आबादी बाढ़ की चपेट में आएगी, यह इससे तय होता है कि नदी कौन से रास्ते अपना लेती है। लेकिन बबार्दी तो हर हाल में होती है।

अध्याय-4. बाढ़ की समस्या और राजकाज की चुनौतियां

बिहार में बाढ़अगर हाल के अनुभव देखे जाएं तो कहा जा सकता है कि भारत में सरकारें अभी ऐसी किसी नई पहल के प्रति जागरूक नहीं हैं। पर्यावरण में आते बदलाव से नदी का व्यवहार बदल सकता है, या तटबंध बनाने जैसे जो उपाय किए हैं, वो कभी धोखा दे सकते हैं, इन बातों का अहसास सरकारी हलकों में नजर नहीं आता।

इसलिये पहले से कोई एहतियात नहीं बरती जाती। अगस्त 2008 में जब कोशी में बाढ़ आई तो ऐसे इलाके भी डूब गए, जहाँ काफी समय से बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा था। अचानक आई बाढ़ से वहाँ के लोग सकते में रह गए। उनके पास न तो बचाव का कोई उपाय था, और ऐसी परिस्थिति से निपटने की कोई तैयारी थी। उन लाखों लोगों ने इसे तकदीर की मार समझ कर संतोष कर लिया।

लेकिन अस्पताल में वह लापरवाही थी। इससे यह साफ हुआ बड़े बांध और तटबंधों को बनाने के लिये विज्ञान और आधुनिक आविष्कारों की दलील देने वाली सरकारें बाढ़ का पूर्व अनुमान लगाने और पीड़ितों के बचाव के लिये कुशल व्यवस्था करने की कोई तैयारी नहीं करतीं। इन मामलों में वे सब कुछ कुदरत पर छोड़ देती हैं। कुदरत से छेड़छाड़ कर वो उसका कोप भुगतने के लिये आप लोगों को असहाय छोड़ देती हैं। यही उत्तर बिहार में दशकों से हो रहा है। कोशी की बाढ़ से शोर खूब मचा लेकिन इन हालातों में कोई बदलाव होगा, ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिखती।

सामाजिक कार्यकताओं और पीड़ित लोगों के संवाद से यह बात भी साफ होती है कि राजनीतिक दल लोगों की दुर्दशा के लिये सीधे जिम्मेदार हैं। उनके निहित स्वार्थ और गलत फैसलों का नतीजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। राज्य और केंद्र-दोनों ही सरकारों के कर्ताधताओं से अब सीधा सवाल यह है कि बाढ़ के बाद राजनीतिक नेताओं ने भोलेपन का मुखौटा पहनते हुए दलील दी है कि जब नदी ने अपनी दिशा ही बदल ली तो प्रशासन क्या कर सकता था? लेकिन उन्होंने यह बताने की जरूरत नहीं समझी कि जब नदी की धारा

आरओ का बर्बाद पानी भी हो सकता है किचन किंग

हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया आने वाले दिनों में भीषण जल संकट का सामना करने वाला है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा, बल्कि भारत की आबादी को देखते हुए यहां संकट और भी विकराल हो सकता है।

दो साल पहले नीति आयोग अपनी रिपोर्ट में आगाह कर चुका है कि आने वाले सालों में भारत में जल संकट भीषण रूप ले सकता है। कई शहरों में पानी की उपलब्धता खत्म हो सकती है और कई इलाकों में पानी की उपलब्धता शून्य पर आ जाएगी। ऐसे में जरूरी है कि अभी से ही जल संरक्षण पर जोर दिया जाए। लोगों को हर तरह से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि हर सूरत में पानी को बचाएं।

हरियाणा के गुरुग्राम के कुछ छात्र पानी को बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं, वो जल संरक्षण की दिशा में एक बेहतरीन नजीर हो सकता है। ये छात्र गुरुग्राम के शिव नडार स्कूल में 10वीं में पढ़ रहे हैं और उन्होंने आरओ (रिवर्स

दो साल पहले नीति आयोग अपनी रिपोर्ट में आगाह कर चुका है कि आने वाले सालों में भारत में जल संकट भीषण रूप ले सकता है। कई शहरों में पानी की उपलब्धता खत्म हो सकती है और कई इलाकों में पानी की उपलब्धता शून्य पर आ जाएगी। ऐसे में जरूरी है कि अभी से ही जल संरक्षण पर जोर दिया जाए। लोगों को हर तरह से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि हर सूरत में पानी को बचाएं। हरियाणा के गुरुग्राम के कुछ छात्र पानी को बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं, वो जल संरक्षण की दिशा में एक बेहतरीन नजीर हो सकता है। ये छात्र गुरुग्राम के शिव नडार स्कूल में 10वीं में पढ़ रहे हैं और उन्होंने आरओ (रिवर्स ओस्मोसिस) पद्धति से फिल्टरिंग के वक्त जो पानी बर्बाद होता है, उसे संरक्षित करने की तकनीक विकसित कर ली है।

ओस्मोसिस) पद्धति से फिल्टरिंग के वक्त जो पानी बर्बाद होता है, उसे संरक्षित करने की तकनीक विकसित कर ली है।

क्या है ये तकनीक

दरअसल छात्रों को वार्षिक फेस्ट के लिए कुछ-कुछ काम करने को कहा जाता है। इन छात्रों को भी ऐसा ही निर्देश मिला था, तो इन्होंने आरओ से बर्बाद होने वाले पानी को दोबारा इस्तेमाल करने की तकनीक तैयार कर ली।

छात्रों के मुताबिक, उन्होंने आरओ मशीन से बर्बाद होने वाले पानी को बचाकर उन्हें किचन से कनेक्ट कर दिया। इससे हुआ ये कि आरओ मशीन से जो पानी पहले बर्बाद हो जाता था, वो अब किचेन में जाता है, जहां इसका इस्तेमाल बर्तन धोने व अन्य कामों में हो जाता है। इस तरह पानी बर्बाद होने से बच जाता है।

इस तकनीक के अंतर्गत आरओ मशीन से एक पाइप को किचेन बेसिन में लाया जाता है और इसमें एक नल फिट कर दिया जाता है व आरओ से जो पानी पहले बर्बाद चला जाता था, वो इस नल के रास्ते में किचेन के बेसिन तक पहुंचता है, जिसका वैकल्पिक इस्तेमाल हो जाता है।

लोग ये मान सकते हैं कि जो पानी बर्बाद होता है, वो गंदा होता है, इसलिए इसका वैकल्पिक इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन जल संरक्षण पर काम करने वाले विशेषज्ञ आरओ से बर्बाद होने वाले पानी के वैकल्पिक इस्तेमाल को अच्छा मानते हैं। विशेषज्ञों की राय है कि आरओ से बर्बाद होने वाले पानी का इस्तेमाल वाहन धोने, किचेन में बर्तन साफ करने, घर के फर्श आदि की सफाई की जा सकती है।

दरअसल छात्रों को वार्षिक फेस्ट के लिए कुछ-कुछ काम करने को कहा जाता है। इन छात्रों को भी ऐसा ही निर्देश मिला था, तो इन्होंने आरओ से बर्बाद होने वाले पानी को दोबारा इस्तेमाल करने की तकनीक तैयार कर ली। छात्रों के मुताबिक, उन्होंने आरओ मशीन से बर्बाद होने वाले पानी को बचाकर उन्हें किचन से कनेक्ट कर दिया। इससे हुआ ये कि आरओ मशीन से जो पानी पहले बर्बाद हो जाता था, वो अब किचेन में जाता है, जहां इसका इस्तेमाल बर्तन धोने व अन्य कामों में हो जाता है। इस तरह पानी बर्बाद होने से बच जाता है।

प्रोजेक्ट टीम

ये प्रोजेक्ट छह छात्रों आदित्य तंवर, अर्जुन सिंह बेदी, जैया खुराना, मोहम्मद उमर और पिया शर्मा ने मिलकर तैयार किया है। अर्जुन ने मीडिया को बताया, हमारी मूल चिंता ये थी कि भूगर्भ जल तेजी से खत्म हो रहा था। इसे ध्यान में रखते हुए स्कूल के लिए ये प्रोजेक्ट तैयार किया, लेकिन जल्दी ही हमें ये खयाल आया कि इसका विस्तार किया जाना चाहिए फिलहाल इस तकनीक का इस्तेमाल स्कूल के अलावा छात्रों व उनके रिश्तेदारों के घरों में हो रहा है। इसके अलावा गुरुग्राम के कुछ सार्वजनिक स्थलों मसलन एक डोसा कॉर्नर, एक आयुर्वेदिक क्लीनिक और पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में ये तकनीक स्थापित कर दी गई है। इन तीनों जगहों को मिलाकर अभी रोजाना आरओ का लगभग 1350 लीटर पानी बचाया जा रहा है और इनका वैकल्पिक इस्तेमाल हो रहा है। गुरुग्राम में जितनी भी जगहों पर ये तकनीक इस्तेमाल हो रही है, उन सबको मिलाकर 15 दिनों में करीब 1 लाख लीटर पानी बचाया जा चुका है।

आरओ तकनीक

आरओ तकनीक पानी को शुद्ध करने की एक तकनीक है, जो अपने देश में खूब प्रचलित है। प्रायः हर मध्यवर्गीय परिवार के घर में आरओ लगा मिल जाता है। लेकिन, लोगों को मालूम नहीं है कि पानी की बबार्दी में इस आरओ तकनीक का कितना बड़ा रोल है।

जानकार बताते हैं कि आरओ तकनीक से एक लीटर पानी शुद्ध होकर बाहर निकलता है, तो दो से तीन लीटर पानी बर्बाद होता है। दरअसल कितना पानी बर्बाद होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि पानी में टीडीएस की मात्रा कितनी है। अगर पानी में अधिक टीडीएस है, तो ज्यादा पानी बर्बाद होगा और कम टीडीएस है तो कम।

जल के विलक्षण गुण और महत्व

जल का जीवन से गहरा सम्बन्ध है। सृष्टि के पंच तत्वों में जल का महत्वपूर्ण स्थान है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की उत्पत्ति जल के द्वारा ही हुई है। जल मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। मनुष्य के शरीर में जल बहुतायात में पाया जाता है। शरीर में जैविक क्रियाएं जल के द्वारा सम्पन्न होती है। जल शरीर के तापमान को बनाए रखता है। साथ ही अनुपयोगी, विषैले अवयवों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर में जल 70 प्रतिशत पाया जाता है। जल प्रकृति के द्वारा अदभुत वरदान है। जल ऐसा अवयव है जो पृथ्वी में छिपे हुए तत्वों को बाहर ला देता है। जल महान विलायक है। विश्व में जल ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में जैसे ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है। ठोस अवस्था में हिमखण्डों, बर्फ के पहाड़ों, द्रव अवस्था में झरनों, तालाबों, नदियों, तथा गैस अवस्था में भाप के रूप में पाया जाता है। जल में औषधीय गुण विद्यमान होते हैं। जल का पर्याप्त मात्रा में सेवन करने से मानसिक, शारीरिक थकान, तनाव से मुक्ति मिलती है। सुबह सोकर उठने पर जल के सेवन करने से रक्त चाप (विशेषकर उच्च) तथा कब्ज ठीक रहता है। स्पाइनल कोर्ड में डिस्क को मुलायम और

जल प्रकृति द्वारा दिया गया अद्भुत वरदान हैरासायनिक दृष्टि से जल आक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण (1:2 में) होता है। इसका अणुसूत्र है। जल की संरचना में दो हाइड्रोजन परमाणु आक्सीजन परमाणु से सहसंयोजक बन्ध (उङ्ग५ ंल्ल३ इङ्गल्ली) द्वारा जुड़े रहते हैं। जल का अणुभार 18 है। शुद्ध जल रंगहीन, गन्धहीन होता है। जल मीठा होता है। जल में लवण (नमक) की मात्रा बढने पर जल नमकीन हो जाता है। रंगीन लवणों की उपस्थिति के कारण जल रंगीन हो जाता है। कुछ पदार्थों की गन्ध के कारण पानी में भी गन्ध आ जाती है। जल में अधिकतर पदार्थ घुलनशील होते हैं। इसी कारण जल को महान विलायक कहते हैं।

स्पोन्जी बनाने के लिए जल का अधिक मात्रा में सेवन करना लाभप्रद होता है। जुकाम होने पर नासिका से जल को अन्दर ले जाए, फिर बाहर निकाल दे। ऐसा कई बार करने से जुकाम में लाभ पहुँचता है। बहुत अधिक बुखार होने पर ठण्डे पानी से स्नान कराने पर बुखार कम हो जाता है। जल त्वचा को मुलायम रखने में सहायक है।

जल प्रकृति द्वारा दिया गया अद्भुत वरदान हैरासायनिक दृष्टि से जल आक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण (1:2 में) होता है। इसका अणुसूत्र ऌ2ड है। जल की संरचना में दो हाइड्रोजन परमाणु आक्सीजन परमाणु से सहसंयोजक बन्ध द्वारा जुड़े रहते हैं। जल का अणुभार 18 है। शुद्ध जल रंगहीन, गन्धहीन होता है। जल मीठा होता है। जल में लवण (नमक) की मात्रा बढने पर जल नमकीन हो जाता है। रंगीन लवणों की उपस्थिति के कारण जल रंगीन हो जाता है। कुछ पदार्थों की गन्ध के कारण पानी में भी गन्ध आ जाती है। जल में अधिकतर पदार्थ घुलनशील होते हैं। इसी कारण जल को महान विलायक कहते हैं।

हाइड्रोजन परमाणु के पास एक इलैक्ट्रान होता है। आक्सीजन परमाणु पर छः इलैक्ट्रान होते हैं। आक्सीजन

के छः इलैक्ट्रान में से एक-एक इलैक्ट्रान हाइड्रोजन परमाणु के साथ साझा कर सहसंयोजक बन्ध बनाते हैं।

भौतिक अवस्था

पदार्थ ठोस, द्रव या गैस अवस्था में पाया जाता है। यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि पदार्थ का अणुभार कितना है ? यदि अधिक होगा तब पदार्थ ठोस होगा। यदि कम होगा तो द्रव होगा। यदि पदार्थ का अणुभार बहुत कम होगा तो गैस अवस्था में होगा हाइड्रोजन का अणुभार दो होता है। अतः यह गैस अवस्था में होगा। कार्बन डाईआक्साइड का अणुभार 44 है। अतः यह गैस है। कार्बन डाई सल्फाइड अणुभार 76 है, अतः द्रव है। कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर ग्रेफ्राइट और हीरा बनाते हैं। इनमें परमाणुओं की संख्या असंख्य है, (निश्चित नहीं है) अतः अणुभार भी अधिक होता है। इस कारण ठोस है। इसके अतिरिक्त और पदार्थ हाइड्रोजन बन्ध प्रदर्शित करता है। तो असंख्य अणु आपस में जुड जाते हैं। जिससे उनका अणुभार बढ जाता है और पदार्थ द्रव या ठोस अवस्था में पाया जाता है। जल के अणु का अणुभार 18 है। यह गैस होनी चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं है। जल के अणु अंतर अणुक हाइड्रोजन बन्ध प्रदर्शित करते हैं। जिससे बहुत से अणु आपस में जुड़े रहते हैं। अणुओं की संख्या निश्चित नहीं है। इस कारण जल द्रव अवस्था में पाया जाता है। अणुभार एक अणु का लेते हैं।

विलेयता

जो यौगिक जल के साथ हाइड्रोजन बन्ध बनाने की क्षमता रखते हैं वे जल में घुलनशील होते हैं और जो हाइड्रोजन बन्ध बनाने की क्षमता नहीं रखते हैं वे जल में अघुलनशील होते हैं। जैसे एल्डीहाइड, जल में विलेय है क्योंकि वे जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। जैसे एल्कोहल जल में विलेय है क्योंकि वे अन्तर अणुक हाइड्रोजन बन्ध बनाते हैं। बेन्जीन, टोलबीन, नेप्थलीन हाइड्रोजन बन्ध जल के साथ नहीं बनाते हैं अतः जल में अविलेय है। ऐसे यौगिक जिनमें कई हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं वे भी जल में घुलनशील होते हैं। जैसे ग्लूकोज, चीनी, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन बन्ध बनाते हैं तथा जल में विलेय हैं। वे यौगिक जो अन्तरा आण्विक हाइड्रोजन बन्ध दशार्ते हैं जल में कम घुलनशील या अघुलनशील होते हैं। जो अन्तरा आणुविक हाइड्रोजन बन्ध दशार्ते है, वे अधिक घुलनशील होते हैं (जैसे आर्थो सेलीसिलिक अम्ल कम विलेय होते हैं। जब कि मेटा या पेरासेलीसिलिक अम्ल अधिक विलेय होते हैं) क्योंकि जल के साथ अन्तर आण्विक हाइड्रोजन बन्ध दशार्ते हैं जबकि आर्थो सेलीसिलिक अम्ल चीलेशन प्रदर्शित करता है।

वाष्पन उष्मा

वाष्पन ऊष्माकिसी पदार्थ के एक ग्राम मोल द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को वाष्पन उष्मा कहते हैं। यदि किसी यौगिक में हाइड्रोजन बन्ध उपस्थित होते हैं तो इस यौगिक की वाष्पन ऊष्मा अधिक होगी, क्योंकि पहले ऊर्जा हाइड्रोजन बन्ध तोडने में लगानी होगी। फिर ऊर्जा द्रव को वाष्प में परिवर्तित करेगी। जल और एल्कोहल हाइड्रोजन बन्ध दशार्ते हैं अतः कम वाष्पशील है या इनकी वाष्पन ऊष्मा अधिक

यदि अधिक होगा तब पदार्थ ठोस होगा। यदि कम होगा तो द्रव होगा। यदि पदार्थ का अणुभार बहुत कम होगा तो गैस अवस्था में होगा हाइड्रोजन का अणुभार दो होता है। अत: यह गैस अवस्था में होगा। कार्बन डाईआक्साइड का अणुभार 44 है। अत: यह गैस है। कार्बन डाई सल्फाइड अणुभार 76 है, अत: द्रव है। कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर ग्रेफ्राइट और हीरा बनाते हैं। इनमें परमाणुओं की संख्या असंख्य है, (निश्चित नहीं है) अत: अणुभार भी अधिक होता है। इस कारण ठोस है। इसके अतिरिक्त और पदार्थ हाइड्रोजन बन्ध प्रदर्शित करता है। तो असंख्य अणु आपस में जुड जाते हैं। जिससे उनका अणुभार बढ जाता है और पदार्थ द्रव या ठोस अवस्था में पाया जाता है।

है। जब कि ऐसीटोन, ईथर हाइड्रोजन बन्ध नहीं दशार्ते अतः कम ऊर्जा पर वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। इनकी वाष्पन उष्मा कम होगी अतः ये वाष्पशील है।

क्रिस्टल संरचना

हाइड्रोजन बन्ध दिशात्मक होते हैं। अतः जो अणु हाइड्रोजन बन्ध दशार्ते हैं। वे अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। जिससे उनके मध्य प्रबलतम हाइड्रोजन बन्ध बने। ऐसे यौगिक विशेष प्रकार की क्रिस्टल संरचना बनाते हैं। जैसे ल्ठउठ रेखीय, उल्3डल्, ल्उडडल् टेढ़ी- मेढ़ी (क्रहृेअत्रहृ) ठल्4ल बुर्टजाइट, जल चतुष्फलकीय संरचना प्रदर्शित करते हैं।

द्रवों की श्यानता

द्रवों में हाइड्रोजन बन्धों के कारण उनकी विभिन्न सतहों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बढ जाता है। जिससे द्रवों की श्यानता में वृद्धि हो जाती है।

जल
मिथाइल एल्कोहल
डाईमिथायल ईथर
श्यानता (मिली पायस)
10.05
5.97
2.33

क्वथनांक और गलनांक

क्वथनांक और गलनांककिसी द्रव का क्वथनांक वह ताप बिन्दु है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमण्डलीय दाब के बराबर होगा। इस बिन्दु पर द्रव गैस में परिवर्तित होगा। इसकी प्रकार गलनांक किसी ठोस का वह ताप बिन्दु है जिस पर ठोस बिना अपघटित हुए द्रव में परिवर्तित होता है। ठोस को द्रव में तथा द्रव को गैस में परिवर्तित करने के लिए अणुओं को उष्मा द्वारा दूर किया जाता है। अणुओं के मध्य जितना अधिक अन्तरा आण्विक बल होगा उतनी अधिक ऊर्जा उन अणुओं को पृथक करने के लिए आवश्यक होगी जिससे उनके गलनांक तथा क्वथनांक अधिक होगें। हाइड्रोजन बन्ध युक्त यौगिकों में अणुओं का संगुणन होता है, जिससे अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल उत्पन्न होता है। इन बलों को तोडने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अतः हाइड्रोजन बन्ध यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक अधिक होगें। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सें. होता है। जल में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु दो हाइड्रोजन परमाणुओं से सहसंयोजक बन्ध द्वारा बन्धित होता है। साथ ही दो हाइड्रोजन बन्ध द्वारा बन्धित होते हैं। इससे अन्तर आण्विक बलों में वृद्धि हो जाती है। इन बलों तथा हाइड्रोजन बन्धों को तोडने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। जिससे जल का क्वथनांक 100 डिग्री. से. होता है। इसी प्रकार नाइट्रो फीनॉल के क्वथनांक क्रमशः 214 डिग्री. से., 290 डिग्री. से.,270 डिग्री. से. होते हैं। आर्थो आइसोमर में चीलेशन होता है जबकि मेटा तथा पेरा आइसोमर में संगुणन होता है। इन बलों को तोडने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है । अतः आर्थो आइसोमर की तुलना में` तथा स्र का क्वथनांक अधिक होता है। यौगिकों में जितना अधिक हाइड्रोजन बन्ध होगा। उतना ही अधिक क्वथनांक होगा। इसी प्रकार ठोस का गलनांक भी अधिक होगा। अणुओं की संख्या अधिक होने के कारण आकर्षण बल अधिक होगा। उस बल को हटाने के लिए अधिक ऊष्मा का उपयोग करना होगा। अतः गलनांक भी अधिक होगा।

जल का घनत्व

बर्फ की संरचनाठोस पदार्थ का घनत्व अधिक होता है क्योंकि ठोस में अणुओं की संख्या अधिक है। परन्तु बर्फ, ठोस होते हुए भी, का घनत्व कम होता है। इस कारण वह जल में तैरती हैं जब जल को 4 डिग्री से. तक ठण्डा करते हैं तब जल के घनत्व में वृद्धि होती हैं परन्तु जब जल को 4 डिग्री से. नीचे ठण्डा करते हैं तो जल का घनत्व कम होने लगता है। जल में हाइड्रोजन बन्ध हर ताप पर उपस्थित रहता है। परन्तु 4 डिग्री से. से नीचे जाने पर अणुओं की गतिशीलता कम हो जाती हैं प्रबल हाइड्रोजन बन्ध बनाने के लिए प्रत्येक आक्सीजन परमाणु को अन्य चार हाइड्रोजन परमाणु चतुष्फलकीय रूप में घेर लेते हैं। इसमें दो हाइड्रोजन बन्ध से बन्धित रहते हैं। अतः बर्फ में जल के अणु परस्पर चतुष्फलकीय दिशा में रहते हैं। अणुओं के मध्य काफी रिक्त स्थान रहता है जिससे बर्फ ठोस होते हुए भी जल से हल्की होती है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। इसकी कारण बर्फ पानी में तैरती है। जब बर्फ पिघलती है तब संरचना धीरे धीरे टूटने लगती है तथा जल के अणु परस्पर निकट आने लगते हैं।

बर्फ की संरचना

उपर्युक्त विवरण जल के महत्व एवं जल के विलक्षण गुणों को हाइड्रोजन बन्ध द्वारा समझाया जाता है। जल जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जल जीवन में आनन्द उत्साह, प्रेरणा भरता है अन्यथा जीवन अभिशाप हो जाता है।

कोविड-19: बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन गाइडलाइन 2016

कोविड-19 के कारण बायोमेडिकल वेस्ट का उत्पादन काफी बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी बायोमेडिकल वेस्ट के पर्याप्त उपचार के लिए दुनिया को निर्देशित किया है, ताकि वेस्ट से भी संक्रमण न फैले। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोविड वार्डो, कार्यशालाओं, क्वारंटीन सेंटरों और घरों आदि में बायोमेडिकल वेस्ट के लिए गाइडलाइन जारी की हैं। पढ़ें विस्तृत गाइडलाइन।

1. कचरे को उचित कूड़ेदान में डालें

पीला कूड़ादान - शारीरिक, रासायनिक, गंदा कपड़ा, दवाइयों संबंधित एवं प्रयोगशाला का कचरा डालें। मानव व पशु शारीरिक कचरा, दवाइयों से संबंधित, तरल एवं सूक्ष्मजीवी कचरा (रक्त थैली एवं पेट्री डिश का पूर्व उपचार करें)।

लाल कूड़ादान - दूषित प्लास्टिक कचरा (डिस्पोजेबल वस्तुएं जैसे ट्यूबिंग, प्लास्टिक की बोतलें, शिरभ्यंतर और कैथेटर, प्रवेशनी, सुइयों के बिना सीरिंज)

नीला कूड़ादान - कांच की वस्तुएं एवं धातु प्रत्यारोपण (कांच से बनी टूटी-फूटी एवं खाली शीशियां अथवा बोतलें, स्लाइड कांच की पेट्री डिश आदि)।

ग्रे कूड़ादान - धारदार धातु वाला कचरा (सुई एवं ब्लेड जैसे वस्तुएं (पंचर प्रूफ डिब्बों में रखें)

काला कूड़ादान - परिसंकटमय और अन्य कचरा (खाली एवं एक्सपायर्ड कीटाणुनाशक पदार्थों की बातलें, सीएफएल बल्ब/ट्यूब लाईट एवं बैटरी)।

आसमानी कूड़ादान - पुनर्चक्रण योग्य कचरा और हरे कूड़ेदान में स्वाभाविक तरीके से सड़ने वाला सामान्य कचरा डालें।

2. बायोमेडिकल कचरे को, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के अनुसार, साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा में भेजें।

3. अस्पताल के कचरे का प्रबंधन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के अनुसार कचरे को उचित रंग के थैले में ही डालें।

4. कचरे को अलग अलग (पृथक) करना जरूरी है, ताकि उसे उचित रंग के थैले में आसानी से डाला जा सके। इसके लिए कचरे को उत्पत्ति वाले स्थान पर ही अलग करें।

5. कचरे को इकट्ठा करने व लाने-ले जाने के समय उसे मिश्रित न करें।

6. बिखरे हुए तरल पदार्थों का तुरंत प्रबंधन करें

रासायनिक रिसावः-

जगह खाली करें तथा रिसाव को निष्प्रभाव करके अच्छे से साफ करें।

अलग लाइनर में इकट्ठा करें।

शारीरिक द्रव रिसाव :-

जगह खाली करें तथा सोखने वाले कपड़े या कागज से साफ करें।

अलग लाइनर में इकट्ठा करें।

पारा रिसाव :-

सेने के आभूषण निकालें, दस्ताने पहलें और बिनार सुई वाले सीरींज से खींचें

5 से 10 मिलि पानी में रखें।

साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा में भेजे।
7. नीली श्रेणी के कचरे को सीबीडब्ल्यूटीएफ और सीटीएफ द्वारा उपयार एंव निपटान करने के तरीके
कचरे को नीले लाइनर में डालें। साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा में कचरे को भेंजे। जहां सीबीडब्ल्यूटीएफ 75 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध न हो या जहां सीटीएफ न बन सके, वे अस्पताल 150 किलोमीटर के दायरे में स्थित सीबीडब्ल्यूटीएफ से संपर्क करें, बशर्ते कचरे को 48 घंटों में निपटाया जा सके।
इसके बाद कचरे को विसंक्रमित करने के लिए ऑटोक्लेव या फिर माइक्रोवेव या हाईड्रोक्लेव का उपयोग करें या फिर डिटर्जेंट और पानी में धोएं। इसके बाद 2 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल से डबल बाल्टी कीटाणुशोधन करें (पूर्व उपचार हेतु जब तक साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा न भेजा जाए)
अंत में पुनर्चक्रण करें।
8. धारदार वस्तुओं का सीबीडब्ल्यूटीएफ और सीटीएफ द्वारा उपचार एवं निपटान करने के तरीके
सुई के चुभने द्वारा चोट लगने से बचने हेतु सुई हब कटर वाले डिब्बे को प्रयोग अवश्य करें।
साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा में कचरे को भेंजे। जहां सीबीडब्ल्यूटीएफ 75 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध न हो या जहां सीटीएफ न बन सके, वे अस्पताल 150 किलोमीटर के दायरे में स्थित सीबीडब्ल्यूटीएफ से संपर्क करें, बशर्ते कचरे को 48 घंटों में निपटाया जा सके।
धारदार धातु-वस्तु प्रबंधन या फिर कचरे को विसंक्रमित करने के लिए ऑटोक्लेव करें।
पूर्व उपचारित धातु की पैनी वस्तुओं को सुरक्षित परिवहन (छोटे टुकड़े/अंगभंग/कैप्सूलीकरण करने हेतु)।
विसंक्रमण के बाद छोटे टुकड़े या म्यूटिलेशन करें और फिर धातु निर्मित डब्बा या सीमेंट कंक्रीट में बंद करें या अंतिम निपटान हेतु लोहे की ढलाई के कारखाने भेजें।
9. लाल श्रेणी के कचरे को सीबीडब्ल्यूटीएफ और सीटीएफ द्वारा प्रबंधन
डिस्पोजेबल वस्तुएं जैसे ट्यूबिंग, प्लास्टिक की बोतलें, शिरभ्यंतर और कैथेटर, प्रवेशनी और सुइयों के बिना सीरिंज को लाल थैले में डालें।
साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा में कचरे को भेंजे। जहां सीबीडब्ल्यूटीएफ 75 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध न हो या जहां सीटीएफ न बन सके, वे अस्पताल 150 किलोमीटर के दायरे में स्थित सीबीडब्ल्यूटीएफ से संपर्क करें, बशर्ते कचरे को 48 घंटों में निपटाया जा सके।
कचरे को विसंक्रमित करने के लिए वर्टिकल ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव या फिर माइक्रोवेव में डालें।
इसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करें।
पुनर्चक्रण या ऊर्जा पुनः प्राप्ति के लिए भेंज।
याद रहें कि प्लास्टिक कचरे को भू-भरन स्थल में नहीं भेजना चाहिए।
10. पीली श्रेणी के कचरे का प्रबंधन
मानव और पशु शारीरिक कचरा, दवाइयों संबंधित, तरल एवं सूक्ष्म जीवी कचरा (रक्त थैली, पेट्री डिश का पूर्व उपचार करें) को पीले थैले में डालें।
ब्लड बैग एंव सूक्ष्म जीवी कचरे को विसंक्रमित करने के लिए ऑटोक्लेव या फिर माइक्रोवेव में डालें। ध्यान रहे ब्लड बैग एवं सूक्ष्म जीवी कचरा रहित संक्रामक कचरे को ऑटो क्लेव या माइक्रोवेव में न डालें।
इसके बाद अंतिम निपटान के लिए सीडब्ल्यूटीएफ में भस्मीकरण के लिए भेजें। फिर उसकी राख को परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा के लिए भेजें। सीटीएफ द्वारा भस्मीकरण (केवल जहां सीबीडब्ल्यूटीएफ 75 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध न हो या जहां सीटीएफ न बन सके, वे अस्पताल 150 किलोमीटर के दायरे में स्थित सीबीडब्ल्यूटीएफ से संपर्क करें, बशर्ते कचरे को 48 घंटों में निपटाया जा सके) फिर उसकी राख को परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा भेजें।
11. स्वास्थ्यकर्मियों के लिए सुरक्षात्मक गियर
मास्क] फेस शील्ड] चश्मा] टोपी]दस्ताने]जूत तहबंद
12. अनुपचारित चिकित्सा कचरा वातावरण एवं स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।

कचरे के रख-रखाव में लापरवाही के कारण हेपेटाइटिस, एड्स और ट्यूबरक्लोसिस (टीबी) जैसी बीमारियां हो सकती हैं।
कचरे को उचित जगह न फेंकने से बीमारियां हो सकती हैं।
बायोमेडिकल कचरे को साधारण कचरे में कभी भी न मिलने दें। कूड़ा बीनने के समय कूड़ा बीनने वालों को चोट लग सकती है। जिस कारण उन्हें बीमारियां भी हो सकती हैं।
13. अपने घाव का इलाज तुरंत करें
घाव को न चिनोड़ें, न ही रगड़ें और न ही चूसें।
अल्कोहोल से साफ न करें।
बहते पानी के नीचे रखकर, घाव में में रक्त बहने दें।
फिर बहते पानी के नीचे रखकर घाव को साबुन से धोएं। सूखने के बाद घाव की ड्रेसिंग करें।
चोट लगने या संदूषित पदार्थ के संपर्क में आने के दो घंटे के भीतर चिकित्सक से सलाह लें।
कचरे से भरे थैले को कभी भी न घसीटें।
सुरक्षाकर्मियों को सुरक्षात्मक गियर पहने बिना कचरे को कभी भी नहीं उठाना चाहिए।
14. साधारण कचरे को संक्रमित बायोमेडिकल कचरे से अलग रखें। इनका मिश्रण संक्रामण बीमारियों एवं महामारियों को अधिक बढ़ावा दे सकता है। अस्पतालों से निकलने वाले कचरे का लगभग 70 प्रतिशत कचरा, साधारण कचरा होता है।
अस्पतालों से निकलने वाले कचरे का लगभग 25 से 30 प्रतिशत कचरा, संक्रमित बायोमेडिकल कचरा होता है।
15. कोविड-19 वार्ड, सैंपल कलेक्शन केंद्रों एंव प्रयोगशालाओं से निकलने वाले कचरे का प्रबंधन
बायोमेडिकल कचरे का प्रबंधन बायोमेडिकल वेस्ट नियम 2016 के अनुसार करें।
कोविड-19 संबंधित बायोमेडिकल कचरे की जानकारी अलग रिकॉर्ड करें। कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड एवं सैंपल कलेक्शन सेंटर्स की जानकारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवश्य दें।
बायोमेडिकल कचरे को साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा में भेजने से पहले अलग कमरे में रखें।
कोविड-19 संबंधित बायोमेडिकल कचरे का केल समर्पित एवं कोविड-19 के लेबल वाली ट्रॉली में स्थानांतरण करें।
कोविड-19 संबंधित बायोमेडिकल एंव साधारण कचरे को संभालने के लिए केवल समर्पित सफाई कर्मचारी नियुक्त करें।
बिना संदूषण वाले साधारण कचरे का प्रबंधन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार करें।
बायोमेडिकल कचरे को आइसोलेशन वार्ड से सीधे उठाकर साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा द्वारा भेजे वाहन में भेजा जा सकता है।
कोविड-19 से संबंधित कचरे को दोहरी परम के लाइनर में ही इकट्ठा करें।
कोविड-19 संबंधित बायोमेडिकल कचरे को जिन कूड़ेदान एवं ट्रॉलियों में रख जाएग उन्हें प्रति दिन एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइट घोल से अच्छी तरह साफ करें।
बायोमेडिकल कचरे को उचित रंग के कूड़ेदान, जिनपर कोविड-19 का लबेल लगा हो, उन्हीं में इकट्ठा करें।
शहरी स्थानीय निकायों/कचरा इकट्ठा करने वाले अधिकृत कर्मचारियों द्वारा इकट्ठा किए गए पीले लाइनर को सीडब्ल्यूटीएफ भेजा जाना चाहिए।
16. क्वारंटीन कैंप एवं घरों से निकलने वाले कचरे के प्रबंधन हेतु दिशानिर्देश
घरों से निकलने वाले साधारण कचरे को अधिकृत सफाई कर्मचारी को दें या फिर उपयुक्त स्थानीय तरीकों द्वारा उसका प्रबंधन करें।
साधारण कचरे एवं बायोमेडिकल कचरे के कूड़ेदान अलग होने चाहिए।
क्वारंटीन कैंप एवं केंद्रों को चलाने वाले लोगों को समय समय पर साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा कर्मचारियों को बुलाकर कचरे को भेजना चाहिए।
क्वारंटीन कैंप एंव केंद्रों से निकलने वाले बायोमेडिकल कचरे को पीले रंग के लाइनर में इकट्ठा करें। इन थैलों को समर्पित एवं उचित माप के कूड़ेदान में रखें।
जो लोग क्वारंटीन घरों की देखभाल कर रहे हों, वह बायोमेडिकल कचरे को पीले रंग के लाइनर में इकट्ठा करें या तो दरवाजे पर आने वाले अधिकृत सफाई कर्मचारी को दें या फिर अधिकृत केंद्रों में दें।

कोविड-19 के कारण बायोमेडिकल वेस्ट का उत्पादन काफी बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी बायोमेडिकल वेस्ट के पर्याप्त उपचार के लिए दुनिया को निर्देशित किया है, ताकि वेस्ट से भी संक्रमण न फैले। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोविड वार्डो, कार्यशालाओं, क्वारंटीन सेंटरों और घरों आदि में बायोमेडिकल वेस्ट के लिए गाइडलाइन जारी की हैं। पढ़ें विस्तृत गाइडलाइन।

कृषिगत आधारभूत अवसंरचना

प्रधानमंत्री 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिये कृषि क्षेत्र में आधारभूत अवसंरचना के विकास पर बल दे रहे हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार ने किसानों को लागत मूल्य की डेढ़ गुना कीमत प्रदान करने के लिये खरीफ की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी वृद्धि कर दी है। किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाने और बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने के लिये राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) और ह्यग्रामीण कृषि बाजारह्ल की स्थापना की गई है। साथ ही, किसानों की आमदनी में वृद्धि करने के लिये खेती को ह्यउद्यमह्ल रूप में विकसित किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्र की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अथोर्पार्जन के लिये कृषि अथवा कृषि सम्बन्धित उपागम पर आश्रित है। कृषि को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात सभी सरकारों ने कृषि सम्बन्धी सुधार के अनेक प्रयास किये हैं। हरितक्रान्ति के परिणामस्वरूप देश अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर तो बन गया लेकिन बढ़ती जनसंख्या और कमरतोड़ महंगाई के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति में कुछ खास सुधार नहीं हो सका।

किसानों द्वारा खेती की लागत मूल्य निकाल पाना चुनौतीपूर्ण है। प्रधानमंत्री 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिये कृषि क्षेत्र में आधारभूत अवसंरचना के विकास पर बल दे रहे हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार ने किसानों की लागत मूल्य की डेढ़ गुना कीमत प्रदान करने के लिये खरीफ की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी वृद्धि कर दी है।

वैज्ञानिक व तकनीकी विकास के बावजूद देश में आज भी 40 से 50 फीसदी कृषि प्रणाली मानसून (भगवान) के भरोसे है। जिस वर्ष प्रकृति साथ देती है, उस वर्ष तो देश में बड़े पैमाने पर खाद्यान्न उत्पादन होता है परन्तु प्रकृति के कुपित होने की स्थिति में खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। इसी कारण देश की कृषि अर्थव्यवस्था को मानसून आधारित जुआ कहा जाता है। कर्ज तले दबा किसान अगली फसल के लिये फिर से कर्ज लेने को मजबूर हो जाता है।

विगत वर्षों में कर्ज के जाल में उलझे अनेक किसानों ने कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने के लिये स्वयं मौत का आलिंगन कर लिया। प्राकृतिक निर्भरता को कम करने और किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिये कृषि क्षेत्र में आधारभूत अवसंरचना के विकास पर जोर दिया जा रहा है।

सूखे के प्रकोप से बचने के लिये सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर बल दिया जा रहा है। वर्षाजल के संग्रहण हेतु ह्यवाटरशेड परियोजनाह्ल के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। नदियों के जल को देश के दूसरे क्षेत्रों में ले जाने हेतु नहरों के निर्माण एवं उनकी नियमित साफ-सफाई की जा रही है। अच्छे वाटर लेवल वाले क्षेत्रों में नलकूप लगाए जा रहे हैं। नदियों के जल को संग्रहित व नियंत्रित करने और बाढ़ से बचाव के लिये बाँध व तटबंधों का निर्मण किया जा रहा है।

किसानों को समय से पर्याप्त मात्रा में उन्नत किस्म के बीज मुहैया कराने के लिये ब्लॉक स्तर पर बीज संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गई है। मृदा भूमि परीक्षण द्वारा किसानों को ह्यमृदा स्वास्थ्य प्रमाणपत्रह्ल उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे किसानों को मृदा में मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी प्राप्त हो सके और किसान भू-आवश्यकतानुरूप उर्वरकों का प्रयोग कर सकें। उर्वरकों की कमी की समस्या से निपटने के लिये भारत सरकार किसानों को पर्याप्त मात्रा में नीम कोटेड यूरिया की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर रही है। किसानों को आधुनिक कृषि संयंत्र खरीदने एवं अन्य कृषि जरूरतों की पूर्ति हेतु सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में कृषि ऋण की व्यवस्था की गई है। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु ब्लॉक-स्तर पर गोदामों का निर्माण कराया जा रहा है। इसी तरह फल व सब्जियों को संरक्षित करने हेतु कोल्ड स्टोरेज एवं शीत शृंखला का निर्माण किया जा रहा है। किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाने और बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने के लिये राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) और ह्यग्रामीण कृषि बाजारह्ल की स्थापना की गई है। साथ ही, किसानों की आमदनी में वृद्धि करने के लिये खेती को ह्यउद्यमह्ल के रूप में विकसित किया जा रहा है।

स्थानीय-स्तर पर किसानों को कृषिगत रोजगार मुहैया कराने और फसल उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिये खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिये देश भर में 42 मेगा फूड पार्कों की स्थापना की जा रही है। ग्रामीण-स्तर पर स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक स्वावलम्बन हेतु बैंकों से अनुदान व ऋण सहायता प्रबन्ध किया गया है। कृषि उत्पाद आधारित लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना एवं सफल क्रियान्वयन हेतु आर्थिक अनुदान व सहायता की व्यवस्था की गई है।

सिंचाई संसाधनों का विकास

देश की भौगोलिक व प्राकृतिक विविधता के कारण कुछ क्षेत्रों में तो सिंचाई के पर्याप्त साधन हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में पीने के पानी का भी अकाल है। अच्छी पैदावार के लिये समय से पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। फसल की प्रकृति के अनुरूप कम या अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। किसी कारण भौगोलिक संरचना एवं उपलब्ध सिंचाई संसाधनों के आधार पर देश के विभिन्न भागों में फसल उत्पादन में विविधता पाई जाती है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 48 प्रतिशत भू-भाग ही सिंचित है। जल संसाधनों की उपलब्धता दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। देश की बढ़ती आबादी की खाद्य और पेय सम्बन्धी जरूरतों की पूर्ति के लिये निकट भविष्य में बहुत बड़े पैमाने पर जल की आवश्यकता पड़ने वाली है।

कृषि कार्य हेतु देश में मौजूद लगभग 80 प्रतिशत जल-संसाधनों का उपयोग करने के बावजूद कृषि क्षेत्र में जल उपभोग की दक्षता बहुत कम है। जल उपलब्धता की कमी के बावजूद देश में सिंचाई के दौरान बड़े पैमाने पर जल नष्ट हो जाता है। सिंचाई परिवहन प्रणाली में खामियों के कारण फसल उत्पादन में 55 से 60 प्रतिशत

जल का ही उपयोग हो पाता है, शेष जल नष्ट हो जाता है।

सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और ह्यहर खेत को पानीह्ल उपलब्ध कराने के लक्ष्य की पूर्ति के लिये सिंचाई संसाधनों के आधुनिकीकरण और विस्तार का प्रयास कर रही है। ह्यप्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाह्ल के अन्तर्गत केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने आपसी सहयोग से कम लागत पर सम्पूर्ण सिंचाई शृंखला की शुरूआत की है। इससे सूखे की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सकेगा। इसके अन्तर्गत परम्परागत सिंचाई प्रणाली में विभिन्न प्रकार के सुधार किये जा रहे हैं।

जल परिवहन में दक्षता

सिंचाई के दौरान परिवहन में बड़े पैमाने पर जल बर्बाद हो जाता है। आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल कर जल परिवहन में जल की बबार्दी को कम किया जा सकता है।

जल उपयोग में दक्षता

प्रति बूँद जल का अधिकतम उपयोगह्ल सिंचाई का 30-40 प्रतिशत जल वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है। आधुनिक पद्धति का उपयोग कर सिंचाई के सम्पूर्ण जल का उपयोग फसल पैदावार के लिये किया जा सकता है।

जल संरक्षण

वर्षाजल को नष्ट होने से बचाने के लिये तथा भविष्य में उसका पुनर्उपयोग करने के लिये जल संरक्षण पर बल दिया जा रहा है। इसके लिये सरकार द्वारा वाटरशेड जैसी महत्त्वाकांक्षी परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। स्थानीय-स्तर पर भी गड्ढे और तालाब खोदकर जल एकत्रण का प्रयास किया जा रहा है।

जल वितरण दक्षता

सिंचाई के दौरान जल का एक समान वितरण किया जाना चाहिए। जल का जितना समान वितरण होगा, फसल की पैदावार उतनी ही अच्छी होगी।

इस योजना में तीन मंत्रालय जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय समेकित रूप से कृषि मंत्रालय का सहयोग कर रहे हैं। सूखा प्रभावित इलाकों में जल-संरक्षण और बाँध आधारित बड़ी परियोजनाओं के सहयोग से स्थानीय जरूरतों के मुताबिक जिला-स्तरीय परियोजना के द्वारा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

आधुनिक तकनीक का उपयोग कर ह्यप्रति बूँद अधिक फसल उत्पादनह्ल पर जोर दिया जा रहा है। जल बचत और सटीक सिंचाई प्रणाली द्वारा पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार किया जा रहा है। देश के प्रत्येक खेत में सिंचाई सुविधाओं के लिये जल संरक्षण और अपव्यय को कम करने पर बल दिया जा रहा है। इसके लिये नवीन जलस्रोतों का निर्माण करने के साथ-साथ पुराने जलस्रोतों के जीर्णोद्धार द्वारा जल संचयन के प्रयास किये जा रहे हैं।

जल के दक्षतापूर्ण परिवहन को बढ़ावा देने के लिये भूमिगत पाइप लाइन प्रणाली, पीवेट, रेनगन और अन्य उपकरणों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आधुनिक फव्वारा (स्प्रिंकल) और बूँद-बूँद सिंचाई (ड्रिप इरीगेशन) तकनीकी द्वारा सिंचाई करने से 30 से 40 प्रतिशत अतिरिक्त भू-भाग की सिंचाई की जा सकती है। जल संरक्षण और सिंचाई सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण से देश में खाद्यान्न उत्पादन के साथ-साथ किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।

शीत एवं भण्डारगृहों की स्थापना

देश में रिकॉर्ड फसल उत्पादन के पश्चात कृषि उत्पाद को सुरक्षित रखना सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। गैर-सरकारी आँकड़ों के मुताबिक देश में प्रतिवर्ष 670 लाख टन खाद्यान्न नष्ट हो जाते हैं। भारत सरकार के ह्यसेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीह्ल के अध्ययन के अनुसार, उचित भण्डारण की कमी के कारण देश में बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों की बबार्दी होती है जिससे लाखों लोगों की भोजन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है।

खाद्य पदार्थों की बबार्दी के कारण देश में भुखमरी और महंगाई में बढ़ोत्तरी हो रही है। भण्डारण की समुचित व्यवस्था से खाद्यान्न संरक्षण द्वारा किसानों को फसल की समुचित कीमत मिलने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर खाद्य पदार्थ मुहैया हो सकता है। कृषि मंत्री स्वयं स्वीकारते हैं कि देश में बड़े पैमाने पर प्याज, टमाटर, आलू इत्यादि खेत से उपभोक्ता तक पहुँचने से पूर्व ही नष्ट हो जाते हैं।

खाद्यान्न को चूहे, कॉकरोच, कीड़े-मकोड़े नमी इत्यादि से बचाकर लम्बे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। इसके लिये नियंत्रित तापमान एवं आर्द्रता की आवश्यकता पड़ती है। खाद्यान्नों का संरक्षण भण्डारगृह व गोदाम में और फल व सब्जियों का संरक्षण कोल्ड स्टोरेज में किया जाता है। राज्य भण्डारण निगम ब्लॉक स्तर पर और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) जनपद स्तर पर भण्डारगृहों की स्थापना करते हैं।

खाद्यान्नों के भण्डारण हेतु बड़े पैमाने पर निजी भण्डारगृहों की स्थापना की जा रही है। सरकार निजी भण्डारगृहों की स्थापना हेतु सहायता व अनुदान राशि देती है। देश में एफसीआई की कुल भण्डारण क्षमता 773 लाख टन अनाज रखने की है। इसके बावजूद देश में बड़े पैमाने पर खाद्यान्न नष्ट हो जाते हैं। इसलिये खाद्यान्नों के संरक्षण के लिये अभी और भण्डारगृहों की जरूरत है। फल और सब्जियों का भण्डारण 2 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान एवं 85 से 95 सापेक्षिक आर्द्रता के नियंत्रित वातावरण में किया जाता है जिससे जीवाणु, कवक एवं सूक्ष्मजीवी का प्रजनन और सक्रियता बहुत कम हो जाती है। नियंत्रित अवस्था में फल व सब्जियों की भौतिक व रासायनिक संरचना में परिवर्तन तथा उपापचय प्रक्रिया मन्द पड़ जाती है जिससे इनका जीवनकाल बढ़ने के साथ-साथ नष्ट व खराब होने की सम्भावनाएँ कम हो जाती हैं।

संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक देश में फल व सब्जियों के उत्पादन का एक तिहाई हिस्सा उपभोक्ता तक पहुँचने से पूर्व ही नष्ट हो जाता है। सरकार देश में बड़े पैमाने पर कोल्ड स्टोरेज खोलने एवं शीत शृंखला स्थापित करने पर जोर दे रही है।

देश में कोल्ड स्टोरेजों की संख्या एवं क्षमता

कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने दावा किया है कि सरकार जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों के भण्डारण के निर्माण के लिये तेजी से काम कर रही है। परिणामस्वरूप विगत कुछ वर्षों में देश में बड़े पैमाने पर कोल्ड स्टोरेजों की स्थापना हुई है जिससे भारत विश्व में सबसे अधिक शीत-भण्डारण क्षमता स्थापित करने वाला देश बन गया है।

निजी क्षेत्र में शीत शृंखला निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता व सस्ते दर पर ऋण दे रही है। इसके लिये मेगा फूड पार्क के साथ शीत-शृंखला प्रणाली का विकास किया जा रहा है। हंसा रिसर्च ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार देश में 75 फीसदी कोल्ड स्टोरेजों में आलू का संरक्षण किया जाता है।

देश में स्थापित 95 प्रतिशत कोल्ड स्टोरेजों की स्थापना निजी क्षेत्रों द्वारा, 3 प्रतिशत कारपोरेट क्षेत्र के द्वारा और केवल 2 प्रतिशत कोल्ड स्टोरेजों की स्थापना सरकारी क्षेत्रों द्वारा की गई है। वर्ष 2016-17 के आँकड़ों के मुताबिक देश में कुल 7645 कोल्ड स्टोरेज हैं जिनकी कुल क्षमता 34.95 मिलियन मीट्रिक टन है।

कृषि बाजार तंत्र

किसानों के समक्ष खाद्यान्न उत्पादन से बड़ी चुनौती कृषि उत्पाद को बेचकर उचित मूल्य प्राप्त करना है। बाजार-तंत्र पर सेठ, साहूकार और बिचौलियों का कब्जा होने के कारण किसान कृषि उत्पाद औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर होता है। वैसे भी जब फसल तैयार होती है, तो माँग की तुलना में आपूर्ति की अधिकता के कारण फसल उत्पाद की कीमत बहुत कम हो जाती है।

जहाँ बिचौलिए मोटा मुनाफा कमाने के लिये कृषि उत्पाद को कुछ समय तक रोक लेते हैं या देश के अन्य भागों में बेचते हैं वहीं किसान साल भर हाड़-तोड़ मेहनत और प्राकृतिक चुनौतियों से जूझते हुए फसल उत्पादन के लिये उत्पादन के लिये अपना सब कुछ दाँव पर लगा देता है। इसके बावजूद उसे फसल की समुचित कीमत नहीं प्राप्त होती है। यद्यपि सरकार किसानों को फसल के न्यूनतम मूल्य की गारंटी देने के लिये प्रतिवर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है और बड़े पैमाने पर खाद्यान्न की खरीददारी करती है, लेकिन इसके बावजूद कृषि उत्पाद के उपभोक्ता मूल्य और किसानों को प्राप्त कीमत में भारी अन्तर होता है। मंडी आधारित विपणन प्रणाली को राज्य सरकारों के कृषि व्यवसाय विनिमय प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है। राज्य की विभिन्न मंडियों का संचालन अलग-अलग कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) द्वारा किया जाता है। एपीएमसी अधिनियम औपनिवेशिक शासन व्यवस्था की देन है। इसे व्यवसाय विनिमय शुल्क एवं लाइसेंस के माध्यम से संचालित किया जाता है। इसके अन्तर्गत व्यापारी को एक ही राज्य की विभिन्न मंडियों में व्यापार करने के लिये अलग-अलग लाइसेंस लेना पड़ता था। मंडियों में खरीद-बिक्री को नियंत्रित करने के लिये विपणन बोर्ड होता है जोकि मंडियों में आधारभूत ढाँचे का विकास कर किसानों और व्यापारियों की विपणन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। एपीएमसी की जटिल प्रक्रिया तथा राजस्व संग्रह के लिये निर्मित कराधान प्रणाली के कारण किसानों को उपज का समुचित मूल्य नहीं प्राप्त हो पाता है।

जलवायु परिवर्तन खेती के लिए बड़ी चुनौती

फसल उत्पादन के फेल होने, फसल की उत्पादकता कम होने, खड़ी फसलों का नुकसान होना, नये फसली कीटों और बदलते खेती के तरीके की वजह से खेती में नुकसान उठाना पड़ता है। महाराष्ट्र, जो हाल-फिलहाल फिलहाल भयंकर सूखे से गुजर रहा है। किसान बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन कृषि के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जलवायु परिवर्तन से मतलब है कि जलवायु की अवस्था में काफी समय के लिए बदलाव। जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक आंतरिक बदलावों या बाहरी कारणों जैसे ज्वालामुखियों में बदलाव या इंसानों की वजह से जलवायु में होने वाले बदलावों से माना जाता है।

जलवायु परिवर्तन मनुष्य की ओर से

संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन पर हाल में बड़े स्तर पर एक सम्मेलन का आयोजन किया था। सम्मेलन का विषय था जलवायु परिवर्तन मनुष्य की ओर से। इसमें जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों में अंतर बताने की कोशिश की है। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को इस तरह से परिभाषित किया गया कि जलवायु परिवर्तन सीधे-सीधे मानव जनित कारणों पर निर्भर रहता है। पूरे वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के किसान ह्यसंयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलनह्न की वैज्ञानिक शब्दावली नहीं समझते हैं। वह सबसे पहले जलवायु परिवर्तन से दो-चार होते हैं। जलवायु सीधे तौर पर उनके जीवनयापन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव डालता है। इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरूआत भी देरी से हुई है। इससे किसान भी परेशान हैं। सामान्य मानसून के बावजूद देश के कई राज्य सूखे का सामना कर सकते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, बारिश की अनियमितता और नहरों की सिंचाइ पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। कई किसानों ने भूजल का अत्याधिक दुरूपयोग करना शुरू कर दिया है। वर्ष 1950-51 से लेकर 2012-13 के बीच शुद्ध सिंचित क्षेत्र में नहर की हिस्सेदारी 39.8 प्रतिशत से घटकर 23.6 प्रतिशत हो गई है, जबकि भूजल स्त्रोत 28.7 प्रतिशत से बढ़कर 62.4 प्रतिशत हो गई है।

पश्चिम सिक्किम जिले के हीपटेल गांव के इलायची के किसान तिल बहादुर छेत्री बताते हैं, ह्यजब मैं नौजवान था और अब 92 साल के होने के बाद तक यहां की जलवायु में काफी तरह के बदलाव आए हैं। सर्दी के मौसम में गर्मी और सूखा होने लगा है। मानसून के सीजन में भी गिरावट दिखने लगी हैह्न। कई फलों के पेड़ जंगल से गायब हो चुके हैं। नए-नए कीट फसलों पर हमला कर रहे हैं। इन पेस्ट्स की वजह से छेत्री बताते हैं कि उनकी खुद की पूरी फसल भी कीटों वजह से खराब हो गई। इंटरगोवमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेंट चेंज की क्लाइमेंट चेंज 2014 की रिपोर्ट में विस्तार से फसलों पर जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभाव को दिखाया गया है।

गेहूं और मक्के की उत्पादकता पर भी प्रभाव

वर्ष 2014 की इस रिपोर्ट में गेहूं और मक्के की खेती पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों सहित भारत के अन्य क्षेत्रों में भी जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभावों की बात कही गई है। उष्णकटिबंधीय और और अधिक तापमानी क्षेत्रों में 30वीं सदी के बाद तापमान में दो डिग्री सेल्सियस के इजाफा से नकारात्मक प्रभाव

पड़ने की संभावना है। इससे गेहूं और मक्के की उत्पादकता पर भी प्रभाव पड़ेगा। इंटरनेशनल क्राप रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्च स्कॉलर ओम प्रकाश घिमिरे कहते हैं, बढ़ते तापमान की वजह से चावल और गेहूं के उत्पादन पर तगड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे-जैसे तापमान में इजाफा होगा। वैश्विक स्तर पर चावल और गेहूं के उत्पादन में भी करीब 6 से 10 प्रतिशत की गिरावट होने की संभावना है।

दिन में बढ़े हुए तापमान के मुकाबले रात में बढ़े हुए तापमान से चावल के उत्पादन पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बड़े हुए तापमान के कारण खड़ी फसलों में कीड़े और बीमारी लगने की संभावना ज्यादा पाई जाती है। इन कीटों से भारी मात्रा में फसलों का नुकसान होता है। रिपोर्ट में यह भी बात निकलकर सामने आई कि तापमान में इजाफे से अनाज की गुणवत्ता में कमी आती है। महाराष्ट्र के खड़ेविलेज के मनोज लक्ष्मणराव पाटिल कहते हैं कि हर मौसम में हम अपनी फसलों को खो देते हैं, उत्पादकता में गिरावट आती है। जलवायु परिवर्तन पर खेती में सरकारी प्रयोग शायद ही कभी जरूरतमंद किसानों तक पहुंचते हैं। लगभग हर साल फसल उत्पादकता में गिरावट आती है। पाटिल ने बताया, पिछले साल फरवरी में ओलावृष्टि ने मेरी खड़ी रबी फसल को बर्बाद कर दिया था। फिर खरीफ की कपास की फसल गुलाबी बालवार्म कीट ने खराब कर दी। सूखे की वजह से मैं इस साल की शुरूआत में रबी की फसल नहीं कर पाया और अब तक खरीफ की फसल की बुवाई नहीं की है क्योंकि मानसून आने में देरी हो रही है।

देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

वर्ष 2018 में हुए आईएमडी के अध्ययनकर्ता चेतावनी देते हैं कि भारतीय क्षेत्र में जलवायु में परिवर्तन, विशेष रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान, कृषि उत्पादन, जल संसाधन प्रबंधन और देश की अर्थव्यवस्था पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 2010-11 में जलवायु परिवर्तन कुषि पर एक राष्ट्रीय परियोजना की शुरूआत की। इस परियोजना का उद्देश्य सुधार प्रबंधन तकनीकों के विकास और प्रयोगों से जलवायु परिवर्तन के लिए फसलों, पशुधन और मत्स्य पालन के उत्पादन को बढ़ाना है। इसके साथ ही इसका उद्देश्य कृषि में जोखिम उठाने की क्षमता को भी आगे बढ़ाने की है। सूखा, गर्मी और बाढ़ से बचाने वाली फसलों की किस्मों को बढ़ावा देना। मृदा स्वास्थ्य में सुधार, पानी की बचत की तकनीकों को अपनाना, मौसम संबंधी कृषि-सेवाएं को सेवाओं को 100 जिलों के एक-एक पंचायत में से प्रभावी रूप से लागू करने की सरकार की कोशिश है।

बढ़ती गर्मी और बारिश का बदलता पैटर्न

वर्ष 2013 में भारतीय मानसून विभाग ने भारत में राज्य स्तरीय जलवायु परिवर्तन नाम से एक मोनोग्राफ निकाला था। इसमें जलवायु परिवर्तन मद्देनजर 1951 से लेकर 2010 तक के मानसून विभाग के डेटा और साल भर में बदलते तापमान और बारिश के ट्रेंड का विश्लेषण किया गया था। मोनोग्राफ के अनुसार राज्य स्तर पर साल भर में औसतन अधिकतम तापमान आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, सिक्किम और तमिलनाडु में लगातार बढ़ता हुआ दिखा। वार्षिक औसतन तापमान में सबसे ज्यादा इजाफा हिमाचल प्रदेश में दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश के तापमान में 0.06 डिग्री की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। वहीं गोवा में 0.04 डिग्री के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इसके साथ ही मणिपुर, मिजोरम और तमिलनाडु में 0.03 डिग्री के तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है।

साल भर में होने वाली और औसतन बारिश में भी कमी दर्ज की गई है। छत्तीसगढ, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार साल भर में होने वाली बारिश में कमी दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बारिश में कमी मेघालय और अंडमान-निकोबार में दर्ज की गई है। वर्ष 1951 से 2010 के बीच उत्तर प्रदेश में साल भर में होने वाली बारिश में 4.42 डिग्री की कमी रिकार्ड की गई। पिछले साल आईएमडी के वैज्ञानिकों की मासिक नामक पत्रिका में छपी रिपोर्ट में 1901 से 2013 के बीच होने वाली वार्षिक सीजनल बारिश का विभिन्न जिलों में विश्लेषण और मौसम संबंधी उप विभाजन का भी विश्लेषण किया था। वर्ष 1961 से लेकर 2013 में होने वाले वार्षिक बारिश के ट्रेंड का भी विश्लेषण किया गया था। वर्ष भर में होने वाली बारिश के ट्रेंड का विश्लेषण करने पर शोधकर्ता पाते हैं कि 1961 से 2013 के बीच 64 जिलों में साल भर में औसतन बारिश में इजाफा दर्ज किया गया। वहीं 85 जिलों में साल भर साल भर में होने वाली बारिश में कमी दर्ज की गई। वर्ष 2018 में हुए अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जिलों में साल भर में होने वाली बारिश में कमी आई है। आगरा, फिरोजाबाद, गोरखपुर, कानपुर, मथुरा उन्नाव में सबसे कम बारिश हुई है।

जलवायु परिवर्तन कृषि के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

जलवायु परिवर्तन कृषि के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

महाराष्ट्र के खड़ेविलेज के मनोज लक्ष्मणराव कहते हैं, ह्यलगता है भगवान हमसे नाराज है। अब बारिश समय पर नहीं आती है, जब बारिश होती है तो इतनी भयानक होती है कि फसल से लेकर जमीन की पहली परत को बर्बाद कर देती है। हर साल में बेमौसम तूफान खड़ी रबी की फसल को बर्बाद कर देता है।ह्ल बारिश के बदलते पैटर्न और एक्सट्रीम वेदर की बढ़ती घटनाएं एक देश के लिए बड़ी चिंता है जिस देश क पानी और अनाज की सुरक्षा खतरे में है।

भारत के लगभग 61 प्रतिश वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर हैं। 52 प्रतिशत हिस्सा असिंचित और वर्षा आधारित है। साथ ही भारत वर्षा आधारित खेती में विश्व में पहले स्थान पर है। उपज और मूल्य में भी भारत पहले नंबर पर है। नीति आयोग में दर्ज आंकड़ों के अनुसार जितना दाल, तिलहन और कॉटन पूरे देश में उत्पादित होता है। उसमें से 80 प्रतिशत दाल, 73 प्रतिशत तिलहन और 80 प्रतिशत कॉटल की फसल वर्षा पर आधारित है।

रविंदर सिंह जामवाल जम्मू के सूखाग्रस्त इलाके गांव को कांडी कहते हैं। वहां की खरीफ और रबी की फसल पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि इससे पहले ठंड के मौसम में बारिश दिसंबर से शुरू हो जाती थी। दो-तीन दिन लगातार हल्की बारिश होती थी। जिसे वहां की स्थानीय भाषा में झारी बोलते थे। अब वैसी बारिश बहुत कम देखने को मिलती है। यह रबी के फसलों पर सीधे तौर पर प्रभाव डालती है। अरविंद सिंह जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और ऑल इंडिया रिसर्च प्रोजेक्ट साइंस के कॉर्डिनेटर। वे कहते हैं, जम्मू के सूखाग्रस्त किसान सबसे पहले अनियमित बारिश से दो-चार होते हैं। वहां के ज्यादातर किसानों के पास इस जलवायु परिवर्तन और उससे कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव से निपटने का कोई तरीका नहीं है।

तापमान का असर

सही तापमान और अनियमित बारिश पर इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्ट्रीयूट के रिसर्च स्कॉलर ओम प्रकाश घिमिरे कहते हैं, ह्यअनियमित बारिश से बंजर जमीन और सिंचित भूमि के इतर वर्षा आधारित भूमि पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बीज बोने के मौसम के शुरूआती चरण में बारिश से खेतों में बीज लगाने में देरी होती है। इससे कुल उत्पादित पौधों में कमी आती है। गेहूं में देर से बुवाई सीजन के दौरान फसलों में उच्च तापमान से पैदा होने वाले जोखिम को बढ़ावा दे सकती हैं। जिससे फसल में भी तापमान का तनाव पैदा होगा। इससे गेहूं का उत्पादन भी प्रभावित होगा।ह्ल

गेहूं की देरी से बुवाई देर से सीजन के दौरान उच्च तापमान के जोखिम को जन्म दे सकती है, जिससे फसल में तापमान का तनाव होता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018 में देश में खरीफ और रबी की फसल के मौसम में औसत तापमान और औसत वर्षा में बदलाव दर्ज किया गया था। यह दिखाता है कि 1970 और अंतिम दशक के बीच खरीफ वर्षा में औसतन 26 मिलीमीटर और रबी में 33 मिलीमीटर की गिरावट आई थी। इस दौरान औसत वर्षा में लगभग 86 मिलीमीटर की गिरावट आई थी। इसी अवधि के दौरान, 0.45 डिग्री सेल्सियस और 0.63 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ था। घिमिरे ने चेतावनी देते हुए कहा, ह्यअलियमित बारिश और उच्च तापमान से चावल और गेहूं की उपज को 80 प्रतिशत तक कर सकता है।ह्ल

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, अनाज दाल, खाद्य तेल, सब्जियों और फलों की वार्षिक मांग में 1.3 प्रतिशत, 3 प्रतिशत, 3.5 प्रतिशत, 3.3 प्रतिशत और 5 प्रतिशत का इजाफा हो रहा है। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञों के अनुसार पहले से ही 43 प्रतिशत देश सूखे का सामना कर रहा है और इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरूआत भी देरी से हुई है। इससे किसान भी परेशान हैं। सामान्य मानसून के बावजूद देश के कई राज्य सूखे का सामना कर सकते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, बारिश की अनियमितता और नहरों की सिंचाइ पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। कई किसानों ने भूजल का अत्याधिक दुरूपयोग करना शुरू कर दिया है। वर्ष 1950-51 से लेकर 2012-13 के बीच शुद्ध सिंचित क्षेत्र में नहर की हिस्सेदारी 39.8 प्रतिशत से घटकर 23.6 प्रतिशत हो गई है, जबकि भूजल स्रोत 28.7 प्रतिशत से बढ़कर 62.4 प्रतिशत हो गई है।

हरियाली जरूरी है

हमारी जीवन पद्धति व सरकारी नीतियाँ केन्द्रित व्यवस्था को ही बढ़ावा दे रही हैं। जिसके कारण हम आत्मकेन्द्रित होते जा रहे हैं। नतीजा है कि हम अपने से ज्यादा कुछ ना सोच पा रहे हैं ना ही धरती के पर्यावरण के लिये जो कुछ बहुत आसानी से भी किया जा सकता है वो भी नहीं कर पा रहे हैं।

हमने धरती को खोद-खोदकर खनिजों के अम्बार उसकी छाती पर खड़े कर दिये हैं। जिससे ना केवल धरती को खुद भी साँस लेना दूभर हो रहा है। उसका ओजोन आवरण भी छिद्रों वाला होता जा रहा है।

धरती की हरी चादर कमतर होती जा रही है। या फिर बाजार के अनुसार बनाई जा रही है। जो पेड़ शहरी सभ्यता को पोषित करते हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। किन्तु धरती के जीवन की रक्षा करने का सोच समाप्त होता जा रहा है।

आज हमारा भोजन अत्यन्त जहरीला हो चुका है जिसका कारण हमारी जीवन पद्धति ही है। केन्द्रित जीवन और केन्द्रित फ्लैट व्यवस्था में रहने वाला समाज अपने छोटे दायरे से बाहर भी नहीं निकल पाता और दूसरी तरफ उस उच्च और मध्यम वर्ग की सेवा मे रत निर्धन समाज मात्र ह्यभोजन-आवासह्ल चाहे जैसा मिल जाये, उसके लिये संघर्षरत है।

स्वास्थ्य सेवाओं की शिक्षा की तो बात ही दूर है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा उन्हें देना अजीब लगेगा। किन्तु यह उनके लिये शायद ज्यादा जरूरी है चूँकि वे साधन हीन हैं। 5 जून को संसार भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन हम सभी को यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि जहाँ भी जगह होगी हम वृक्षों को लगाएँगे। पीपल, बड़, नीम, सागौन, अर्जुन, बेहड़ा, आँवला, बेल, अमरुद, नींबू, भीमल, अमरुद, कटहल, जामुन और सब चौड़ी पत्ती के पेड़ इसके और धरती के सब जीवों के जीवन रक्षा आधार है। धरती के भिन्न स्थानों पर भिन्न जाति-प्रजाति के वृक्ष-पौधे-लताएँ लुटती-मरती धरती को प्राण देने का काम कर सकते हैं। शहरों में जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है। पेड़ों के लगाने से पानी भी धरती में जाएगा। बेल, नींबू, आँवला, अमरुद व पपीता इस स्वास्थ्यरक्षक पंचवटी के साथ यदि केला और पौधों में पोदीना, तुलसी, एलोविरा तथा गिलॉय की बेल जोड़ ले तो सोने पर सुहागा हो जाता है। यह सब बहुत ही कम स्थान लेने वाले होते हैं। सड़कों के किनारे, मध्यमवर्गीय सोसायटियों में यहाँ तक की फ्लैटों की बालकनी का भी सदुपयोग हो सकता है।

यहाँ यह भी बता दूँ कि देखने में यह आया है कि इन आवासीय सोसायटियों में ज्यादातर पहले तो सीमेंट बिछा दी जाती है फिर गमलों में खूबसूरत दिखने वाले पौधों को रख दिया जाता है। जिनमें बार-बार पानी देने की जरूरत होती है। यदि रसोई के पानी को थोड़ा सा फिल्टर करके कच्ची जमीन में लगे पौधों की सिंचाई की जाये तो चार तरह के फायदे होंगे।

आज हमारा भोजन अत्यन्त जहरीला हो चुका है जिसका कारण हमारी जीवन पद्धति ही है। केन्द्रित जीवन और केन्द्रित फ्लैट व्यवस्था में रहने वाला समाज अपने छोटे दायरे से बाहर भी नहीं निकल पाता और दूसरी तरफ उस उच्च और मध्यम वर्ग की सेवा मे रत निर्धन समाज मात्र ह्यभोजन-आवासह्ल चाहे जैसा मिल जाये, उसके लिये संघर्षरत है। स्वास्थ्य सेवाओं की शिक्षा की तो बात ही दूर है।

पहला गन्दे पानी की मात्रा कम हो जाएगी, दूसरा धरती को भी पानी मिलेगा, तीसरा पौधों के लिये अलग से पानी नहीं लेना पड़ेगा और चौथा की दवाईयों का खर्चा कम होगा स्वास्थ्यरक्षण होगा। इस काम के लिये कोई अलग से खर्चा नहीं होगा वरन् लोगों का खर्चा कम होकर आमदनी ही बढ़ेगी। यदि शहरों के चौराहों के बीच बने छोटे-छोटे गोलपार्कों में चौड़ी पत्ती के पेड़ किनारों पर और बीच में यह फलदार पंचवटियों का निर्माण कर दिया जाये तो वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण तो कम होगा ही साथ में ये लाभप्रद फल भी सरकारी मालियों को अतिरिक्त लाभ में दिये जा सकते हैं। जरूरत सिर्फ यह है कि आजकल प्रचलन में आये सीमेंट व प्लास्टिक के पेड़ों को सुन्दरता का चेहरा ना माना जाये और इस प्रकार की बड़ी सोच को लिया जाये। आज की सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है। उसके फूहड़पन का एक उदाहरण है। उत्तराखण्ड के सुदूर पहाड़ी इलाकों में टिहरी बाँध निर्माण कम्पनी टी.एच.डी.सी. शौचालयों का ह्यकम्पनी सामाजिक दायित्वह्ल के पैसे से मरम्मत करवा रही है। इस मरम्मत के कार्य पर प्रतिदिन कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हरियालीरोज शाम को व्हाट्सएप पर किये गए कार्य का चित्र कम्पनी इकट्ठा करती है और केन्द्र सरकार को भेजती है। फिर चाहे शौचालयों में पानी हो या ना हो। चूँकि पहाड़ में भी पानी का संकट है। बावजूद इसके की पहाड़ का पानी शहरों के शौचालयों तक की जल जरूरतों को पूरा करता है।